भारतीय रिज़र्व बैंक

RESERVE BANK OF INDIA

www.rbi.org.in

आरबीआई/2014-15/30

शबैंवि.बीपीडी(पीसीबी).एमसी.सं.12/16.20.000/2014-15 1 जुलाई 2014

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

महोदया/ महोदय

मास्टर परिपत्र

प्राथमिक (शहरी)सहकारी बैंकों द्वारा निवेश

कृपया प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा निवेश पर 01 जुलाई 2013 का हमारा मास्टर परिपत्र शबैंवि.बीपीडी.(पीसीबी).एमसी.सं.12/16.20.000/2013-14 (भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर उपलब्ध) देखें। संलग्न मास्टर परिपत्र में 30 जून 2014 तक जारी सभी अनुदेशों/ दिशानिर्देशों को समेकित एवं अद्यतन किया गया है तथा परिशिष्ट में उल्लिखित है।

भवदीय

(ए.के.बेरा)

प्रधान मुख्य महाप्रबंधक

संलग्नक: यथोक्त

शहरी बैंक विभाग, केंद्रीय कार्यालय, गारमेंट हाऊस, पहली मंज़िल, डॉ. एनी बेसेंट मार्ग, वरली, मुंबई - 400018 भारत
फोन: 022 - 2493 9930 - 49; फैक्स: 022 - 2497 4030 / 2492 0231; ई-मेल: cgmincubd@rbi.org.in
Urban Banks Department, Central Office, Garment House, 1st Floor, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai - 400018, India
Phone: 022 - 2493 9930 - 49; Fax: 022 - 2497 4030 / 2492 0231; E-mail: cgmincubd@rbi.org.in

हिंदी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइए—

चेतावनी: भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ई-मेल, डाक, एसएमएस या फोन कॉल के जरिए किसी की भी व्यक्ति की जानकारी जैसे बैंक के खाते का ब्यौरा, पासवर्ड आदि नहीं मांगी जाती है। यह धन रखने या देने का प्रस्ताव भी नहीं करता है। ऐसे प्रस्तावों का किसी भी तरीके से जवाब मत दीजिए।
Caution: RBI never sends mails, SMSs or makes calls asking for personal information like bank account details, passwords, etc.It never keeps or offers funds to anyone. Please do not respond in any manner to such offers.

विषय सूची

क्र.सं.	विषय	पृ.सं.
1.	अन्य सहकारी सोसायटियों में शेयर रखने पर प्रतिबंध	1
2.	सांविधिक (एसएलआर) निवेश	2
3.	निवेश नीति	3
4.	सामान्य दिशा-निर्देश	4
5.	एसजीएल खातों के ज़रिए लेनदेन का निपटान	9
6.	बैंक रसीदों का उपयोग	12
7.	दलालों को रखना	13
8.	भारतीय समाशोधन निगम लि. के माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियों के लेनदनों के संबंध में निपटान	15
9.	शेयर बाजारों में सहकारी प्रतिभूतियों का करोबार (ट्रेडिंग)	17
10.	सरकारी प्रतिभूतियों में तैयार वायदा संविदाएं	20
11.	कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियों में तैयार वायदा संविदा	22
12.	रिपो/प्रारक्षित रिपो लेनदेन के लिए एक समान लेखाकरण	23
13.	गैर एसएलआर निवेश	23
14.	आंतरिक नियंत्रण और निवेश लेखाकरण	29
15.	घोष समिति की सिफारिशें	30
16.	निवेशों का वर्गीकरण	32
17.	निवेश मूल्यन	34
18.	निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि (आईएफआर)	39
अनुलग्नक		
I	दलालों की सीमा के संबंध में कतिपय स्पष्टीकरण	41
II	निवेश पर मास्टर परिपत्र - कुछ परिभाषाएं	43
III	गैर एसएलआर निवेश के लिए प्रकटीकरण संबंधी अपेक्षाएं	44
IV	रिपो/ रिवर्स रिपो लेन-देन के लेखाकरण के लिए दिशा निर्देश	45
IV(ए)	रिपो/ रिवर्स रिपो लेन-देन के लिए संस्तुत लेखाकरण पद्धति	50
IV(बी)	रिपो/ रिवर्स रिपो लेन - देन के लेखाकरण के उदाहरण	52
v	वित्तीय आस्तियों की बिक्री पर दिशानिर्देश	59
vi	5 जून 2014 का अधिसूचना सं शबैंवि.बीपीडी(पीसीबी).अधि.सं.2/16.26.000/2013-14	65
परिशिष्ट		
ए	प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों द्वारा निवेश पर मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सूची	67
बी	अन्य परिपत्रों की सूची जिनसे निवेशों से संबंधित अनुदेशों को मास्टर परिपत्र में समेकित किया गया है	75

मास्टर परिपत्र

प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा निवेश

1. अन्य सहकारी सोसायटियों में शेयर रखने पर प्रतिबंध

1.1 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 19 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) यह निर्धारित करती है कि कोई सहकारी बैंक अन्य किसी सहकारी सोसायटी में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उसके पक्ष में निर्धारित की गई इस प्रकार की सीमा से बाहर तथा इस प्रकार की शर्तों के विपरित शेयर नहीं रखेगा। तथापि , उपर्युक्त धारा में निहित प्रावधान निम्नलिखित पर लागू नहीं होता -

1.1.1 उस प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निधियों के जरिए अर्जित शेयर ;

1.1.2 मध्यवर्ती सहकारी बैंक के मामले में राज्य सहकारी बैंक में शेयर रखना जिससे यह संबद्ध है;

1.1.3 किसी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक के मामले में जिस मध्यवर्ती सहकारी बैंक से वह संबद्ध है उसमें अथवा उस राज्य के राज्य सहकारी बैंक में जिसमें वह पंजीकृत है, शेयर रखना

1.2 बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 56 के साथ पठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में रिजर्व बैंक ने यह निर्धारित किया है कि जिस सीमा तक और जिन शर्तों के अधीन सहकारी बैंक अन्य किसी सहकारी सोसायटी में शेयर रख सकते हैं वे निम्नवत् हैं:

1.2.1 उपर्युक्त पैरा 1.1.1 से 1.1.3 तक में वर्णित किसी एक श्रेणी में आने वाली संस्थाओं के शेयर में सहकारी बैंक का कुल निवेश उसकी स्वाधिकृत निधियों(चुकता शेयर पूजी तथा प्रारक्षित निधियां) के 2 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

1.2.2 उपर्युक्त पैरा 1.2.1 के अंतर्गत आने वाली किसी एक सहकारी संस्था के शेयरों में बैंक का निवेश उस संस्था की निर्धारित पूंजी के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

टिप्पणी:

उक्त पैरा 1.2.1 के अंतर्गत श्रेणी में आने वाली किसी सहकारी सोसायटी के शेयरों में एक से अधिक सहकारी बैंक अंशदान करते हैं तो उपर्युक्त अभिदत्त पूंजी के 5 प्रतिशत की सीमा न केवल उनमें से प्रत्येक बैंक के निवेश के संबंध में बल्कि एक साथ जोड़कर सभी बैंकों के निवेश के संबंध में लागू होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, सभी सहकारी बैंकों का कुल निवेश संबंधित संस्था की अभिदत्त पूँजी के 5 प्रतिशत तक सीमित होना चाहिए।

किसी सहकारी बैंक को उपर्युक्त पैरा 1.2.1 के अंतर्गत आने वाली किसी सहकारी सोसायटी के शेयरों में अपना अंशदान करने का प्रस्ताव केवल तभी देना चाहिए जब प्राप्तकर्ता सोसायटी के उप-नियमों में उसके द्वारा अंशदान की गई शेयर पूजी के भुगतान की समाप्ति के बारे में प्रावधान किया गया हो।

1.2.3 उपर्युक्त पैरा 1.2.1 के अंतर्गत आने वाली किसी सोसायटी के शेयरों में किसी बैंक द्वारा अंशदान में दी गई शेयर पूजी का भुगतान संबंधित सोसायटी द्वारा व्यवसाय उत्पादन आरंभ करने वाले वर्ष के तुरंत बाद आनेवाले सहकारी वर्ष से आरंभ 10 समान वार्षिक किस्तों में पूरा कर लिया जाना चाहिए।

1.2.4 किसी सहकारी बैंक को रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना उपर्युक्त पैरा 1.2.1 के अंतर्गत आने वाली किसी सोसायटी की शेयर पूजी में अंशदान नहीं करना चाहिए यदि सोसायटी उसके परिचालन क्षेत्र के बाहर स्थित है।

1.2.5 उपर्युक्त प्रतिबंध सहकारी बैंकों द्वारा पारस्परिक हितों (उदाहरणार्थ सहकारी बैंक एसोसिएशन) या सहकारी शिक्षा आदि (उदाहराणार्थ राज्य सहकारी संघ) अथवा स्वामित्व के आधार आदि पर परिसर अर्जित करने के प्रयोजन से आवासीय सहकारी सोसायटीयों के लिए गठित सोसायटियों जैसी अलाभकारी सहकारी सोसायटीयों में शेयर धारिताओं पर लागू नहीं होंगे।

2. सांविधिक (एसएलआर) निवेश

2.1 अधिनियम के उपबंध

2.1.1 बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 24 के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक के लिए तरल आस्तियां बनाए रखना आवश्यक है जो किसी भी दिन कारोबार समाप्त होने पर भारत में उसकी मांग एवं मीयादी देयताओं (न्यूयनतम नकदी प्रारक्षित निधियों की आवश्यकता के अतिरिक्त) के ऐसे प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा राजपत्र में अधिसूचित करते हुए निर्धारित किए गए हो और वह कुल डीटीएल के 40% से अधिक भी न हो।

2.1.2 बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा राजपत्र में अधिसूचित अनुसार के रूप और प्रकार में तरल अस्तियां धारित कर सकते हैं।

2.2 शहरी सहकारी बैंकों के लिए एसएलआर का अनुरक्षण

2.1.3 सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को अपने निवल माँग एवं मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के एक न्यूनतम निश्चित प्रतिशत को एसएलआर के रूप में रखना चाहिए । सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के लिए सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) को 12 जुलाई 2014 के आरंभ होने वाले पखवाड़े से उनकी निवल मांग और देयताओं (एनडीटीएल) के 25.00 प्रतिशत से 250 आधार अंक घटाकर 22.50 प्रतिशत कर दिया गया है। ऐसे प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक जो तीन रूपों में अर्थात् नकद, स्वर्ण और अनुमोदित प्रतिभूतियों में एसएलआर नहीं रखते हैं, के लिए 5 जून 2014 के अधिसूचना सं.शबैंवि.पीसीबी.अधि.2/16.26.00/2013-14 (अनुबंध VI) में बताए गए अनुदेशों के पालन के लिए 31 मार्च 2015 तक समय दिया गया है। इस अंतरिम अवधि में प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक दिनांक 22 अक्तूबर 2001 के परिपत्र सं. शबैंवि.बीआर.परि.19/16.26.00/2001-02 तथा 26 नवंबर 2008 के परिपत्र शबैंवि. (पीसीबी).केंका.बीपीडी. परि. 28/16.26.00/2008-09 में बताए अनुसार एसएलआर बनाए रख सकते हैं। तथापि, 31 मार्च 2015 तक की अंतरिम अवधि में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में रखी गई मीयादी जमा राशि, एसएलआर में गिने जाने के लिए पात्र होंगी।

टिप्पणी : राज्य सहकारी सहकारी बैंकों/ जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों में रखी गई शेष राशि तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पास रखी मीयादी जमाराशि 1 अप्रैल 2015 से एसएलआर में गिने जाने के लिए पात्र नहीं होंगी।

2.3 अनिवार्य निवेश धारित करने की विधि

2.3.1 प्रतिभूतियां (क) भौतिक पर्ची धके रूप में (ख) अनुषंगी सामान्य खाता बही (एसजीएल) तथा (ग) डिपॉजिटरी (एनएसडीएल/सीडीएसएल, एनएससीसीएल) के डिमैट खाते में से किसी एक रूप में धारित की जा सकती हैं। अनुषंगी सामान्य खाता बही सुविधा के साथ प्रतिभूतियों के संबंध में एसजीएल खाता स्वयं बैंक के नाम पर सीधे भारतीय रिजर्व बैंक में या किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक/ राज्य सहकारी बैंक/ प्राथमिक डीलर अथवा भारतीय स्टॉक धारिता निगम लि. के साथ खोले गए सीएसजीएल खाते में रखा जा सकता है।

2.3.2 सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के लिए आवश्यक है कि वे केवल भारतीय रिज़र्व बैंक के पास स्थित एसजीएल खातों में अथवा प्राथमिक डीलरें, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों, उपर पैरा 2.3.3 में बताए गए अनुसूचित शहरी सहकारी बैंको, निक्षेपागारों तथा भारतीय स्टाक धारिता निगम लि. के सीएसजीएल खातों में ही सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करें।

2.3.3 ₹200 करोड़ या उससे अधिक निवल संपत्ति तथा 10% से अधिक सीआरएआर रखनेवाले अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक सीएसजीएल खाते खोलने तथा रखने के लिए पात्र है।

2.3.4 सभी लाईसेंस प्राप्त शहरी सहकारी बैंकों (सर्वसमावेशी निदेशाधीन बैंकों के अलावा) को भारतीय रिज़र्व बैंक में एसजीएल खाता खोलने की अनुमति हैं।

3. निवेश नीति

3.1 विभिन्न विनियामक/ सांविधिक तथा बैंक की अपनी आंतरिक जरुरतों को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से एक व्यापक निवेश नीति तथा निवेश संबंधी लेनदेन करने के दौरान हासिल किए जाने वाले लक्ष्यों की रुपरेखा तैयार करनी चाहिए। निवेश नीति की हर साल समीक्षा की जानी चाहिए। निदेशक मंडल/समिती/ उच्च प्रबंधन को निवेश संबंधी लेनदेनों का मुस्तैदी से पर्यवेक्षण करना चाहिए। बैंकों को संविभाग प्रबंधन योजना (पीएमएस) के ग्राहक की तरफ से उनकी प्रत्ययी हैसियत से तथा अन्य ग्राहकों की तरफ से न तो उनके निवेश के अभिरक्षक के रुप में या पूर्णत: उनके एजेंट के रूप में कोई लेनदेन नहीं करना चाहिए।

3.2 बैंक की निवेश नीति में सौदा करने वाले प्राधिकारी, समुचित प्राधिकारी की मंजूरी प्राप्त करने, सौदा करने, विभिन्न विवेकपूर्ण ऋण सीमाओं को निर्धारित करने तथा सूचना देने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया स्पष्ट रूप से परिभाषित होनी चाहिए।

3.3 बैंक की निवेश नीति में इसके अपने निवेश खाते में धारित की जाने वाली प्रत्येक प्रकार की प्रतिभूति की मात्रा (उच्चतम सीमा) तथा गुणवत्ता संबंधी दिशा निर्देश शामिल होने चाहिए। बैंकों को निवेश संबंधी सौदे करने वाले प्राधिकारी तथा अपनाई जाने वाली सूचना प्रणाली का स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए। निवेश नीति समय-समय पर निबंधक, सहकारी सोसायटियां तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों का पूरी तरह अवलोकन करने के बाद बनानी चाहिए तथा इसमें

आंतरिक नियंत्रण तंत्र, लेखाकरण संबंधी मानकों, लेखा परीक्षा, समीक्षा, तथा विकसित की जाने वाली सूचना प्रणाली की स्पष्ट व्याख्या होनी चाहिए।

3.4 सभी लेनदेनों का स्पष्ट रुप से अभिलेख रखना चाहिए जिससे पूर्ण ब्योरे प्रदर्शित हों। उच्च प्रबंधन को निवेश संबंधी लेनदेनों की सावधानीपूर्वक आवधिक समीक्षा करनी चाहिए तथा बड़े लेनदेन निदेशक मंडल के समक्ष सूचनार्थ रखना चाहिए।

3.5 बैंकों द्वारा अपने निदेशक मंडलों के अनुमोदन से निर्मित आंतरिक निवेश नीति संबंधी दिशा-निर्देशों की एक प्रति भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को अग्रेषित की जानी चाहिए जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि निवेश नीति निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप है तथा उसे लागू कर दिया गया है। निवेश नीति में बाद के परिवर्तनों, यदि कोई हो, की सूचना भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय को भी देनी चाहिए।

4. सामान्य दिशानिर्देश

4.1 प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को मूलधन से मूलधन के आधार पर दलाल फर्मो या अन्य बिचौलिया कंपिनयों के साथ कोई क्रय/ विक्रय नहीं करना चाहिए।

4.2 बैंकों को अपने निवेश खाते में वास्तव में प्रतिभूति धारित किए बिना कोई बिक्री लेनेदेन नहीं करना चाहिए अर्थात् किसी भी परिस्थिति में बैंकों को किसी प्रतिभूति में खरीद से अधिक बिक्री की स्थिति नहीं रखनी चाहिए। तथापि, अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक ऐसी किसी सरकारी प्रतिभूति को बेच सकते हैं जिनकी खरीद के लिए पहले ही संविदा की जा चुकी हो, बशर्ते :

4.2.1 खरीद संविदा की पुष्टि बिक्री से पहले हो गई हो,

4.2.2 खरीद संविदा सी बी आई एल द्वारा गारंटीकृत हो या प्रतिभूति रिज़र्व बैंक द्वारा खरीद के लिए संविदाकृत हो तथा,

4.2.3 बिक्री लेनदेन का निपटान या तो उसी निपटान चक्र में किया जाएगा जिसमें पूर्ववर्ती खरीद संविदा का किया गया था या बाद के किसी निपटान चक्र में ताकि बिक्री संविदा के अंतर्गत सुपुर्दगी बाह्यता खरीद संविदा के अंतर्गत अर्जित प्रतिभूतियों द्वारा पूरी की जा सके (उदाहरणार्थ जब कोई प्रतिभूति टी + 1 आधार पर खरीदी जाती हो तो उसे खरीद के दिन टी + 0 या टी +1 आधार पर बेचा जा सकता है; तथापि यदि इसे टी+1 आधार पर खरीदा जाता हो तो उसे खरीद के दिन टी + 1 या अगले दिन टी + 0 या टी +1 आधार पर बेचा जा सकता है)। आबंटन तारीख में प्रारंभिक निर्गम में सफल बोली लगाने वालों को आबंटित सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री, जो सीएसजीएल के संघटक खाता धारकों के साथ या उनके बीच का है, के लिए अनुमति दी गई है।

4.3 खुले बाजार परिचालनों (ओएमओ) के माध्यम से रिज़र्व बैंक से प्रतिभूतियों की खरीद के लिए रिज़र्व बैंक से आबंटन के सौदे/सूचना की पुष्टि प्राप्त होने से पहले बिक्री संबंधी किसी लेनदेन की संविदा नहीं की जानी चाहिए ।

4.4 बैंकों को इन दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिशिचत करने के लिए भरपूर सावधानी बरतनी चाहिए । संगामी लेखा परीक्षकों को विशेष रूप से इन अनुदेशों के अनुपालन का सत्यापन करना चाहिए । संगामी टलखा परीक्षा की रिपोर्टों में उपर्युक्त अनुदेशों के अनुपालन से संबंधित विशेष टिप्पणियाँ होनी चाहिए तथा उन्हें बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी को भेजी जाने वाली मासिक रिपोर्ट तथा निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली छः माही समीक्षा में शामिल किया जाना चाहिए। सी सी आई एल अपनी दैनिक रिपोर्टों के एक भाग के रूप में सभी बाजार सहभागियों को एन डी एस से प्राप्त सभी लेनदेनों का समय प्रदर्शित करने वाला मोहर उपलब्ध कराएगा । मिड ऑफिस तथा लेखा परीक्षक अनुदेशों का अनुपालन करने के लिए लेनदेनों की अपनी जाँच/संवीक्षा के पूरक के रूप में इस सूचना का उपयोग कर सकते हैं । इस संबंध में जानकारी में आए किसी उल्लंघन की सूचना तुरंत शहरी बैक विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय और लोक ऋण कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई को दी जानी चाहिए । इस संबंध में जानकारी में आए किसी उल्लंघन पर दंड लगाए जाएंगे जो वर्तमान में आवश्यक समझे जाने पर आगे की विनियामक कार्रवाई के अलावा सहायक सामान्य लेखा (एस जी एल) फ़ार्म के नकारा होने पर लागू होते हैं भले ही डी वी पी ।।। के अंतर्गत समायोजन फायदे के कारण सौदा समायोजित कर लिया गया हो ।

4.5 सरकारी प्रतिभूतियों के प्रारंभिक निर्गम की नीलामी में सफल बैंक नीचे दी गई शर्तों के अनुसार आबंटित प्रतिभूतियों की बिक्री के लिए संविदाएं कर सकते हैं :

4.5.1 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी की गई किसी प्रमाणित आबंटन सूचना के आधार पर आबंटिती बैंक द्वारा केवल एक बार बिक्री हेतु संविदा की जा सकती है । बिक्रेता बैंक को आबंटन सूचना पर समुचित टिप्पणी/मोहर लगानी चाहिए जिसमें बिक्री संविदा संख्या आदि दर्शाई गई हो जिसके ब्योरे की सूचना क्रेता संस्था को दी जानी चाहिए । क्रेता संस्था को प्रतिभूतियों को अपने निवेश खाते में वास्तव में धारित किए जाने तक उनकी आगे पुन: बिक्री के लिए कोई संविदा नहीं करनी चाहिए । प्रतिभूतियों की किसी प्रकार की बिक्री केवल टी + 0 या टी + 1 समायोजन आधार पर की जानी चाहिए ।

4.5.2 बैंक आबंटित प्रतिभूतियों की बिक्री के लिए संविदा केवल उन्हीं संस्थाओं के साथ कर सकते हैं जिन संस्थाओं का सुपुर्दगी बनाम भुगतान (डीवीपी) पद्दति के माध्यम से अगले कार्य दिवस को सुपुर्दगी तथा निपटान हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक में एस जी एल खाता हो ।

4.5.3 बेची गई प्रतिभूतियों का अंकित मूल्य आबंटन सूचना में दर्शाई गई प्रतिभूतियों के अंकित मूल्य से अधिक नहीं होना चाहिए ।

4.5.4 दलाल/दलालों के बिना बिक्री का सौदा सीधे नहीं किया जाना चाहिए।

4.5.5 इस प्रकार के बिक्री सौदों का अलग से रेकार्ड रखा जाना चाहिए जिसमें आबंटन सूचना की संख्या तथा तारीख, आबंटित प्रतिभूतियों का विवरण तथा अंकित मूल्य, खरीद, सुपुर्दगी की संख्या,

तारीख और बेची गई प्रतिभूतियों के अंकित मूल्य, बिक्री, वास्तविक सुपुर्दगी की तारीख तथा विवरण अर्थात् एसजीएल फार्म सं. आदि जैसे ब्योरे हों। इस रेकार्ड को सत्यापन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। बैंकों को इस प्रकार के रेकार्ड रखे जाने में चूक के किसी मामले की सूचना तुरंत देनी चाहिए।

4.5.6 प्राथमिक निर्गमों के लिए उसी दिन नीलामियों में आबंटित तथा प्रामाणिक आबंटन सूचना पर आधारित सरकारी प्रतिभूतियों के इस प्रकार के बिक्री लेनदेनों की संगामी लेखा परीक्षा की जानी चाहिए तथा संबंधित लेखा परिक्षा रिपोर्ट प्रत्येक माह में एक बार बैंक के निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए। इसकी एक प्रति शहरी बैंक विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को भी भेजी जानी चाहिए।

4.5.7 भुगतान न होने/चेक के नकारे जाने आदि के कारण बैंकों के एसजीएल खाते में प्रतिभूतियों के जमा न होने के चलते संविदाओं में होने वाली किसी चूक के लिए एकमात्र बैंक ही जिम्मेदार होंगे।

4.6 बैंको को अपने लेन देनों के लिए प्रतिपक्षी के रुप में किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, प्राथमिक डीलर, वित्तीय संस्था, अन्य किसी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक, बीमा कंपनी, म्युचुअल फंड या भविष्य निधि से संपर्क करना चाहिए। इस प्रकार प्रति-पक्षों के साथ प्रत्यक्ष सौदों को वरीयता दी जानी चाहिए। यह वांछनीय होगा कि अन्य बैंकों अथवा प्राथमिक डीलरों से कीमतों को नियंत्रित किया जाए जिनके पास प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक का सी एस जी एल खाता हो। निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम के माध्यम से किए गये लेन देनों सहित सहकारी प्रतिभूतियो में किए गए सभी लेनदेनो की कीमतें भी भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर उपलब्ध हैं।

4.7 अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक भविष्य निधि, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं, उच्च नेटवर्क वाले व्यक्तियों आदि के साथ सरकारी प्रतिभूतियों का खुदरा व्यापार कर सकते हैं बशर्ते :

4.7.1 बैंक को बिक्री एवं खरीद के दरमियान बिना किसी प्रतिबंध के प्रभावी बाजार कीमतों पर आउटराइट आधार पर सरकारी प्रतिभूतियों खरीदने तथा बेचने की स्वतंत्रता हो।

4.7.2 सरकारी प्रतिभूतियों का खुदरा व्यापार द्वितीयक बाजार लेनदेनों से उभरने वाली चालू बाजार दरों/ वक्र के आधार पर होना चाहिए।

4.7.3 प्रतिभूतिया जब तक भौतिक पर्चियों के रूप में बैंकों के संविभाग में अथवा भारतीय रिजर्व बैंक में दनके एसजीएल खाते में हों तब तक बैंकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की कोई बिक्री नहीं की जानी चाहिए।

4.7.4 बिक्री के तुरंत बाद बैंक द्वारा उसके बराबर राशि् की कटौती अपने निवेश खातों तथा अपनी एसएलआर आस्तायों से भी की जानी चाहिए।

4.7.5 बैंक के संगामी/सांविधिक लेखा परीक्षकों को इन लेनदेनों की जांच करनी चाहिए।

4.7.6 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर दी गई सूचना के अनुसार अनुसूचित बैंकों को पर्याप्त आंतरिक जांच/प्रणालियों की व्यवस्था करनी चाहिए।

4.8 बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदत्त भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी में गैर प्रतिस्पर्धी बोली सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के तहत प्राथमिक (शहरी)सहकारी बैंक सीधे अथवा किसी बैंक के जरिए अथवा किसी प्राथमिक डीलर के जरिए भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की किसी नीलामी में दो करोड़ रुपए (अंकित मूल्य) तक की बोली लगा सकते हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसी प्रकार की बोली लगाने के हुनर की जरूरत नहीं है क्यों कि दो करोड़ रूपये (अंकित मूल्य) तक का आंबटन अंतिम दर के उस भारित औसत पर किया जाता है जो नीलामी से उभरकर सामने आता है । प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक सीधे अथवा किसी बैंक के जरिए अथवा किसी प्राथमिक डीलर के जरिए राज्य विकास ऋणों की नीलामी में भी भाग ले सकते है जहां ब्याज दर ज्यादातर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पहले ही निर्धारित और अधिसूचित रहती हैं। नीलामी की तारीख से 4-5 दिन पहले ही प्रमुख समाचार पत्रों में इस आशय के विज्ञापन जारी कर दिए जाते हैं। भारत सरकार, प्रतिभूतियों का छ:माही नीलामी कैलेंडर भी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है।

4.9 इस प्रकार की प्रतिभूतियों को धारण करने के लिए सी एस जी एल खातों का प्रयोग करना चाहिए तथा इस प्रकार के खाते उसी बैंक में हाने चाहिए जिनमें नकदी खाता रखा गया हो। सभी लेनदेनों में भुगतान बनाम सुपुर्दगी के लिए बैंकों को आग्रह करना चाहिए।

4.10 यदि सी एस जी एल खाता उपर्युक्त में से किसी गैर बैंकिंग संस्था में खोला गया है तो नामित निधि खाते (किसी बैंक में) के विवरण की सूचना उस संस्था को देनी चाहिए।

4.11 सभी लेनदेनों की निगरानी की जानी चाहिए ताकि सुपुर्दगी निपटान के दिन हो सके। निधि खाते तथा निवेश खाते का मिलान कारोबार समाप्त होने से पहले एक ही दिन होना चाहिए।

4.12 खरीद और विक्री का निर्णय करने वाले अधिकारी निपटान एवं हिसाब के लिए जिम्मेदार अधिकारियों से अलग होने चाहिए।

4.13 निदेशक मंडल को सभी निदेश लेनदनों का महीने में कम से कम एक बार अवलोकन करना चाहिए।

4.14 बैंक अपनी आंतरिक नियंत्रण प्रणलियों/ भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षकों/ अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा प्रति-जाँच को सुगम बनाने के लिए प्राप्त किए गए/ जारी किए गए एस जी एल फॉर्मो का समुचित अभिलेख रखें।

4.15 प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में सभी खरीद/ विक्री लेनदेन अनिवार्यत: एस जी एल खाते (भारबैं में) अथवा सी एस जी एल खाते (किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक/ राज्य सहकारी बैंक/ प्राथमिक डीलर/ भारतीय स्टॉक धारिता निगम लि. में) अथवा निक्षेपागारों (एन एम डी एल/ सी डी एल/ एन एस सी सी एल) में अभौतिक खातों (डीमेट) के जरिए होने चाहिए।

4.16 किसी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में काई लेनदेन किसी दलाल के जरिए भौतिक रूप में नही किया जाना चाहिए।

4.17 सी एस जी एल/ नामित निधि खाते रखने वाली संस्थाओं के लिए नामित निधि खातों में पूरी निधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना आवश्यक है ताकि लेनदेन करने से पहले विक्री के लिए सी एस जी एल खाते में पर्याप्त प्रतिभूतियों की खरीद की जा सके।

4.18 प्रतिभूतियों में बैंकों का लेनदेन सामान्यत: बडे मूल्यों में होता है। इस लिए लेनदेन पूरा करने से पहले संविदा पूर्ण करने की प्रतिपक्षी की क्षमता सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा, विशेषत: तब जब कि प्रतिपक्षी एक बैंक न हो।

4.19 एस एल आर प्रयोजनों के लिए प्रतिभूतियां खरीदते समय बैंक को प्रति-पक्षी से यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बांड जो वह खरीदना चाहता हैं वह एस एल आर की स्थिति में हैं भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियों की एसएलआर स्थिति की जानकारी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिभूतियों को जारी करते समय दी गयी प्रेस विज्ञप्ति में दर्शायी जाए तथा एसएलआर प्रतिभूतियों की अद्यतन सूची रिज़र्व बैंक की वेबसाईट (www.rbi.org.in) के अंतर्गत "भारतीय अर्थव्यवस्था के आंकडे" लिंक पर पोस्ट की जाएगी।

4.20 जोखिम के संकेद्रण से बचने के लिए बैंकों के पास एक भली प्रकार का बहुमुखी निवेश संविभाग होना चाहिए। छोटे निवेश संविभागों को वरीयत: सरकारी प्रतिभूति जैसी उच्च सुरक्षा एवं तरलता वाली प्रतिभूतियों तक सीमित करना चाहिए।

4.21 प्राथमिक (शहरी) सरकारी बैंक सरकारी प्रतिभूतियों मे निवेश के संबंध में भारतीय प्रथमिक डीलर संघ निर्धारित आय तथा मुद्रा बाजार डीलर संघ (फिम्डा) का दिशानिर्देश प्राप्त कर सकते हैं।

तयशुदा लेन-देन प्रणाली – ऑर्डर मैचिंग

4.22 18 नवंबर 2011 से सभी लाईसेंस प्राप्त शहरी सहकारी बैंक जो 18 नवंबर 2012 के परिपत्र आईडीएमडी.डीओडी.सं. 13/10.25.66/2011-12 में निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार पात्र हैं उन्हें एनडीएस ओएम तक सीधी पहुंच की अनुमति दी जाएगी। एनडीएस ओएम तक सीधी पहुंच के पात्रता मानदंड निम्नानुसार हैं;

ए) भारतीय रिज़र्व बैंक के पास चालू खाता अथवा निधियों के समायोजन के लिए सीसीआईएल द्वारा नामित समायोजन बैंकों मे से एक बैंक के पास निधि खाता।

बी) भारतीय रिज़र्व बैंक के पास एसजीएल खाता।

सी) तयशुदा लेन-देन प्रणाली (एनडीएस) कनैक्टिविटी।

डी) इंडियन फिनान्सिअल नेटवर्क (इन्फिनेट) कनैक्टिविटी

इ) सीसीआइएल की सदस्यता

एफ) जोखिम भारित आस्ति अनुपात के 9% की न्यूनतम पूंजी

जी) 5% से कम निवल गैर निष्पादित आस्तियां।

एच) 25 करोड़ रुपये की निवल संपत्ति।

4.23 सभी पात्र शहरी सहकारी बैंक एनडीएस-ओएम सदस्यता पाने के इच्छुक शहरी सहकारी बैंक एनडीएस - ओएम सदस्यता के लिए आईडीएमडी को आवेदन करने से पहले विनियामक

मंजूरी के लिए प्रधान मुख्य महाप्रबंधक, शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई से संपर्क करे।

4.24 एनडीएस - ओएम सदस्यता के लिए आवेदन करने वाले पात्र शहरी सहकारी बैंको के पास एनडीएस - ओम के लिए प्रत्यक्ष अभिगम के लिए स्थान पर आवश्यक बुनियादी ढांचा होना तथा बुनियादी सुविधाओं की स्थापना के लिए आवश्यक खर्च वहन करने की आवश्यकता है। शहरी सहकारी बैंक यह नोट करे कि भारतीय रिजर्व बैंक में एसजीएल खाता खोलने के बाद (जो एनडीएस - ओएम सदस्यता प्राप्त करने के लिए यूसीबी द्वारा पूर्ण किए जाने वाली कई आवश्यकताओं में से एक है) संबंधित यूसीबी सीएसजीएल खाता धारक के साथ गिल्ट खाता खोल/बनाए नहीं रख सकते हैं। हालांकि, इस तरह के शहरी सहकारी बैंकों, सरकारी प्रतिभूतियों में गैर - प्रतिस्पर्धी बोली - प्रक्रिया की योजना के तहत सरकारी प्रतिभूतियों के लिए बोली लगाना जारी रख सकते हैं।

5. एसजीएल खाते के जरिए लेनदेनों का निपटान

5.1 एस.जी.एल खाता

5.1.1 एस.जी.एल सुविधा वाले बैंको द्वारा एस.जी.एल खातों के माध्यम से अंतरण केवल तभी किया जा सकता है यदि उनका एक नियमित चालू खाता रिज़र्व बैंक में हो। सरकारी प्रतिभूतियों में सभी प्रकार के लेनदेन जिनके लिए एस.जी.एल सुविधा उपलब्ध है, केवल एस.जी.एल खाते के जरिए किए जाने चाहिए ,

5.1.2 विक्री लेन देनों को शामिल करने वाले एस.जी.एल अंतरण फार्मो को जारी करने से पहले बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके पास संबंधित एस.जी.एल खाते में पर्याप्त शेष राशि है। किसी भी परिस्थिति में, किसी बैंक द्वारा किसी दूसरे बैंक के पक्ष में जारी किए गए एस.जी.एल फार्म को एस.जी.एल खाते में पर्याप्त शेष राशि के अभाव में नकारा नही जाना चाहिए। क्रेता बैंक को चेक विक्रेता बैंक से एस जी एल अंतरण फार्म प्राप्त होने के बाद ही जारी करने चाहिए।

5.1.3 यदि एसजीएल अंतरण फार्म एसजीएल खाते में पर्याप्त शेष राशि के अभाव में नकार दिया जाता है, तो जिस बैंक ने फार्म जारी किया है उस पर निम्नलिखित दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी :

5.1.3.1 एस.जी.एल फार्म की राशि (प्रतिभूति के क्रेता द्वारा अदा की गई खरीद की लागत) तुरंत विक्रेता बैंकों के रिजर्व बैंक में चालू खाते में नामे लिख दी जाएगी।

5.1.3.2 इस प्रकार नामे दर्ज करने के बाद यदि चालू खाते में कोई ओवर ड्राफ्ट हो तो रिजर्व बैंक द्वारा विचारधीन दिवस की भारतीय मितीकाटा और वित्त गृह लि. की मांग मुद्रा उधार दर से 3% अधिक की दर पर ओवरड्राफ्ट की राशि पर दण्डात्मक ब्याज लगाया जाएगा।

5.1.3.3 यदि एस जी एल फार्म तीन बार नकार दिया जाता है तो बैंक को तीसरी बार नकारे जाने की तारीख से 6 माह की अवधि के लिए एस जी एल सुविधा के प्रयोग से कारोबार करने से वंचित कर दिया जाएगा।

यदि सुविधा फिर चालू होने के बाद बैंक का कोई एस जी एल फार्म पुन: नकार दिया जाता है तो बैंक को रिजर्व बैंक के सभी पी डी ओ में एस जी एल सुविधा से स्थाई रूप से वंचित कर दिया जाएगा।

5.2 एस जी एल फॉर्म

5.2.1 एस.जी.एल अंतरण फॉर्म रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानक प्रारुप में एक समान आकार के अर्ध सुरक्षा पत्र पर मुद्रित होना चाहिए। इन्हें क्रम से अंकित किया जाना चाहिए तथा प्रत्येक एस जी एल फॉर्म को हिसाब में लेने के लिए एक नियंत्रण प्रणाली होनी चाहिए।

5.2.2 एस. जी. एल अंतरण फॉर्म बैंक के दो प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित होने चाहिए जिनके हस्ताक्षर संबंधित लोक ऋण कार्यालय (पी डी ओ) में दर्ज होने चाहिए।

5.2.3 क्रेता बैंक द्वारा प्राप्त किए गए एस जी एल अंतरण फार्म तुरंत उसके एस जी एल खाते में जमा किए जाने चाहिए। बैंक द्वारा धारित एस जी एल अंतरण फार्म को लौटाकर कोई विक्री नहीं की जानी चाहिए।

5.2.4 विक्रेता बैंक द्वारा क्रेता बैंक के पक्ष में जारी किसी भी एस जी एल अंतरण फार्म के नकारे जाने की सूचना क्रेता बैंक द्वारा तुरंत रिज़र्व बैंक के ध्यान में लाना चाहिए।

5.3 नियंत्रण, उल्लंघन तथा दंड के प्रावधान

5.3.1 जारी किए गए/ प्राप्त किए गए एस जी एल अंतरग फॉर्मो का अभिलेख रखना चाहिए। एस जी एल खातों के संबंध में बैंक की बहियों के अनुसार बकाया को पी डी ओ की बहियों के बकाया से मिलना चाहिए। संबंधित पी डी ओ एस जी एल/ सी एस जी एल खातों की शेष राशियों का मासिक विवरण सभी खाता धारकों को भेजेगा। जिन प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के पी डी ओ में एस जी एल/ सी एस जी एल खाते हैं वे इन विवरणों का इस्तेमाल अपने एसजीएल/ सीएसजीएल शेष राशियो का अपनी बहियो के अनुसार मासिक मिलान करने के उद्देश्य से कर सकते हैं तथा इस संबंध में स्थिति निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत करनी चाहिए। इस मिलान की आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग द्वारा आवधिक रुप से जाँच भी की जानी चाहिए। अन्य बैंकों से प्राप्त एस जी एल अंतरण फॉर्मो की विश्वसनीयता के सत्यापन और प्रधिकृत हस्ताक्षर कर्ताओं की पुष्टिकरण हेतु एक प्रणाली होनी चाहिए।

5.3.2 बैंकों को संबंधित पी डी ओ को एक तिमाही प्रमाण पत्र भी भेजना चाहिए जिसमें यह दर्शाया गया हो कि पी डी ओ के एस जी एल खाते में पडी शेष राशियों का मिलान कर लिया गया है और इसे निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र की एक प्रति शहरी बैंक विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को भेज दी गई है।

5.3.3 बैंको को प्रतिभूतियों के लेनदेनों के ब्योरे, अन्य बैंको द्वारा जारी किए गए एस जी एल अंतरण फॉर्मो के नकारे जाने के ब्योरे और उक्त अवधि के दौरान किए गए निवेश लेनदेनों की समीक्षा की मासिक आधार पर उच्च प्रबंधन को सूचना देने की एक प्रणाली स्थापित करनी चाहिए।

5.3.4 सभी वचन-पत्रों, डिबेंचरों, शेयरों, बांडों आदि का ठीक प्रकार से रेकार्ड रखना चाहिए तथा उन्हें संयुक्त अभिरक्षा में रखा जाना चाहिए। अलग से एक रजिस्टर रखा जाए जिसमें ली गई/ पुन: जमा की गई प्रतिभूतियों के विवरण दर्ज़ हों। इनका आवधिक सत्यापन जैसे तिमाही या छ:माही में एकबार ऐसे व्यक्तियो द्वारा करवाया जाना चाहिए जो इनकी अभिरक्षा से संबंधित न हों।

5.3.5 अन्य संस्थाओं में दर्ज़ प्रतिभूतियों के संबंध में प्रमाणपत्र तिमाही/छ:माही अंतरालों पर प्राप्त किया जाना चाहिए। इसी प्रकार, प्रति पक्ष के बकाया बैंक रसीदों का मासिक अंतरलो पर और पी डी ओ में एस जी एल खाता शेष का मासिक अंतरलों पर मिलान करना आवश्यक हैं।

5.3.6 आंतरिक निरीक्षकों तथा संगामी लेखा परीक्षकों को लेनदेनों की निगरानी करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सौदे बैंक के सर्वोच्च हित में किए गए हैं। सतर्कता कक्ष को बड़े लेनदेनों के नमूने के तौरे पर आकस्मिक जाँच करनी चाहिए।

5.3.7 संगामी लेखा परीक्षकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक तिमाही के सूचना देने के लिए नियत अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार तथा भारतीय रिजर्व बैंक को दी गई सूचना के अनुसार बैंक द्वारा धारित निवेश वास्तव में उसके स्वामित्व में/ उसके द्वारा धारित है जैसा कि भौतिक प्रतिभूतियों अथवा बकाया विवरण में बतौर प्रमाण दिया गया है। इस प्रकार का प्रमाण पत्र संबंधित तिमाही की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर शहरी बैंक विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसके क्षेत्राधिकार में बैंक आता है।

6. बैंक रसीदें (बीआर)

6.1 बैंक रसीद का उपयोग कब करें

6.1.1 किसी भी परिस्थिति में सरकारी प्रतिभूतियो के लेनदेनों के संबंध में कोई बैंक रसीद नहीं जारी की जानी चाहिए जिसके लिए एस जी एल सुविधा उपलब्ध है।

6.1.2 अन्य प्रतिभूतियों के मामले में भी निम्नलिखित परिस्थितियों में हाजिर लेनदेनों के लिए बैंक रसीद जारी की जाए :

6.1.2.1 जारीकर्ता द्वारा स्क्रिप्स अभी जारी की जानी हैं और बैंक के पास आबंटन सूचना हो ।

6.1.2.2 भौतिक रूप से प्रतिभूति किसी दूसरे केंद्र में रखी गई है और बैंक इस स्थिति में हो कि वह भौतिक रुप से प्रतिभूति का अंतरण और अल्प समयावधि के भीतर उसकी सुपुर्दगी कर सके।

6.1.2.3 अंतरण/ ब्याज भुगतान के लिए प्रतिभूति जमा कर ली गई है और बैंक के पास इस प्रकार जमा की गई प्रतिभूतियों का आवश्यक रेकार्ड हो तथा वह अल्प अवधि के भीतर प्रतिभूति की भौतिक रुप से सुपुर्दगी करने की स्थिति में होगा।

6.1.3 बैंक द्वारा रखी गई किसी बैंक रसीद के आधार पर कोई बैंक रसीद जारी नहीं की जानी चाहिए तथा केवल बैंक द्वारा रखी गई बैंक रसीद के लेनदेन के आधार पर ही कोई बैंक रसीद जारी नहीं की जानी चाहिए।

6.1.4 ऐसी बैंक रसीदें जारी की जाएं जिसकी परिधि में केवल बैंक के अपने निवेश खाते आएं और बैंक द्वारा ऐसी कोई बैंक रसीद जारी नहीं की जानी चाहिए जिसके अंतर्गत दलालों सहित अन्य ग्राहकों के खाते से संबंधित लेनदेन आते हों।

6.2 बीआर फार्मों का जारी किया जाना, उनकी अभिरक्षा/ रेकार्ड

6.2.1 बैंक रसीद अर्ध-सुरक्षा कागज पर, मानक प्रारुप में (आई बी ए द्वारा निर्धारित) क्रम संख्या अंकित और बैंक के दो प्रधिकृत अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित रुप में जारी की जानी चाहिए जिनके हस्ताक्षर अन्य बैंकों में दर्ज हों। जिस प्रकार एस जी एल फॉर्मों के मामले में होता है उसी प्रकार प्रत्येक बैंक रसीद फॉर्म को हिसाब में लेने के लिए एक नियंत्रण प्रणाली होनी चाहिए।

6.2.2 अप्रयुक्त बैंक रसीद फॉर्मों की अभिरक्षा तथा उनके इस्तेमाल के लिए एक समुचित प्रणाली होनी चाहिए।

6.2.3 जारी की गई बैंक रसीद और प्राप्त की गई बैंक रसीद के लिए अलग-अलग रजिस्टर रखे जाने चाहिए तथा ऐसी व्यवस्थाएं की जानी चाहिए जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि इनका व्यवस्थित रुप से अनुवर्तन किया जाता है तथा निर्धारित समय सीमा के भीतर उनको परिसमाप्त किया जाता है।

6.2.4 अन्य बैंको से प्राप्त बैंक रसीद की विश्वसनीयता के सत्यापन और प्राधिकृत हस्ताक्षरों के पुष्टीकरण के लिए एक प्रणाली होनी चाहिए।

6.3 बैंक रसीद के माध्यम से निपटान

6.3.1 किसी बैंक रसीद को 15 दिनों से अधिक समय के लिए लंबित नहीं होना चाहिए।

6.3.2 किसी बैंक रसीद का मोचन केवल स्क्रिप्स की वास्तविक सुपुर्दगी द्वारा किया जाना चाहिए न कि एक लेन देन के लिए दूसरे लेनदेन/हानि की पूर्ति को खारिज करके। यदि किसी बैंक रसीद का मोचन 15 दिनो की वैधता अवधि के भीतर स्क्रिप्स की सुपुर्दगी के द्वारा नहीं होता है तो बैंक रसीद को नकारा मान लिया जाएगा और जिस बैंक ने बैंक रसीद जारी किया है उसे यह मामला रिज़र्व बैंक भेजना चाहिए जिसमें उन परिस्थितियों को बताया गया हो जिसके कारण स्क्रिप्स को निर्धारित अवधि के भीतर सुपुर्द नहीं किया जा सका था और लेनदेनों के निपटान के प्रस्तावित तरीके को भी बताया गया हो।

6.4 नियंत्रण, उल्लंघन तथा दण्ड संबंधी उपबंध

6.4.1 सांविधिक लेखापरीक्षकों को संबंधित कार्यालयों में नियंत्रणों की मौजूदगी उनके परिचालन की, अन्य बातों के साथ, समीक्षा करनी चाहिए और इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष भारतीय रिज़र्व बैंक, शहरी बैंक विभाग, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई 400 018 को प्रषित किया जाए।

6.4.2 बैंक रसीद से संबंधित अनुदेशों का उल्लघंन करने पर दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी जिसमें प्रारक्षित निधि आवश्यकताएं बढाना, भारतीय रिज़र्व बैंक से पुनर्वित का आहरण और मुद्रा बाजार में प्रवेश की

अस्वीकृति शामिल हो सकती है। भारतीय रिज़र्व बैंक इस प्रकार का अन्य दंड भी लगा सकता है जो उसे बैंककारी विनियमन अधिनियचम, 1949(सहकारी सोसायटियों पर यथा लागू) के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त लगे।

6.4.3 आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग द्वारा विसंगतियों के समाधान की आवधिक तौर पर जांच करनी चाहिए।

7. दलालों को रखना

7.1 दलालों के जरिए कारोबार

7.1.1 अंतर-बैंक प्रतिभूतियों से संबंधित लेनदेन सीधे तौर पर बैंकों के बीच होने चाहिए तथा किसी बैंक को इस प्रकार के लेनदेनों में किसी दलाल की सेवाएं नहीं लेनी चाहिए। तथापि, बैंक राष्ट्रीय शेयर बाजार तथा मुंबई शेयर बाजार/ ओ टी सी बाजार के सदस्यों के जरिए आपस में अथवा गैर-बैंकिग ग्राहकों के साथ प्रतिभूतियों का लेनदेन कर सकते हैं जहां लेनदेन पारदर्शी होते हैं। यदि प्रतिभूतियों का कोई लेनदेन राष्ट्रीय शेयर बाजार, भारतीय ओ टी सी बाजार या मुंबई शेयर बाजार में नहीं किया गया हो तो बैंकों द्वारा उसे सीधे तौर पर बिना दलालो के किया जाना चाहिए।

7.1.2 द्वितीयक बाजार (अंतर-बैंक लेनदेनों के अलावा) में अनुमत शयेरों तथा पी एस यू बांडों की खरीद सिर्फ मान्यताप्राप्त शेयर बाजारों तथा पंजीकृत शेयर दलालों के जरिए की जानी चाहिए।

7.1.3 एसबीआई भारतीय मिती काटा और वित्त गृह लि.(डी एफ एच आई) को अंतर- बैंक सहभागिता बाजार में एक दलाल के रूप में काम करने की अनुमति दी गई है। इससे बैंक यदि आवश्यक हो तो उधार लेने, उधार देने के लिए एसबीआई डी एफ एच आई से मध्यस्थता के लिए आग्रह करें। तथापि, यदि चाहें तो बैंक अंतर-बैंक सहभागिता बाजार में सीधे लेनदेन तय करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

7.1.4 यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कैंद्र/ राज्य सरकार के ऋणों का ग्राहक बनने के संबंध में बैंकों के आवेदन सीधे भारतीय रिज़र्व बैंक/ भारतीय स्टेट बैंक के प्राप्तकर्ता कार्यालयों को प्रस्तुत किए जाते हैं और मध्यस्थ या दलालों का इस्तेमाल उसके लिए नहीं करना चाहिए।

7.1.5 इसी तरह, जब निवेश बैंको द्वारा अपने ग्राहकों के जरिए किया जाता है तो बैंक को अपनी मुहरों वाले संबंधित आवेदन सीधे प्राप्तकर्ता कार्यालयों को प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

7.1.6 यदि काई सौदा किसी दलाल के जरिए किया जाता है तो दलाल की भूमिका सौदे के लिए दोनों पक्षों को साथ लाने तक सीमित होनी चाहिए।

7.1.7 दलालों के जरिए सौदे होने के बाद दूसरे पक्ष का खुलासा करने का आग्रह किया जाना चाहिए।

7.1.8 दूसरे पक्ष से संविदा की पुष्टि करने का आग्रह किया जाना चाहिए।

7.1.9 भुगतान प्रक्रिया में दलालों को तनिक भी शामिल नहीं करना चाहिए अर्थात निधि निपटान तथा प्रतिभूति की सुपुर्दगी दोनों सीधे दूसरे पक्ष के साथ करनी चाहिए।

7.2 दलालों का पैनल

7.2.1 बैंकों को अपने निदेशक मंडलों के अनुमोदन से दलालों की एक सूची बनानी चाहिए।

7.2.2 दलालों का परिचय सत्यापित करने के बाद उन्हें सूची में रखना चाहिए उदाहरणार्थ :

(ए) सेबी पंजीकरण

(बी) ऋण बाजार के लिए बी एस ई/ एन एस ई/ ओ टी सी ई आई की सदस्यता

(सी) शेअर बाजार/ बाजारों द्वारा प्रमाणित किए अनुसार गत वर्ष में बाजारी कारोबार।

(डी) बाजार प्रतिष्ठा आदि।

7.2.3 बैंक को सेबी/ संबंधित शेयर बाजारों की वेबसाइटों की जाँच करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दलाल का नाम प्रतिबंधित सूची में नहीं रखा गया है।

7.3 दलालों की सीमाएं

7.3.1 कारोबार के एक असमानुपाती हिस्से का लेनदेन केवल एक या कुछ दलालों के जरिए नहीं किया जाना चाहिए। बैंकों को प्रत्येक अनुमोदित दलाल के लिए कुल संविदा निर्धारित करना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन सीमाओं का उल्लंघन न हो। कृत कारोबार के दलालवार ब्योरों तथा दी गई दलाली का दलालवार अभिलेख रखना चाहिए।

7.3.2 एक वर्ष के दौरान बैंकों द्वारा किए गए कुल लेनदेनों (खरीद तथा विक्री दोनों) के 5% की सीमा को प्रत्येक अनुमोदित दलाल की संपूर्ण उच्चतम संविदा सीमा के रुप में माना जाना चाहिए।

7.3.3 इस सीमा के भीतर बैंक द्वारा प्रवर्तित कारोबार तथा किसी दलाल द्वारा बैंक को दिए गए/ लाए गए कारोबार दोनों ही आ जाने चाहिए।

7.3.4 यह सुचिश्चत किया जाना चाहिए कि सामान्य तौर पर एक वर्ष के दौरान व्यक्तिगत दलालों के जरिए किए गए लेनदेन निर्धारित सीमा से अधिक न हों। तथापि यदि किसी दलाल के लिए समग्र सीमा पार करना आवश्यक हो तो उसके लिए विशेष कारण सौदे करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिखित रुप में दर्ज किए जाने चाहिए। इस प्रकार के मामलों में, उन परिस्थितियों को स्पष्ट करने के बाद निदेशक मंडल का कार्योत्तर अनुमोदन लिया जा सकता है जिनमें उक्त सीमा पार की गई थी।
टिप्पणी: इस संबंध में बैंकों द्वारा उठाए गए कुछ मुद्दों पर स्पष्टीकरण अनुबंध I में दिए गए हैं।

8. भारतीय समाशोधन निगम लि.के माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियों के लेनदनों के संबंध में निपटान

8.1 01 अप्रैल 2003 से सभी सरकारी प्रतिभूतियों के लेनदेन (प्रत्यक्ष और रिपो दोनों) केवल भारतीय समाशोधन निगम लि. के माध्यम से किए जा रहे हैं। बैंकों द्वारा एन डी एस/सी सी आई एल प्रणाली से बाहर निपटान के लिए प्रतिभूतियों में किए गए किसी भी लेनदेन को भारतीय रिज़र्व बैंक उस तारीख से स्वीकार नहीं कर रहा है।

8.2 प्राथमिक (शहरी) सरकारी बैंकों को जो एन डी एस / सी सी आई एल प्रणाली के सदस्य नहीं हैं, किसी एन डी एस सदस्य के गिल्ट खातों/ डीमेट खाते के माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियों का अपना लेनदेन करना चाहिए।

8.3 सरकारी प्रतिभूतियों में सभी प्रत्यक्ष द्वितीयक बाजार लेनदेनों का निपटान 25 मई 2005 से टी+1 आधार पर किया जाएगा। तथापि, सरकारी प्रतिभूतियों में रिपो लेनदेनों के मामले में बाजार प्रतिभागियों के लिए अपनी आवश्यकता के अनुसार टी+0 आधार अथवा टी+1 आधार पर निपटान का विकल्प खुला होगा।

8.4 राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम 2003 के तहत कर्ज जारी करने के लिए पुनर्निर्धारण की रूपरेखा के भाग के रूप में केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों पर आंतरिक तकनीकी समूह ने केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में "जब जारी " बाजार शुरू करने की सिफारिश की थी। "जब जारी"अर्थात " जब, जैसे कि और यदि जारी" का आशय प्रतिभूति का सर्शत लेनदेन है जिसे जारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया है परंतु वास्तव में जारी नहीं किया गया। सभी "जब जारी" लेनदेन एक "यदि" आधार पर किए जाते हैं जिसका परिनिर्धारण यदि तथा जब वास्तविक प्रतिभूति जारी की जाती है तब किया जाना है। केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में "जब जारी" लेनदेन की अनुमति सभी एनडीएस-ओएम सदस्यों को दी गई है। प्रारंभिक लेनदेन ("जब जारी" प्रतिभूतियों की बिक्री या खरीद) केवल एनडीएस-ओएम प्लेटफॉर्म पर ही किए जाएंगे। शहरी सहकारी बैंकों को "जब जारी" लेनदेन का कवर लेग एनडीएस-ओएम प्लेटफॉर्म के बाहर अर्थात टेलीफोन मार्केट के जरिए भी करने की अनुमति होगी। "जब जारी" लेनदेन की रिपोर्टिंग करने के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर में एक बार संशोधन हो जाने के बाद उक्त उपायों को कार्यान्वित कर दिया जाएगा और उसकी सूचना अलग से संबंधित शहरी सहकारी बैंकों को दी जाएगी। "जब जारी" प्रतिभूतियों में किए गए लेनदेन में लेखाकरण निम्न प्रकार किया जाएगा:

(ए) प्रतिभूति जारी करने तक "जब जारी" प्रतिभूति को तुलनपत्र से इतर मद के रूप में बहियों में दर्ज किया जाए।

(बी) "जब जारी" बाजार में तुलनपत्र से इतर निवल स्थिति, मार्केट स्क्रिप-वाइज में दैनिक रूप से "जब जारी" प्रतिभूति के उस दिन के बंद भाव पर दर्ज करना चाहिए। "जब जारी "प्रतिभूति का भाव मालूम न होने की स्थिति में (12 जुलाई 2006 के मास्टर परिपत्र सं 8 में निर्धारित किये गये अनुसार) उसके स्थान पर आधार प्रतिभूति के भाव का उपयोग किया जाए। यदि कोई मूल्य ह्रास हो तो उसे सूचित करें और कोई वृद्धि हो तो उस पर ध्यान न दे।

(सी) "जब जारी" बाजार में तुलनपत्र से इतर (नीवल) स्थिति, स्क्रिप-वार 2.5% जोखिम भारित रहेगी।

(डी) सुपुदर्गी के बाद आधार प्रतिभूति नियंत्रण में रखने के उद्देश्य के आधार पर करारबद्ध मूल्य पर तीन वर्गो में जैसे; **"परिपक्वता के लिए धारित** ", **"बिक्री के लिए उपलब्ध** ", **"व्यापार के लिए धारित** " में वर्गीकृत कर सकते हैं।

8.5 यह स्पष्ट किया जाता है कि "जब जारी" बाजार में जब प्रतिभूतियां खरीदी जाती है सुपुदर्गी के बाद एसएलआर हेतु पात्र हैं।

9. शेयर बाजारों में सरकारी प्रतिभूतियों का कारोबार

9.1 सरकारी प्रतिभूतियों में फुटकर सहित सभी वर्गों के निवेशकों की व्यापक भागीदारी को बढ़ावा देने की दृष्टि से शेयर बाजारों की एक राष्ट्रव्यापी अज्ञात, आदेश चालित, चित्रपट आधारित प्रणाली के जरिए सरकारी प्रतिभूतियों का कारोबार करने की शुरूआत करने का निर्णय लिया गया है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार ईक्विटी का कारोबार होता है। शेयर बाजारों में सरकारी प्रतिभूतियों का कारोबार केवल अभौतिक रूप (डीमैट) में करने की सुविधा रिजर्व बैंक के वर्तमान एनडीएस जो ज्यों के त्यों बना रहेगा, के अतिरिक्त बैंकों में उपलब्ध होगी।

9.2 शहरी सहकारी बैंकों के पास भारतीय रिज़र्व बैंक में एसजीएल खातों से अथवा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक/ प्राथमिक व्यापारी/ राज्य सहकारी बैंक आदि जैसी निर्दिष्ट संस्थाओं के सीएसजीएल के माध्यम से कारोबार की मौजूदा प्रणाली के अतिरिक्त राष्ट्रीय शेयर बाजार, मुंबई शेयर बाजार तथा ओवर दि काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया की स्वचलित आदेश आधारित प्रणाली से सरकारी प्रतिभूतियों का कारोबार अभौतिक रूप (डीमैट) में करने का विकल्प है।

9.3 चूँकि उपर्युक्त शेयर बाजारों में कारोबार की सुविधा सरकारी प्रतिभूतियों में कारोबार करने की वर्तमान प्रणाली के समानांतर क्रियाशील रहेगी, इसलिए शेयर बाजारों में किए गए कारोबारों का समाशोधन उनके संबंधित समाशोधन निगमों/ समाशोधन गृहों द्वारा किया जाएगा। तथापि, शेयर बाजारों के कारोबारी सदस्यों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित किसी संस्था के लिए निपटान प्रणाली में शामिल नहीं किया जाएगा। एसे बैंकों के शेयर बाजार से जुड़े सभी कारोबारों का निपटान प्रत्यक्ष रूप से समाशोधन निगम/ समाशोधन गृह (यदि वे समाशोधन सदस्य हों) या किसी समाशोधन सदस्य अभिरक्षक के माध्यम से किया जाना होगा।

9.4 शेयर बाजारों के संस्थागत निवेशकों के रूप में बैंक केवल प्रतिभूतियां देने तथा उनकी सुपुर्दगी लेने के आधार पर लेनदेन कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में अंतर दिवस के आधार पर भी सरकारी प्रतिभूतियों की मंदड़िया बिक्री की अनुमति नहीं हैं। फिर भी, सुप्रबंधित शहरी सहकारी बैंक जो एनडीएस-ओएम के सदस्य हैं और नियतिम रूप से अपने कोषागार परिचालनों की संगामी लेखापरीक्षा कराते हैं, उन्हें अंतर्दिवसीय आधार पर सरकारी प्रतिभूतियों के अधिविक्रय करने की अनुमति दी गई है। तदनुसार, निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाले शहरी सहकारी बैंक संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से इस प्रकार के लेनदेन करने के लिए अनुमति प्राप्त कर सकते हैं:

ए) एनडीएस- ओएम की सदस्यता

बी) ₹ 25 करोड़ की निवल मालियत, 9% और उससे अधिक का सीआरएआर और निवल अनर्जक आस्तियां (एनपीए) 3% से अधिक न हो।

सी) जोखिम प्रबंधन की सुप्रबंधित प्रथाएं और कोषागार परिचालनों की अनिवार्य संगामी लेखापरीक्षा

साथ ही, शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया है कि वे भारतीय रिज़र्व बैंक के आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के अंतर्दिवसीय अधिविक्रय के संबंध में समय-समय पर जारी किए जाने वाले अनुदेशों/ निदेशों का पालन करें।

9.5 भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी और शेयर बाजारों द्वारा निर्धारित विनियमों के भीतर शेयर बाजारों में प्रतिभागिता को सुगम बनाने की दृष्टि से बैंकों को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

9.5.1 भारतीय रिज़र्व बैंक/प्राधिकृत संस्थाओं में एसजीएल/सीएसजीएल खातों के अलावा एनएसडीएल/सीडीएसएल अथवा एसएचसीआई एल के किसी बैंक निक्षेपागार प्रतिभागी के यहां डीमैट खाते खोलना।

9.5.2 हमारे सरकारी और बैंक लेखा विभाग द्वारा अलग से सभी एसजीएल खाताधारकों को जारी परिचालनात्मक दिशा-निर्देशों के अधीन एसजीएल/सीएसजीएल और डीमैट खातों के बीच प्रतिभूतियों के मूल्य मुक्त अंतरण की सुविधा लोक ऋण कार्यालय, मुंबई पर मुहैया कार्रवाई जा रही है।

9.6 बैंकों द्वारा निक्षेपागारों में रखी गई सरकारी प्रतिभूतियों की शेष राशि की गणना एसएलआर के प्रयोजन के लिए की जाएगी। निपटान की असफलता से (एनडीएस-सीसीआईएल बाजार या शेयर बाजार) सीआरआर/एसएलआर को बनाए रखने में होने वाली किसी कमी के कारण भी सामान्य दंड लगाए जाएंगे।

9.7 मौजूदा एनडीएस-सीसीआईएल बाजार तथा सीधी बोली सुविधा के अतिरिक्त सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए शेयर बाजार के प्लैटफार्म का इस्तेमाल करने के संबंध में प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के निदेशक मंडल सतर्क होकर निर्णय लें। जहां तक सरकारी प्रतिभूतियों के कारोबार का संबंध है, चूँकि सेबी के विनियम भी लागू होंगे इसलिए निदेशक मंडल को एक समुचित नीति बनानी और कार्यान्वित करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परिचालन भारतीय रिज़र्व बैंक/ सेबी और संबंधित शेयर बाजार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार किए गए हैं। परिचालन शुरू होने से पहले संबद्ध अधिकारियों को शेयर बाजारों की बुनियादी परिचालनगत प्रक्रियाओं से स्वयं को परिचित कराना चाहिए।

9.8 **परिचालनगत दिशानिर्देश**

9.8.1 बैंकों को शेयर बाजारों में परिचालन शुरू होने से पहले समुचित आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां भी स्थापित करनी चाहिए जो शेयर बाजार के कारोबार तथा निपटान की जरूरत पूरी करती हों। बैक ऑफिस व्यवस्था इस प्रकार की होनी चाहिए कि एनडीएस/ओटीसी बाजार और शेयर बाजारों में कारोबार का निपटान, समाधान तथा प्रबंधन सूचना के लिए आसानी से पता लगाया जा सके। इसलिए बैंकों को सूचना प्रौद्योगिकी आधार भूत ढाँचा तथा पर्याप्त जोखिम प्रबंधन प्रणालियां स्थापित करनी चाहिए।

9.8.2 खरीद/बिक्री के आदेश देने के लिए सेबी द्वारा पंजीकृत केवल उन दलालों का इस्तेमाल किया जा सकता है जो सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन करने के लिए अनुमत शेयर बाजारों (एनएसई बीएसई या

ओटीसीईआई) द्वारा प्राधिकृत किए गए हैं। दिन की समाप्ति पर कार्यान्वयन का समय दर्शाने वाला एक वैध संविदा नोट दलाल से प्राप्त किया जाना चाहिए।

9.8.3 संबंधित अधिकारियों को दलालों के पास खरीद/ बिक्री के आदेश देने से पहले स्वतंत्र रूप से बाजार में तथा शेयर बाजार से स्क्रीन पर कीमतों की जाँच कर लेनी चाहिए। बैंकों द्वारा निर्णयन प्रक्रियाओं को दलालों को प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता।

9.8.4 किसी दलाल द्वारा किए गए लेनदेन दलालों द्वारा किए गए लेनदेनों पर मौजूदा दिशानिर्देशों के अधीन होंगे।

9.8.5 दलाल/कारोबार सदस्य निपटान प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे। सभी कारोबार समाशोधन सदस्य अभिरक्षकों के मार्फत निपटाए जाने हैं। अत: प्राथमिक (शहरी) सहाकरी बैंकों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे इस प्रकार की सेवा प्रदान करने वाले के साथ पहले ही एक द्विपक्षीय समाशोधन समझौता करें।

9.8.6 सभी लेनदेनों की निगरानी इस दृष्टि से करनी होगी कि निधियों और प्रतिभूतियों की समय पर प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके। किसी प्रकार के विलंब अथवा चूक के मामले को तुरंत संबंधित शेयर बाजार/ प्रधिकारियों के साथ उठाना चाहिए।

9.8.7 कारोबार के समय, प्रतिभूतियां बैंकों के पास उनके एसजीएल या निक्षेपागारों में उनके डीमैट खाते में उपलब्ध होनी चाहिए।

9.8.8 प्रतिभूतियों की गैर-सुपुर्दगी/ निर्बाध निधियों की अनुपलब्धता के कारण निपटान संबंधी किसी प्रकार की चूक को एसजीएल का नकारा जाना समझा जाएगा और एसजीएल नकारे जाने के संबंध में मौजूदा दंड लागू होंगे। शेयर बाजार इस प्रकार की चूकों की सूचना संबंधित लोक ऋण कार्यालयों को देंगे।

9.8.9 शेयर बाजारों की स्क्रीन आधारित व्यापार प्रणाली के माध्यम से सीमित प्रयोजन के लिए किसी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक पर यह शर्त नहीं लागू होगी कि सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन करते समय उसे प्रति-पक्ष के रूप में किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, प्राथमिक डीलर, वित्तीय संस्था, किसी दूसरे प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक, बीमा कंपनी, म्यूचुअल फंड या भविष्य निधि से संपर्क करना चाहिए।

9.8.10 बैंकों को अपने निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति को साप्ताहिक आधार पर सूचना देनी चाहिए जिसमें शेयर बाजारों में किए गए व्यापारों के कुल योग के आधार पर किए गए शेयर बाजारों में बंद लेनदेनों के ब्यौरे दिए गए हों।

9.8.11 बैंकों को प्रतिभूतियों से संबंधित सभी आवश्यक सावधानियां बरतनी चाहिए और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अभी तक जारी तत्संबंधी सभी अनुदेशों/ दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना चाहिए।

10. सरकारी प्रतिभूतियों में तैयार वायदा संविदाएं

10.1 प्रतिभूति संविदा (संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29क से प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी की गई 22 जनवरी 2003 की अधिसूचना सं.एस.ओ.131(ई) के

अनुसार प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक केवल (i) तथा भारत सरकार खजाना बिलों तथा (ii) राज्य सरकारों द्वारा जारी दिनांकित प्रतिभूतियों में तैयार वायदा संविदाएं (विलोम हाज़िर वायदा संविदाओं सहित) कर सकते हैं।

10.2 उपर्युक्त प्रतिभूतियों में हाजिर वायदा संविदाएं निम्नलिखित के साथ की जा सकती हैं:

10.2.1 व्यक्ति या संस्था जिसका भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई में एस जी एल खाता हो।

10.2.2 निम्नलिखित प्रकार की संस्थाएं जिनका भारतीय रिज़र्व बैंक एसजीएल खाता नहीं है लेकिन किसी बैंक या अन्य किसी संस्था (अर्थात अभिरक्षक) के पास गिल्ट खाते (अर्थात गिल्ट खाताधारक) हो, जिन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपने लोक ऋण कार्यालय, मुंबई में ग्राहक सहायक सामान्य खाता बही (सीएसजीएल) बनाए रखने की अनुमति दी गई हो:

(i) कोई अनुसूचित बैंक

(ii) गैर-अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

(iii) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकृत प्राथमिक व्यापारी (पीडी)

(iv) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में यथा परिभाषित सरकारी कंपनियों के अलावा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पंजीकृत कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी

(v) भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड द्वारा पंजीकृत कोई म्युचूअल फंड

(vi) राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा पंजीकृत कोई आवास वित्त कंपनी तथा

(vii) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) द्वारा पंजीकृत कोई बीमा कंपनी।

(viii) कोई भी सूचीबद्ध कंपनी जिसका अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में गिल्ट खाता है; तथा

(ix) कोई भी असूचीबद्ध कंपनी जिसे भारत सरकार ने विशेष प्रतिभूतियां जारी की है और जिसका अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में गिल्ट खाता है।

टिप्पणी : पात्र असूचीबद्ध कंपनिया केवल भारत सरकार द्वारा उन्हें जारी विशेष प्रतिभूतियों की जमानत पर रिपो करार के प्रथम चरण में निधि के उधारकर्ता के रूप में तैयार वायदा लेन-देन में भाग ले सकती हैं। इसके अलावा पात्र गैर सूचीबद्ध कंपनियों की काउंटर पार्टी बैंक या प्रायमरी डीलर होना चाहिए जिनका भारतीय रिज़र्व बैंक में एसजीएल खाता है। (20 जुलाई 2009 के परिपत्र आईडीएमडी. डीओडी.सं. 334/11.08.36/2009-10 का पैरा 3 (क) (ख))

10.3 उपर्युक्त 10.2.2 में निर्धारित सभी व्यक्ति तथा संस्थाएं निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन आपस में हाज़िर वायदा संविदाएं कर सकते हैं:

10.3.1 कोई एसजीएल खाताधारक स्वयं अपने ग्राहक के साथ हाज़िर वायदा संविदा नहीं कर सकता। अर्थात किसी अभिरक्षक तथा उसके गिल्ट खाताधारक के बीच हाज़िर वायदा संविदाएं नहीं की जानी चाहिए।

10.3.2 कोई दो गिल्ट खाताधारक जिनका एक ही अभिरक्षक (अर्थात सीएसजीएल खाताधारक) के पास अपना गिल्ट खाता हो, एक-दूसरे के साथ हाज़िर वायदा संविदाएं नहीं कर सकते, तथा

10.3.3 प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के साथ हाज़िर वायदा संविदाएं नहीं कर सकते। तथापि, यह प्रतिबंध सरकारी प्रतिभूतियों में प्राथमिक व्यापारियों के साथ रेपो लेनदेनों पर लागू नहीं होगा।

10.4 सभी हाजिर वायदा संविदाओं की सूचना तयशुदा लेनदेन प्रणाली (एनडीएस) को दी जानी चाहिए। गिल्ट खाताधारकों से संबंधित हाजिर वायदा संविदाओं के संबंध में अभिरक्षक (अर्थात सीएसजीएल खाताधारक) जिसके पास गिल्ट खाते रखे गए हैं, अपने ग्राहकों (गिल्ट खाताधारक) की तरफ से तयशुदा लेनदेन प्रणाली को लेनदेनों के बारे में सूचना देने के लिए जिम्मेदार होगा।

10.5 सभी हाज़िर वायदा संविदाओं का निपटान रिज़र्व बैंक में ग्राहकों के एसजीएल खातों या भारतीय रिज़र्व बैंक में भारतीय समाशोधन निगम लि. के सीएसजीएल खातों के जरिए किया जाएगा जो इस प्रकार के सभी हाजिर वायदा लेनदेनों के लिए केंद्रीय प्रतिपक्ष के रूप में कार्य करता है।

10.6 अभिरक्षक को आंतरिक नियंत्रण तथा संगामी लेखापरीक्षा की एक प्रभावी प्रणाली स्थापित करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि:

10.6.1 हाजिर वायदा लेनदेन गिल्ट खाते में प्रतिभूतियों के केवल स्पष्ट शेष के प्रति किया जाता है,

10.6.2 इस प्रकार के सभी हाजिर वायदा लेनदेनों की सूचना तुरंत तयशुदा लेनदेन प्रणाली (एनडीएस) को दी जाती है, तथा

10.6.3 उपर्युक्त सभी शर्तों एवं निबंधनों का अनुपालन किया गया है।

10.7 प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक केवल निर्धारित सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) संबंधी अपेक्षाओं से अधिक राशि में धारित प्रतिभूतियों में ही हाजिर वायदा लेनदेन कर सकते हैं।

10.8 किसी हाजिर वायदा लेनदेन के प्रथम चरण में प्रतिभूतियों के किसी बिक्रेता द्वारा संविभाग में प्रतिभूतियों को वास्तविक रूप में धारित किए बिना बिक्री संबंधी कोई लेनदेन नहीं किया जाना चाहिए।

10.9 हाजिर वायदा संविदाओं के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां संविदा की अवधि के दौरान नहीं बेची जानी चाहिए।

10.10 बाई-बैक व्यवस्था के विरुद्ध प्रतिबंध

10.10.1 बैंकों को खजाना बिलों सहित सरकारी प्रतिभूतियों में दोहरे हाजिर वायदा लेनदेन नहीं करना चाहिए।

10.10.2 कोई हाजिर वायदा तथा दोहरा हाजिर वायदा लेनदेन न तो बैंकों के बीच और न ही सार्वजनिक क्षेत्र के बांडों, भारतीय यूनिट ट्रस्ट की यूनिटों आदि जैसी अन्य प्रतिभूतियों में उनके निवेश खातों में किया जाना चाहिए।

10.10.3 कोई हाजिर वायदा तथा दोहरा हाजिर वायदा लेनदेन दलालों सहित अन्य ग्राहकों की तरफ से सरकारी प्रतिभूतियों सहित किसी प्रतिभूति में नहीं किया जाना चाहिए।

11 कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियों में तैयार वायदा संविदा

11.1 अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों को कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियों में तैयार वायदा संविदाओं का कार्य करने के लिए सहभागियों के रूप में शामिल करने की अनुमति दी गई है जो वित्तीय रूप से सुदृढ हों और जोखिम प्रबंध की मज़बूत प्रथाएं अपनाते हों। तदनुसार, निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाले अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों को ही उपर्युक्त लेनदेन करने की अनुमति दी जाएगी:

क) 10 % या उससे अधिक सीआरएआर और 5% से कम सकल एनपीए तथा पिछले तीन वर्षों में लाभ अर्जित करने का सतत रिकार्ड

ख) जोखिम प्रबंध की मज़बूत प्रथाएं और निवेश पोर्टफोलियो की अनिवार्य समवर्ती लेखापरीक्षा।

11.2 इसके अलावा, कॉरपोरेट बांडों में किए जाने वाले रिपो लेनदेन केवल अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों/ प्राथमिक व्यापारियों के साथ किए जाएं और इसके लिए अन्य बाज़ार सहभागियों का प्रयोग न किया जाए। रिपो लेनदेन में उधारकर्ता के रूप में कार्य करने वाले शहरी सहकारी बैंक, ऋण जोखिम के अनुरूप प्रति-पार्टी ऋण जोखिम के लिए इस प्रकार प्रावधान करें जिस प्रकार ऋण/निवेश एक्सपोजर पर किया जाता हो।

शहरी सहकारी बैंक यह सुनिश्चित करें कि तुलन-पत्र में पहले शामिल अन्य गैर-एसएलआर निवेश सहित रिपो के अंतर्गत अर्जित प्रतिभूतियां, गैर एसएलआर निवेश हेतु विनिर्दिष्ट उच्चतम सीमा के अंदर हों(पिछले वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार बैंक की कुल जमा राशि का 10 %)। रिपो के अंतर्गत लिया गया उधार, निधि मांग मुद्रा उधार हेतु विनिर्दिष्ट सीमा के अंदर हो (अर्थात् पिछले वर्ष की जमा – राशि का 2%) ।

11.3 बैंक द्वारा रिपो के माध्यम से ली गई राशि को बैंक की मांग और मीयादी देयताओं के एक भाग के रूप में हिसाब में लिया जाएगा और उस पर सीआरआर / एसएलआर लागू होगा।

11.4 शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग द्वारा समय-समय पर कॉरपोरेट बांडों में रिपो संबंधी जारी किए जाने वाले निदेशों का पालन किया जाए।

12. रिपो/ रिवर्स रिपो लेनदेनों के लिए लेखाकरण के संदर्भ में अनुदेश

भारतीय रिज़र्व बैंक ने (आईडीएमडी) ने सरकारी प्रतिभूतियां तथा कारपोरेट डेट प्रतिभूतियां मार्केट रिपो लेन-देन के लेखाकरण के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए है। अनुबंध IV में यह दिशानिर्देश दिए गए हैं।

13. गैर-एसएलआर निवेश

13.1 बैंकों के गैर-एसएलआर निवेश संविभाग से उत्पन्न होने वाले जोख़िमों को नियंत्रित करने के लिए बैंक निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन करें:

13.1.1 विवेकपूर्ण सीमा

गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) निवेश किसी शहरी सहकारी बैंक के गत वर्ष के 31 मार्च को कुल जमाराशियों के 10 प्रतिशत की सीमा में जारी रहेंगे।

13.1.2 लिखत

शहरी सहकारी बैंक निम्नलिखित लिखतों में निवेश कर सकते हैं:

(ए) "ए"अथवा समतुल्य एवं *उच्चतर* रेटेड वाणिज्यिक पत्रों (सीपी), डिबेंचरों तथा बांड

(बी) ऋण म्युचुअल फंड तथा मुद्रा बाजार म्युचुअल फंड की यूनिटें

(सी) बाज़ार अवसंरचना (मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर) कंपनियों के शेयर

13.1.3 प्रतिबंध

(ए) सतत ऋण लिखतों में निवेश की अनुमति नहीं है।

(बी) गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में निवेश उपर्युक्त 13.1.2 (ए) में निर्धारित एक न्यूनतम दर निर्धारण के अधीन होगा और किसी भी समय कुल गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेशों के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। जहाँ बैंकों ने पहले ही निर्धारित सीमा को पार कर लिया है वहाँ ऐसी प्रतिभूतियों में और निवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। सूचीबद्ध होने के लिए प्रस्तावित परंतु अभिदान के समय में सूचीबद्ध नहीं है, ऐसे प्रतिभूतियों को जारी करने तथा लिस्टिंग के बीच एक समयांतर होता है, अत: बैंको को गैर (एस एल आर प्रतिभूतियों के प्राथमिक निर्गम में सहभागी होना संभव नहीं है। उपर्युक्त को ध्यान मे रखते हुए बैंकों द्वारा गैर एस एल आर ऋण प्रतिभूतियों में निवेश (प्राथमिक तथा अनुषंगी दोनो ही बाजारों में) जहां प्रतिभूति एक्सचेंज में सूचीबद्ध किए जाने का प्रस्ताव निवेश के समय सूचीबद्ध प्रतिभूति में निवेश के रुप में माना जा सकता है। यद्यापि, ऐसी प्रतिभूति निर्धारित समय में सूचीबद्ध नहीं होती है तो इस प्रकार के निवेश गैर सूचीबद्ध गैर एस एल आर प्रतिभूतियों के अंतर्गत शामिल 10 प्रतिशत की सीमा के लिए माना जाएगा। गैर सूचीबद्ध गैर -एस एल आर (प्रतिभूतियों ऐसे निवेश शामिल करने पर इसे 10 प्रतिशत की सीमा का उल्लंघन समझा

जाएगा तथा बैंक को उक्त सीमा तक पहुंचने तक गैर एस एल आर प्रतिभूतियों में निवेश (प्राथमिक और अनुषंगी दोनों ही बाजारों में) करने की अनुमति नहीं होगी।

(सी) बहुत भारी छूट/ जीरो कूपन बॉण्डों में निवेश अवशिष्ट अवधि के लिए ऊपर वर्णित न्यूनतम दर निर्धारण और समतुल्य बाजार प्रतिफल के अधीन होगा। तथापि 18 फरवरी 2011 के परिपत्र शबैंवि.(पीसीबी).बीपीडी.परि.सं. 36/16.20.000/2010-11 के माध्यम से सूचित किए गए अनुसार बैंकों को जीरो कूपन बांडो में निवेश करने की अनुमति नहीं है जब तक जारीकर्ता सभी उपार्जित ब्याज हेतु निक्षेप निधि तैयार नहीं करते है तथा तरल निवेश/ प्रतिभूती (सरकारी बांडो में) के रूप में निवेश नहीं करते है।

(डी) ऋण म्यूचुअल फंडों और मुद्रा बाजार म्यूचुअल फंडों को छोड़कर म्यूचुअल फंडों की इकाइयों में निवेश की अनुमति नहीं है। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (यूटीआई) सहित ऋण म्यूचुअल फंडों और मुद्रा बाजार म्यूचुअल फंडों को छोडकर म्यूचुअल फंडों की इकाइयों में विद्यमान धारिता को विनिर्दिष्ट किया जाए। उस समय तक जब तक वे शहरी सहकारी बैंक के खातों में धारित हैं उन्हें 13.1.1 में बताए गए सीमा की गणना के लिए गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश के रूप में माना जाएगा। तथापि, शहरी सहकारी बैंक जोखिम प्रबंध नीति की इस प्रकार समीक्षा करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी म्यूचुअल फंड की किसी भी योजना में अनुपात से अधिक उनका निवेश नहीं है।

(इ) ऋण म्यूचुअल फंडों और मुद्रा बाजार म्यूचुअल फंडों और वाणिज्यिक पत्रों को छोड़कर गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश एक वर्ष से अधिक की मूल परिपक्वता वाला निवेश होगा।

(एफ) अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं (एआईएफआई) के शेयरों में नए निवेशों की अनुमति नहीं है। इन संस्थाओं में विद्यमान शेयर धारिता को चरणबद्ध रूप से समाप्त किया जाए और उस समय तक जब तक वे शहरी सहकारी बैंकों की बहियों में धारित हैं उन्हें 13.1.1 में निर्धारित सीमा की गणना के लिए गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश के रूप में माना जाएगा।

(जी) गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात श्रेणी के अंतर्गत सभी नए निवेशों को कारोबार के लिए धारित (एचएफटी)/बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) श्रेणियों के लिए यथालागू बाज़ार के लिए अंकित श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा। यद्यपि आधारभूत संरचना गतिविधियों मे लगी और न्यूनतम सात वर्षो की अवशिष्ट परिपक्वता रखनेवाली कंपनियों द्वारा जारी दिर्घावधिक बांडों मे शहरी सहकारी बैंको द्वारा किया गया निवेश भी एच टी एम संवर्ग के अधीन वर्गीकृत किया जाएगा।

(एच) सभी गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश निर्धारित विवेकपूर्ण एकल/समूह काउंटरपार्टी निवेश सीमा के अधीन होंगे।

(आई) गौण बाजार गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेशों के अर्जन/बिक्री के लिए सभी लेनदेन काउंटरपार्टियों के रूप में केवल वाणिज्यिक बैंकों/प्राथमिक व्यापारियों के साथ किया जाए।

(जे) बाज़ार अवसंरचना (मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर) कंपनियों में सदस्यता प्राप्त करने के लिए यदि आवश्यक है तो शहरी सहकारी बैंकों को अनुच्छेद सं 13.1.1 और 13.1.3(बी) में निर्धारित अनुसार गैर एसएलआर/ अननुसूचित प्रतिभूतियों में निवेश की सीमा को पार करने की अनुमति दी गई है। शहरी सहकारी बैंकों द्वारा निवेश के लिए पात्र बाज़ार अवसंरचना (मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर) कंपनी दि क्लियरिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और सोसाईटी फोर वर्लड वाईड इंटर बैंक फाईनेंशियल टेलिकम्यूनिकेशन (स्विफ्ट) हैं। पात्र बाज़ार अवसंरचना (मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर) कंपनियों की सूची को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय समय पर अद्यतित किया जाएगा।

टिप्पणी: कुछ मदें जैसे, रेटेड प्रतिभूति, निवेश ग्रेड रेटिंग, आदि के केलिए कृपया अनुबंध II देखे।

13.1.4. निवेश नीति

बैंक अपनी निवेश नीति की समीक्षा करें तथा यह सुनिश्चित करें कि उसमें वर्तमान में दी गई अनुमति के अनुसार गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात लिखतों में किए जाने वाले निवेश की प्रकृति एवं सीमा, जोखिम के लिए मापदंडों तथा निवेश धारित/हटा लेने की हानि-रहित सीमाओं का प्रावधान किया गया है। गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेशों के संबंध में जोखिम का पता लगाने तथा उसका विश्लेषण करने तथा समय पर उपचारात्मक उपाय करने के लिए बैंकों को समुचित जोखिम प्रबंधन प्रणालियाँ स्थापित करनी चाहिए।

13.1.5 समीक्षा

बोर्ड द्वारा कम से कम छ:माही अंतरालों पर गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश के निम्नलिखित पहलुओं की समीक्षा की जानी चाहिए :

ए) सूचना अवधि के दौरान कुल व्यवसाय (निवेश एवं विनिवेश)।

बी) गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश के लिए निर्धारित विवेकपूर्ण सीमाओं का अनुपालन।

सी) गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात प्रतिभूतियों पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों का अनुपालन।

डी) जारीकर्ताओं/बैंक की बहियों में धारित प्रतिभूति निर्गमों की रेटिंग में परिवर्तन तथा उसके परिणामस्वरूप संविभाग की गुणवत्ता में हानि।

इ) गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात श्रेणी के अंतर्गत अनर्जक निवेशों की सीमा और उनके लिए पर्याप्त प्रावधान।

13.1.6 **प्रकटन**

बैंकों को अनुबंध III में दर्शाए गए अनुसार तुलनपत्र के 'नोट्स ऑन अकाउंट्स' के अंतर्गत गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेशों तथा अनर्जक निवेशों के जारीकर्तावार संघटन का ब्यौरा प्रकट करना चाहिए।

13.2 **प्रतिभूतिकरण कंपनी/ पुनर्निर्माण कंपनी के माध्यम से प्राप्त बांड/डिबेंचर**

i) बैंकों द्वारा प्रतिभूतिकरण कंपनी/पुनर्निर्माण कंपनियों को वित्तीय आस्तियों की बिक्री से प्राप्त बिक्री प्रतिफल के रूप में प्राप्त बांडों/डिबेंचरों को बैंकों की बहियों में गैर-एसएलआर निवेशों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और तदनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथापरिभाषित बैंकों के गैर-एसएलआर निवेशों पर लागू होने वाले मूल्यन, वर्गीकरण तथा अन्य मानदंड प्रतिभूतिकरण कंपनी/पुनर्निर्माण कंपनियों से बिक्री प्रतिफल से बैंकों द्वारा प्राप्त लिखतों पर लागू होंगे। प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को पिछले वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों के लिए अपनी जमाराशि के 10% की सीमा से अधिक इन निवेशों को धारित करने की अनुमति है। प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को प्रतिभूति प्राप्तियों, पास-थ्रू प्रमाणपत्रों या प्रतिभूतिकरण कंपनी/पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा जारी किए गए बांडों/डिबेंचरों में सीधे कोई निवेश करने की अनुमति नहीं है। बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के तहत पंजीकृत शहरी सहकारी बैंकों को उनके द्वारा प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी)/ पुनर्निर्माण कंपनी (आरसी) को वित्तीय आस्तियों की बिक्री के संदर्भ में एससी/ आरसी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीद का निवेश करने के लिए अनुमति दिया गया है। फिर भी शहरी सहकारी बैंकों को यह सुनिश्चित करना है कि कार्यक्षेत्र के सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार के अंतरण में भाग लेने से उन्हें सीमित करते हुए कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। बहुराज्य शहरी सहकारी बैंकों द्वारा प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी)/ पुनर्निर्माण कंपनी (आरसी) को वित्तीय आस्तियों की बिक्री पर पालन किए जाने हेतु दिशानिर्देश तैयार करते हुए उसे अनुबंध में रखा गया है। उक्त दिशानिर्देश को बैंक के बोर्ड के समक्ष रखा जाए तथा उनके कार्यान्वयन के लिए उचित कार्रवाई की जाए।

ii) जब कोई बैंक अपनी वित्तीय आस्तियां प्रतिभूतिकरण कंपनी/पुनर्निर्माण कंपनियों को बेचता है तो अंतरण के बाद उन्हें बैंक की बहियों से हटा दिया जाएगा।

iii) यदि प्रतिभूतिकरण कंपनी/पुनर्निर्माण कंपनियों को बिक्री निवल बही मूल्य (एनबीवी) (अर्थात बही मूल्य से धारित प्रावधान घटाकर) से कम कीमत पर की गई हो तो कमी को ऋणों को बट्टे-खाते डालने से संबंधित सहकारी सोसायटियां अधिनियमों/नियमों/प्रशासनिक दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अधीन बट्टे-खाता/उस वर्ष के लाभ एवं हानि खाते के नामे किया जाना चाहिए।

iv) यदि बिक्री निवल बही मूल्य (एनबीवी) से अधिक कीमत पर की गई हो तो अतिरिक्त प्रावधान को प्रत्यावर्तित किया जाएगा लेकिन उसका उपयोग प्रतिभूतिकरण कंपनी/पुनर्निर्माण कंपनियों को अन्य वित्तीय आस्तियों की बिक्री के कारण हुई कमी/घाटे को पूरा करने में किया जाएगा।

13.3 **प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशियों का निवेश**

13.3.1 **विवेकपूर्ण अंतर बैंक (सकल) निवेश सीमा**

मांग मुद्रा /सूचना मुद्रा और जमारशियों सहित सभी प्रयोजनों के लिए अन्य बैंकों (अंतर-बैंक) में किसी शहरी सहकारी बैंक द्वारा रखी गई कुल जमारशियाँ यदि कुछ हों, और समाशोधन सुविधा, ग्राहकों की सहायक सामान्य खाता बही (सीएसजीएल) सुविधा, मुद्रा तिजोरी सुविधा, विप्रेषण सुविधा और बैंक गारंटी, साख पत्र अदि जैसी गैर-निधि आधरित सुविधाओं के लिए रखी गई हो तो उसे गत वर्ष के 31 मार्च तक अपनी कुल जमा देयताओं के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चहिए । वणिज्यिक बैंकों में और अनुमत अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों में जमालेखा तथा अंतर-बैंक के निवेश के रूप में वणिज्यिक बैंकों द्वारा जारी जमा प्रमाणपत्रों में निवेश के रूप में धरित शेष को इस 20 प्रतिशत की सीमा में शमिल किया जाएगा ।

छोटे गैर अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के मामले में समाशोधन सुविधा के लिए उप सदस्य समाशोधन व्यवस्था हेतु तुलनात्मक रूप से बडे गैर अनुसूचित बैंकों के साथ चालू खाता/ज़रूरी न्यूनतम शेष रख रहे हैं। गैर अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक जिनके पास जमा रखा गया है उनकी वित्तीय स्थिति, व्यापार में अप्रत्याशित पतन से प्रभावित होने की संभावना है,जिससे जमा रखने वाले बैंक की वित्तीय स्थिति एवं कारोबार पर बुरा प्रभाव आ सकते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, समाशोधन व्यवस्था के तहद जो गैर अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक अन्य गैर अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक के पास जमा रखे हुए हैं उनको यह सूचित किया जाता है कि उक्त बैंक के मुद्रित तुलनपत्र एवं लाभ-हानि खाते के आधार पर अपने एक्सपोज़र का समय समय पर पुनरीक्षण करें।

13.3.2 **विवेकपूर्ण अंतर-बैंक काउंटरपार्टी सीमा**

विवेकपूर्ण अंतर-बैंक (सकल) निवेश सीमा के भीतर किसी एकल बैंक के पास जमाराशियाँ गत वर्ष के 31 मार्च तक जमा करने वाले बैंक की कुल जमा देयताओं के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

13.3.3 **विवेकपूर्ण सीमा में छूट**

संबंधित जिले के मध्यवर्ती सहकारी बैंक अथवा संबंधित राज्य के राज्य सहकारी बैंक में शहरी सहकारी बैंकों द्वारा अनुरक्षित शेषों को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 24 के प्रावधानों के अंतर्गत सांविधिक चलनिधि अनुपात माना जाएगा। इन जमाराशियों को अंतर-बैंक निवेश सीमा पर विवेकपूर्ण सीमा से छूट दी गई है [पैरागाफ 13.3.1 तथा 13.3.2]।

13.3.4 अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों, गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों द्वारा जमाराशियों का निवेश 17 मई 2003 के हमारे परिपत्र बीपीडी.पीसीबी.परि.46/16.20.00/2002-03 द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार जारी रहेगा। तथापि, किसी अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक में किसी गैर-

अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक द्वारा गई जमाराशियाँ गत वर्ष के 31 मार्च तक जमाकर्ता बैंक की कुल जमाराशि जमाकर्ता बैंक की कुल जमा देयता के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। किसी अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक द्वारा स्वीकृत कुल अंतर-शहरी सहकारी बैंक जमाराशियाँ पिछले वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को उसकी कुल जमा देयताओं के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

13.3.5 निर्धारित विवेकपूर्ण सीमाओं को ध्यान में रखते हुए शहरी सहकारी बैंकों को अपनी निधि स्थिति, चलनिधि और अन्य बैंकों में जमाराशियों के निवेश के लिए अन्य आवश्यकताओं, निधियों की लागत, ऐसी जमाराशियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ की दर और ब्याज मार्जिन, काउण्टर पार्टी जोखिम आदि पर विचार करते हुए एक नीति तैयार करें और उसे अपने निदेशक बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करें। बोर्ड कम से कम छमाही अंतरालों पर स्थिति की समीक्षा करे।

14. आंतरिक नियंत्रण और निवेश लेखाकरण

14.1 आंतरिक नियंत्रण

14.1.1 किए गए प्रत्येक लेनदेन के लिए एक सौदा पर्ची बनाई जानी चाहिए जिसमें प्रति-पक्ष के नाम से संबंधित ब्यौरा होना चाहिए कि क्या यह एक प्रत्यक्ष सौदा है या दलाल ले माध्यम से किया गया सौदा और यदि दलाल के माध्यम से किया गया हो तो प्रतिभूति, राशि, मूल्य, संविदा तिथि तथा समय का ब्यौरा उसमें होना चाहिए। प्रत्येक सौदे के लिए प्रति-पक्ष को पुष्टि की सूचना जारी करने की एक प्रणाली होनी चाहिए।

14.1.2 सौदा पर्चियां क्रम से अंकित होनी चाहिए तथा अलग से नियंत्रित भी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें उचित रूप से हिसाब में लिया गया है।

14.1.3 दलाल/ प्रति-पक्ष से प्राप्त वास्तविक संविदा नोट्स के सत्यापन के बाद पारित वाउचरों तथा प्रति-पक्ष द्वारा सौदे की पुष्टि के आधार पर लेखा अनुभाग को स्वतंत्रतापूर्वक लेखा-बहियों में प्रविष्टि करनी चाहिए।

14.1.4 किए गए सौदों तथा भुगतान की गई दलाली के दलालवार ब्यौरे का रिकॉर्ड बनाए रखना चाहिए।

14.1.5 आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग को प्रतिभूतियों में लेनदेनों की लेखापरीक्षा सतत आधार पर करना चाहिए तथा निर्धारित प्रबंधन नीतियों एवं क्रियाविधियों की निगरानी करनी चाहिए तथा कमियों के बारे सूचना सीधे बैंक के प्रबंधतंत्र को देनी चाहिए।

14.2 निवेश लेखाकरण

14.2.1 लेखाकरण मानक

बैंकों में भारतीय यूनिट ट्रस्ट की यूनिटों और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं की इक्विटी से प्राप्त आय को एक कारगर प्रथा के रूप में बही खाते में दर्ज़ करने की एक समान लेखाकरण प्रथा की शुरुआत करने के लिए इस प्रकार की आय को नकदी आधार पर न कि उपचय आधार पर बही खाते में दर्ज किया जाना चाहिए। तथापि, सरकारी प्रतिभूतियों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा अखिल

भारतीय वित्तीय संस्थाओं से होने वाली आय के संबंध में जहां लिखतों पर ब्याज दरें पूर्व-निर्धारित हैं, आय को उपचय आधार पर दर्ज किया जाए बशर्ते ब्याज का भुगतान नियमित रूप से किया जाता हो न कि राशि के रूप में।

14.2.2 **खंडित अवधि का ब्याज - सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां**

14.2.2.1 प्रतिभूतियों के अर्जन के समय सरकारी प्रतिभूतियों पर भुगतान किए गए खंडित अवधि के ब्याज के लेखाकरण प्रणाली में एक रूपता लाने और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा निर्धारित लेखाकरण मानदंडों का अनुपालन करने की दृष्टि से बैंक को विक्रेता को कीमत के रूप में भुगतान किए गए खंडित अवधि के ब्याज का पूँजीकरण नहीं करना चाहिए बल्कि इसे लाभ और हानि लेखा के अंतर्गत एक मद के रूप में मानना चाहिए।

14.2.2.2 इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि उपर्युक्त लेखाकरण प्रणाली में कराधान के प्रभावों पर विचार नहीं किया जाता और इसलिए बैंक को आयकर प्रधिकारियों द्वारा निर्धारित तरीके से आयकर संबंधी आवश्यकताओं का अनुपालन करना चाहिए।

14.2.2.3 **सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए लेखांकन पद्धति - निपटान तिथि लेखांकन**

सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए अपनायी जानेवाली लेखांकन पद्धति में समानता लाने के दृष्टिकोण से यह निर्णय लिया गया है कि बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों में आउट राइट तथा रेडी फॉरवर्ड दोनों की खरीदी और बिक्री लेनदेन के लेखांकन के लिए निपटान तारीख लेखांकन पद्धति अपनाए।

15. घोष समिति की सिफारिशें

धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार की रोकथाम करने के लिए बैंकों को घोष समिति द्वारा की गई निम्नलिखित सिफ़ारिशों का कार्यान्वयन करना चाहिए:

15.1 संगामी लेखापरीक्षा

15.1.1 दुरुपयोग की संभावना की दृष्टि से अंतर-बैंक उधार, बिलों की पुनर्भुनाई आदि सहित निवेश, निधि प्रबंधन जैसे खजाना कारोबार की संगामी लेखा परीक्षा की जानी चाहिए और लेखा परीक्षा के परिणाम नियत अंतरालों पर बैंक के अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक के समक्ष रखे जाने चाहिए।

15.1.2 यह सुनिश्चित करना बैंकों की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि निवेश संविभाग के संचालन के संबंध में अनुदेशों का उचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए लेखा परीक्षा की पर्याप्त प्रक्रियाएं मौजूद हैं।

15.1.3 संगामी लेखा परीक्षा में निम्नलिखित पहलू शामिल होने चाहिए :

(i) यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रतिभूतियों की खरीद और लेनदेन के संबंध में संबंधित विभाग ने अपनी प्रत्यायोजित शक्तियों के भीतर कार्य किया है।

(ii) यह सुनिश्चित किया जाए कि एसजीएल और डीमैट रूप में प्रतिभूतियों के अलावा अन्य प्रतिभूतियां, जैसा कि बहियों में दर्शाया गया है, भौतिक रूप में धारित हैं।

(iii) यह सुनिश्चित किया जाए कि लेखाकारण इकाई बीआर, एसजीएल फॉर्मों, पर्चियों की सुपुर्दगी, प्रलेखीकरण एवं लेखाकरण के संबंध में दिशानिर्देशों का अनुपालन कर रही है।

(iv) यह सुनिश्चित किया जाए कि बिक्री या खरीद संबंधी लेनदेन बैंक के लिए लाभप्रद दरों पर किए जाते हैं।

(v) दलालों की सीमाओं की समरूपता संवीक्षा की जाए और उनकी आवधिक रिपोर्टों में पाई गई अधिकता को शामिल किया जाए।

15.1.4 बैंकों को अपने निदेशक मंडलों द्वारा द्वितीयक बाजार के विधिवत् अनुमोदित अनुमत शेयरों, डिबेंचरों, तथा पीएसयू बांडों की प्राप्ति के लिए आंतरिक नियंत्रण संबंधी दिशानिर्देश बनाने चाहिए।

15.2 आंतरिक लेखा परीक्षा

दुरूपयोग की संभावना की दृष्टि से आंतरिक लेखा परीक्षकों (और आंतरिक लेखा परिक्षकों की गैर-मौजूदगी में निबंधक, सहकारी सोसायटियां द्वारा बनाए गए पैनल से बाहर के सनदी लेखापालों द्वारा) द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद एवं बिक्री आदि, की अलग से लेखा परीक्षा की जानी चाहिए और उनकी लेखा परीक्षा के परिणाम हर तिमाही में एक बार निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

15.3 समीक्षा

बैंक को अपने निवेश संविभाग की छः माही समीक्षा (31 मार्च और 30 सितंबर) करनी चाहिए जिसमें निवेश संविभाग के परिचालनात्मक पहलुओं के अलावा निर्धारित आंतरिक निवेश संविभाग नीति तथा प्रक्रियाओं तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना और उनका अनुपालन प्रमाणित किया जाना चाहिए और उसे एक महीने के भीतर निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। इस प्रकार की समीक्षा रिपोर्टें शहरी बैंक विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों को क्रमश: 15 मई/15 नवंबर तक भेज देनी चाहिए।

15.4 उल्लंघन के लिए दंड

बैंकों को उपर्युक्त अनुदेशों का निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए। इन अनुदेशों के किसी प्रकार के उल्लंघन पर चूककर्ता बैंकों के विरुद्ध दंण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी जिसमें प्रारक्षित निधि आवश्यकताओं को बढ़ाना, रिज़र्व बैंक से पुनर्वित्त सुविधा का बंद किया जाना, मुद्रा बाजार में प्रवेश की नामंजूरी, नई शाखाओं/ विस्तार पटलों की नामंजूरी और समाशोधन गृह के अध्यक्ष को उचित कार्रवाई के साथ-साथ समाशोधन गृह की सदस्यता स्थगित करने के लिए सूचित किया जाना शामिल है।

16. निवेशों का वर्गीकरण

16.1 प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि वे निम्नांकित तीन श्रेणियों के अंतर्गत अपने समग्र निवेश संविभाग (एसएलआर एवं गैर-एसएलआर सहित) का वर्गीकरण करें -

(i) परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)

(ii) बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस)

(iii) व्यापार के लिए धारित (एचएफटी)

बैंकों को प्रतिभूतियों की प्राप्ति के समय निवेश की श्रेणी का निर्णय करना चाहिए और इस निर्णय को निवेश प्रस्तावों में दर्ज किया जाना चाहिए। तथापि, पैराग्राफ 13.1.3 (जी) के अनुसार गैर सांविधिक चलनिधि अनुपात श्रेणी के अंतर्गत सभी नए निवेशों को केवल व्यापार के लिए धारित (एचएफटी)/ बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए उनका बाजार की दर पर मूल्य निर्धारण करना चाहिए। तथापि, आधारभूत संरचना गतिविधियों मे लगी और न्यूनतम सात वर्षो की अवशिष्ट परिपक्वता रखनेवाली कंपनियों द्वारा जारी दिर्घावधिक बांडों मे शहरी सहकारी बैंको द्वारा किया गया निवेश भी एच टी एम संवर्ग के अधीन वर्गीकृत किया जाएगा।

16.2 परिपक्वता तक धारित

16.2.1 बैंकों द्वारा परिपक्वता तक धारण करने के इरादे से अर्जित की गई प्रतिभूतियों को "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा।

16.2.2 "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी के अंतर्गत शामिल निवेश बैंक के कुल निवेशों के 25% से अधिक नहीं होना चाहिए। तथापि, बैंकों को इस श्रेणी के अंतर्गत अपने कुल निवेशों के 25% की सीमा से अधिक निवेश करने कि अनुमति दी गई है बशर्ते

(ए) अतिरिक्त निवेश में केवल एसएलआर प्रतिभूतियां हैं।

(बी) दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े के अंतिम शुक्रवार को "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी के अंतर्गत धारित कुल एसएलआर प्रतिभूतियां उनकी निवल मांग एवं मीयादी देयताओं के 25% से अधिक हों।

16.3 व्यापार के लिए धारित

16.3.1 बैंकों द्वारा अर्जित उन प्रतिभूतियों को "व्यापार के लिए धारित" श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया जाएगा जिन्हें बैंकों ने अल्पकालिक कीमत/ ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव का लाभ लेने के इरादे से अर्जित किया है।

16.3.2 यदि सख्त चलनिधि हालातों या आत्यांतिक अस्थिरता या बाजार के एक रेखीय होने जैसी असाधारण परिस्थितियों के कारण बैंक 90 दिनों के भीतर प्रतिभूति नहीं बेच पाते हों तो निम्नलिखित पैराग्राफ 16.5.3 एवं 16.5.4 में निर्धारित शर्तों के अधीन प्रतिभूतियों को "बिक्री के लिए उपलब्ध" श्रेणी में स्थानांतरित कर देना चाहिए।

16.4 बिक्री के लिए उपलब्ध

16.4.1 उपर्युक्त दो श्रेणियों के अंतर्गत न आनेवाली प्रतिभूतियों को "बिक्री के लिए उपलब्ध" श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा।

16.4.2 "बिक्री के लिए उपलब्ध" श्रेणी के अंतर्गत प्रतिभूतियों की धारिता की मात्रा तय करने के लिए बैंक स्वतंत्र है। इन्टेंट के आधार, कारोबार की रणनितियों, जोखिम प्रबंधन की क्षमताओं, कर नियोजन, जनशक्ति कौशल, पूंजी की स्थिति आदि जैसे विभिन्न पहलुओं पर विचार कर सकते हैं। ("व्यापार के लिए धारित" तथा "बिक्री के लिए उपलब्ध" श्रेणी के अंतर्गत निवेशों की बिक्री पर लाभ या हानि को लाभ तथा हानि खाते में लिया जाना चाहिए।)

16.5 निवेशों का अंतरण

16.5.1 बैंक निदेशक मंडल के अनुमोदन से वर्ष में एक बार "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी में/"परिपक्वता तक धारित" श्रेणी से निवेशों का अंतरण कर सकते हैं। सामान्यतया इस प्रकार का अंतरण लेखाकरण वर्ष के प्रारंभ में करने की अनुमति दी जाती है। लेखाकरण वर्ष की शेष अवधि के दौरान इस श्रेणी में/ इस श्रेणी से और किसी अंतरण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

16.5.2 बैंक अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से "बिक्री के लिए उपलब्ध" श्रेणी से "कारोबार के लिए धारित" श्रेणी में निवेशों का अंतरण कर सकते हैं। अत्यावश्यकता की स्थितियों के मामले में इस प्रकार का अंतरण बैंक के मुख्य कार्यपालक के अनुमोदन से किया जा सकता है लेकिन इसे निदेशक मंडल का अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए।

16.5.3 सामान्यतया "कारोबार के लिए धारित" श्रेणी से "बिक्री के लिए उपलब्ध" श्रेणी में निवेशों के अंतरण की अनुमति नहीं दी जाती। तथापि, इसकी अनुमति केवल निदेशक मंडल/ निवेश समिति के अनुमोदन से उपर्युक्त पैराग्राफ 16.3.2 में उल्लिखित असाधारण परिस्थितियों के अंतर्गत ही दी जाएगी जो अंतरण की तारीख को लागू मूल्यह्रास, यदि कोई हो, के अध्यधीन होगी।

16.5.4 सभी परिस्थितियों में एक श्रेणी से दूसरी किसी श्रेणी में प्रतिभूतियों का अंतरण प्रतिभूतियों की प्राप्ति कीमत/बही मूल्य/बाजार मूल्य जो न्यूनतम हो, पर अंतरण की तारीख को किया जाना चाहिए और इस प्रकार के अंतरण के कारण किसी प्रकार के मूल्यह्रास, यदि कोई हो, के लिए पूर्ण प्रावधान किया जाना चाहिए।

16.6 तुलन पत्र में निवेशों का वर्गीकरण

तुलनपत्र के प्रयोजन के लिए निवेशों का वर्गीकरण निम्नलिखित श्रेणियों में किया जाना चाहिए:

(i) सरकारी प्रतिभूतियां

(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां

(iii) शेयर

(iv) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बांड

(v) अन्य

17. निवेश मूल्यन

17.1 मूल्यन मानक

17.1.1 "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेशों को दैनिक बाजार भाव पर दर्शाने की आवश्यकता नहीं है एवं इन्हें अर्जन की कीमत पर दर्शाया जाएगा जबतक कि यह अंकित मूल्य से अधिक न हो। ऐसे मामले में प्रिमियम का परिशोधन परिपक्वता पूरी होने की शेष अवधि में किया जाएगा।

17.1.2 "बिक्री के लिए उपलब्ध" श्रेणी में प्रत्येक पर्ची का मूल्यन वर्ष के अंत में या अधिक अंतरालों पर बाज़ार भाव पर दर्शाया जाएगा। हालांकि प्रत्येक वर्गीकरण अर्थात् एचटीएम, एएफएस या एचएफटी के अंतर्गत निवल मूल्यह्रास का पता लगाया जाए और उसके लिए पूर्ण प्रावधान किया जाए जब कि निवल मूल्य वृद्धि को नजर अंदाज कर दिया जाए। प्रत्येक प्रतिभूति के बही मूल्य में पुनर्मूल्यन के बाद कोई परिवर्तन नहीं होगा।

17.1.3 "व्यापार के लिए धारित" श्रेणी में प्रत्येक शेयर का बाजार भाव पर मासिक या और ज्यादा अंतरालों पर दर्शाया जाएगा, बाजार के आधार पर मूल्यन के बाद इस श्रेणी में व्यक्तिगत प्रतिभूतियों के बही मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

<u>टिप्पणी</u> : *इस श्रेणी के अंतर्गत प्रतिभूतियों का मूल्यन स्क्रिप्ट वार किया जाएगा और मूल्य ह्रास/ मूल्य वृद्धि के प्रत्येक वर्गीकरण अर्थात् एचटीएम, एएफएस या एचएफटी के लिए जोड़ा जाएगा जैसाकि एएफएस तथा एचएफटी के लिए ऊपर 16.6 में अलग-अलग दर्शाया गया है। निवल मूल्यह्रास, यदि कोई हो, के लिए प्रावधान किया जाएगा। निवल मूल्य वृद्धि, यदि कोई हो, को नजर अंदाज कर दिया जाना चाहिए। किसी एक वर्गीकरण में प्रावधान किए जाने वाले मूल्यह्रास को किसी अन्य वर्गीकरण में निवल मूल्य वृद्धि के कारण कम नहीं किया जाना चाहिए। इसी प्रकार एक श्रेणी में किसी वर्गीकरण के लिए निवल मूल्य ह्रास को किसी दूसरी श्रेणी में उसी प्रकार के वर्गीकरण में मूल्य वृद्धि से कम नहीं किया जाना चाहिए।*

17.1.4 किसी वर्ष "एएफएस" अथवा "एचएफटी" श्रेणियों के अंतर्गत धारित निवेशों के मूल्य में मूल्यह्रास के कारण सृजित प्रावधानों को लाभ एवं हानि खाते में नामे लिखा जाना चाहिए और उसके समतुल्य राशि (निवल कर लाभ, यदि कोई हो और सांविधिक प्रारक्षित निधि के अंतरण के परिणाम स्वरूव निवल कमी) या निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि खाते में उपलब्ध शेष, इनमें से जो भी कम हो, को निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि/निवेश मूल्य ह्रास प्रारक्षित निधि खाते से लाभ व हानि खाते में अंतरित कर दिया जाएगा। निवेशों में मूल्यह्रास के कारण सृजित प्रावधानों के किसी वर्ष आवश्यक राशि से अधिक पाए जाने की स्थिति में अधिक राशि को लाभ व हानि खाते में नामे करने दिया जाना चाहिए और समतुल्य राशि (निवल कर, यदि कोई हो एवं सांविधिक प्रारक्षित निधि में अंतरित निवल राशि जैसाकि इस प्रकार के अधिक प्रावधान पर लागू हो) को निवेश के लिए भावी मूल्यह्रास संबंधी आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि खाते में समायोजित करने देना चाहिए। मूल्यह्रास प्रावधान के लिए लाभ व हानि खाते में नामे लेखी राशियां और अधिक प्रावधान के प्रत्यावर्त न के लिए लाभ व हानि खाते में जमा राशि को "व्यय - प्रावधान एवं आकस्मिक व्यय" शीर्ष के अंतर्गत क्रमश: नामे एवं जमा दर्ज किया जाना चाहिए। बैंकों को निवेशों में कमी/मूल्य ह्रास के लिए आवश्यक प्रावधानों की राशियों को अलग-अलग रखना चाहिए तथा उन्हें "निवेश में मूल्य ह्रास के लिए आकस्मिक प्रावधान" के अंतर्गत पार्क करना चाहिए ताकि

प्रावधानों तथा प्रारक्षित निधियों को स्पष्ट तौर पर परिभाषित किया जा सके और उन्हें निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि/निवेश मूल्य ह्रास से/में निधियों के अंतरण को सुविधाजनक बनाना चाहिए। लाभ एवं हानि खाते से विनियोजित राशि और निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि/निवेश मूल्य ह्रास से लाभ एवं हानि खाते में अंतरित राशि को वर्ष के लिए लाभ का निर्धारण करने के बाद "व्याख्यात्मक नोट" के रूप में दर्शाया जाना चाहिए।

17.1.5 यह स्पष्ट किया जाता है कि जहां व्यापार के लिए धारित श्रेणी के अंतर्गत वयैक्तिक शेयरों का मूल्य मासिक या उससे अधिक अंतरालों पर निर्धारित किया जाता रहेगा वहीं इस श्रेणी के अंतर्गत वयैक्तिक प्रतिभूतियों के बही मूल्य में उन्हें बाजार मूल्य पर निर्धारित करने के बाद कोई परिवर्तन नहीं होगा। जबकि निवेशों के मूल्य में निवल मूल्य ह्रास, यदि कोई, का प्रावधान किया जाना चाहिए वहीं निवल मूल्य वृद्धि, यदि कोई, है तो उपेक्षणीय माना जाना चाहिए। किसी एक श्रेणी में मूल्य ह्रास के लिए किए जाने वाले प्रावधानों किसी दूसरी श्रेणी में हुई मूल्य वृद्धि के साथ समायोजित कर देना चाहिए।

17.1.6 तीनों श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी में प्रतिभूतियों के संबंध में जहां ब्याज/ मूलधन बकाया हो, बैंकों को प्रतिभूतियों पर आय की गणना नहीं करनी चाहिए और निवेश के मूल्य में मूल्यह्रास के लिए उचित प्रावधान भी करने चाहिए। बैंकों को इन अनर्जक प्रतिभूतियों के संबंध में मूल्यह्रास की हानि की पूर्ति अन्य अर्जक आस्तियों के संबंध में मूल्य-वृद्धि से नहीं करनी चाहिए।

17.2 बाज़ार मूल्य

17.2.1 उद्धृत प्रतिभूतियां

"बिक्री के लिए उपलब्ध" और "व्यापार के लिए धारित" श्रेणियों में शामिल निवेशों के आवधिक मूल्यन के प्रयोजन के लिए "बाजार मूल्य" शेयर बाजारों के कारोबार/ उद्धरणों, एसजीएल खाता लेनदेन, भारतीय रिज़र्व बैंक की मूल्य सूची तथा निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न संघ (फिम्डा) के साथ संयुक्त रूप से भारतीय प्राथमिक व्यापारी संघ द्वारा आवधिक रूप से घोषित कीमतों से यथा उपलब्ध शेयर की बाजार कीमत होगी।

17.2.2 अनुद्धृत एसएलआर प्रतिभूतियां

अनुद्धृत प्रतिभूतियों के संबंध में, नीचे दी गई प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए।

(i) **केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां**

(ए) भारतीय रिज़र्व बैंक बैंकों द्वारा निवेशों के मूल्यन के प्रयोजन से अनुधृत केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों की वाईटीएम दरों की घोषणा नहीं करेगा। बैंकों को आवधिक अंतरालों पर पीडीएआई/ फिम्डा द्वारा घोषित कीमतों/ वाईटीएम दरों के आधार पर अनुधृत केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों का मूल्यन करना चाहिए।

(बी) पूँजी सूचकांक बांडों का 6 प्रतिशत का मूलयन "कीमत" पर किया जाए जिसकी गणना तीन माह के अंतराल पर थोक मूल्य सूचकांक को हिसाब में लेकर की गई सूचकांक अनुपात की गणना का प्रयोग करके की जा सकती है। उदाहरणार्थ, नवंबर

1997 के थोक मूल्य सूचकांक का प्रयोग मार्च 1998 के सूचकांक अनुपात की गणना करने में किया जा सकता है। एक विस्तृत उदाहरण नीचे दिया गया है:

दिसंबर 1997 में बांड सममूल्य पर जारी किए गए थे। अगस्त 1997 के लिए थोक मूल्य सूचकांक को मूल थोक मूल्य सूचकांक के रूप में लिया गया था। उसी प्रकार, दिसंबर 2002 में शोधन मूल्य के भुगतान के लिए संदर्भ थोक मूल्य सूचकांक को अगस्त 2002 के लिए थोक मूल्य सूचकांक के रूप में लिया गया है। इस प्रकार, पूँजी का सूचकांक बनाने के लिए 3 माह का स्पष्ट अंतराल लिया जाता है। पूँजी सूचकांक बांडों के मूल्यन के प्रयोजन से `मूल्य' निर्धारित करने के लिए इसी सिद्धांत का प्रयोग किया जा सकता है। यदि बांड का मूल्यन मार्च 1998 में किया जाना है तो सूचकांक अनुपात की गणना नंवबर 1997 के लिए थोक मूल्य सूचकांक को संदर्भ थोक मूल्य सूचकांक के रूप में हिसाब मे लेकर की जा सकती है। इस प्रकार किसी वर्ष में मार्च को समाप्त प्रत्येक तिमाही के लिए संगणक गत वर्ष के नवंबर का थोक मूल्य सूचकांक लेगा और जून, सितंबर एवं दिसंबर महीनों में समाप्त अन्य तिमाहियों के लिए प्रत्येक वर्ष सूचकांक अनुपात संबंधित वर्षों के फरवरी, मई तथा अगस्त के लिए संगणक थोक मूल्य सूचकांक को लेगा।

मान लीजिए कि नंवबर 1997 के लिए थोक मूल्य का मासिक औसत सूचकांक (1981-82 = 100) 329.90 है। संदर्भ थोक मूल्य सूचकांक 329.90 है। अगस्त 1997 के लिए मूल थोक मूल्य सूचकांक 326.00 है। पूँजी सूचकांक बांड की कीमत की गणना उदाहरणस्वरूप नीचे दर्शाई गई हैं:

मार्च 1998 के लिए सूचकांक अनुपात = <u>नवंबर 1997 के लिए थोक मूल्य सूचंकाक</u>

मूल थोक मूल्य सूचकांक

= <u>329.90</u> = 1.01196 या 1.01 (दशमलव के दो अंकों तक पूर्णांकित)

31 मार्च 1998 की स्थिति के अनुसार मूल्यन के लिए बांडों की कीमत रु.100 x 1.01 = ₹ 101.00

(सी) यह स्पष्ट किया जाता है कि उचित वाईटीएम दर - निर्धारित करने के प्रयोजन के लिए वर्षों की संख्या की गणना किसी वर्ष की आंशिक अवधि को निकटतम पूर्ण वर्ष में पूर्णांकित करके की जाए।

(डी) जहां तक सार्वजनिक क्षेत्र के बांडों सहित अन्य अनुद्धृत प्रतिभूतियों के मूल्यन का संबंध है बैंकों को अनुद्धृत प्रतिभूतियों के मूल्यन का निर्धारण करने के लिए `परिपक्वता आय' विधि का एक समान रूप से अनुपालन करना चाहिए।

(ii) खजाना बिलों का मूल्यन रखाव लागत पर किया जाना चाहिए।

(iii) **राज्य सरकार की प्रतिभूतियां**

राज्य सरकारी की प्रतिभूतियां का मूल्यन `परिपक्वता आय' विधि का प्रयोग करके किया जाएगा जिसके अंतर्गत आवधिक रूप से पीडीएआई/ फिम्डा द्वारा निर्धारित

समान परिपक्वता की केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों की आय से 25 आधार अंक अधिक दिया जाएगा।

(iv) **अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां**

अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों का मूल्यन `परिपक्वता आय' विधि का प्रयोग करके किया जाएगा जिसके अंतर्गत आवधिक रूप से पीडीएआई/ फिम्डा द्वारा निर्धारित समान परिपक्वता की केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों की आय से 25 आधार बैंक अधिक दिया जाएगा।

17.2.3 अनुद्धृत गैर-एसएलआर प्रतिभूतियां

(i) **डिबेंचर/बांड**

उन डिबेंचरों/ बांडों को छोड़कर जो अग्रिम प्रकार के हैं सभी डिबेंचरों/ बांण्डों का मूल्यन `परिपक्वता आय' आधार पर किया जाना चाहिए। इस प्रकार के डिबेंचर/बांड भिन्न-भिन्न रेटिंग के हो सकते हैं। इनका उचित मूल्यन पीडीए आई/ फिम्डा द्वारा आवधिक रूप से निर्धारित केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के लिए `परिपक्वता आय' दरों से अधिक मूल्य पर किया जाएगा। रेटिंग एजेंसियों द्वारा डिबेंचरों/ बांडों को दी गई रेटिंग के अनुसार मूल्यन का स्तर निर्धारित किया जाएगा जो निम्नलिखित के अधीन होगा:

(ए) रेटेड डिबेंचरों/ बांडों के लए परिपक्वता आय हेतु प्रयुक्त दर समान परिपक्वता के भारत सरकार के ऋण पर लागू दर से कम से कम 50 आधार अंक ऊपर होनी चाहिए।

(बी) अनरेटेड डिबेंचरों/ बांडों के लिए परिपक्वता अवधि हेतु प्रयुक्त दर समान परिपक्वता के रेटेड डिबेंचरों/ बांडों पर लागू दर से कम नहीं होनी चाहिए। अनरेटेड डिबेंचरों/ बांडों के मूल्य स्तर से बैंक द्वारा वहन किए जा रहे ऋण जोखिम को समुचित रूप से प्रतिबिंबित करना चाहिए।

(सी) जहां डिबेंचरों/ बांडों पर ब्याज/ मूलधन बकाया हो, वहां अग्रिम माने गए डिबेंचरों बाँडों की तरह डिबेंचरों के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए। जहां ब्याज बकाया हो या मूलधन का भुगतान नियत तारीख के अनुसार नहीं किया गया हो वहां डिबेंचरों पर मूल्यह्वास/ प्रावधान को अन्य डिबेंचरों/ बांडों की मूल्य वृद्धि से समायोजित नहीं करने दिया जाएगा।

(ii) जहां डिबेंचरों/ बांड को उद्धृत किया गया है और जहां मूल्यन तारीख से पूर्व 15 दिनों के भीतर लेनदेन किए गए हैं वहां स्वीकृत मूल्य शेयर बाजार में दर्ज लेनदेन की दर से अधिक नहीं होना चाहिए।

(iii) **सहकारी संस्थाओं के शेयर**

यदि प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक को सहाकरी संस्थाओं से नियमित रूप से लाभांश प्राप्त हुए हैं तो उनके शेयरों का मूल्यन अंकित मूल्य पर किया जाना चाहिए। कई मामलों में,

सहकारी संस्थाएं जिनके शेयरों में प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों ने निवेश किया है, या तो परिसमाप्त हो गई हैं या उन्होंने लाभांश घोषित ही नहीं किया है। इस प्रकार के मामलों में, बैंकों को इस प्रकार की संस्थाओं के शेयरों में अपने निवेशों के संबंध में पूरा प्रावधान करना चाहिए। कई मामलों में जिनमें सहकारी संस्थाओं की वित्तीय स्थिति जिनके शेयरों में बैंकों ने निवेश किया है, उपलब्ध न हो तो शेयर ₹ 1/- प्रति सहकारी संस्था की दर पर लिया जाए।

(iv) **भारत सरकार द्वारा जारी गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों का मूल्यन**

ए) गत वर्षों के दौरान भारत सरकार ने समय-समय पर अनेक विशेष प्रतिभूतियां जारी की हैं जो शहरी सहकारी बैंकों की एसएलआर संबंधी अपेक्षाओं का अनुपालन करने की पात्र नहीं हैं। इस प्रकार की सरकारी प्रतिभूतियों पर पृथक शर्तें लागू होती हैं जिनके कारण बड़ी मात्रा में अतरलता उत्पन्न होती है। मौज़ूदा समय में इस प्रकार की गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों का मूल्यन करने से संबंधित फिम्डा द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि ऐसी प्रतिभूतियों का मूल्यन भारत सरकार प्रतिभूतियों पर तत्संबंधी आय से 50 आधार अंक अधिक देते हुए किया जाए।

बी) इस बीच जारी की गई ऐसी विशेष प्रतिभूतियों की जांच की गई है। यह निर्णय लिया गया है कि मूल्यन के सीमित प्रयोजन के लिए भारत सरकार द्वारा सीधे लाभार्थी संस्थाओं को जारी की गई ऐसी सभी विशेष प्रतिभूतियों का मूल्यन भारत सरकार प्रतिभूतियों पर तत्संबंधी आय से 25 आधार अंक अधिक देते हुए किया जाए जो एसएलआर प्रयोजन के लिए न हों। यह संशोधन वित्त वर्ष 2008-09 से लागू होगा।

सी) यह नोट किया जाए कि वर्तमान में ऐसी विशेष प्रतिभूतियों के अंतर्गत तेल बांड , उर्वरक बांड , भासरतीय स्टेट बैंक को जारी किए गए बांड (हाल ही के राइट इश्यू के दौरान), भारतीय यूनिट ट्रस्ट, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लि., भारतीय खाद्य निगम, भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लि., भूतपूर्व भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा भूतपूर्व शिपिंग विकास वित्त निगम शामिल हैं।

17.2.4 म्यूचुअल फण्ड की यूनिटें

उधृत म्यूचुअल फंड यूनिटों में निवेशों का मूल्यन शेयर बाजार के भावों के अनुसार किया जाना चाहिए। गैर उधृत म्यूचुअल फंड यूनिटों में निवेशों का मूल्यन प्रत्येक विशेष योजना के संबंध में म्यूचुअल फंडों द्वारा घोषित अद्यतन पुनर्खरीद मूल्य के आधार पर किया जाना चाहिए। निश्चित अवरूध्दता अवधि वाली निधियों के मामले में या जहां पुनर्खरीद मूल्य/ बाजार भाव उपलब्ध नहीं है वहां यूनिटों का मूल्यन एनएवी के आधार पर किया जा सकता है। यदि एनएवी उपलब्ध न हो तो इन युनिटों का मूल्यन निश्चित अवरूद्धता अवधि की सामाप्ति तक लागत के आधार पर किया जा सकता है।

18 निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि (आईएफआर)

बाजार जोखिमों के प्रति सुरक्षा के लिए पर्याप्त प्रारक्षित निधि खड़ा करने के लिए:

18.1 बैंकों को निवेशों की बिक्री से हुए लाभों से और उपलब्ध निवल लाभ के अध्यधीन निवेश संविभाग के न्यूनतम 5 प्रतिशत के बराबर निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि (आईएफआर) खड़ी करनी चाहिए। इस न्यूनतम आवश्यकता की गणना "कारोबार के लिए धारित" तथा "बिक्री के लिए उपलब्ध" जैसी दो श्रेणियों में निवेशों के संदर्भ में की जानी चाहिए। इस प्रयोजन के लिए परिपक्वता के लिए धारित श्रेणी के अंतर्गत निवेश को शामिल करना आवश्यक नहीं होगा। तथापि, बैंक अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से संविभाग के 10 प्रतिशत तक आईएफआर की उच्च प्रतिशतता खड़ी करने के लिए स्वतंत्र हैं जो उनके संविभाग के आकार और गठन पर निर्भर करेगी।

18.2 बैंकों को प्रतिभूतियों में निवेश की बिक्री से हुए लाभ की अधिकतम राशि आईएफआर में अंतरित कर देना चाहिए। आईएफआर में अंतरण सांविधिक प्रारक्षित निधि में विनियोग के बाद निवल लाभ के विनियोग के रूप में होगा।

18.3 "कारोबार के लिए धारित" एवं "बिक्री के लिए उपलब्ध जैसी दो श्रेणियों से निवेशों की बिक्री से प्राप्त लाभ से निर्मित आईएफआर स्तर II पूँजी में समावेश करने की पात्र होगी।

18.4 निवेशों की मूल्यह्रास संबंधी आवश्यक को पूरा करने के लिए आईएफआर से लाभ व हानि लेखा में अंतरण "लाभ निकालने के बाद" की असाधारण मद होगी।

18.5 बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निवेश संविभाग के मूल्यन से वसूल नहीं हुए लाभों को आय खाते या आईएफआर खाते में नहीं लिया जाता है।

18.6 बैंक भविष्य में प्रतिभूतियों में निवेश के कारण मूल्यह्रास से संबंधित जरूरत को पूरा करने के लिए आईएफआर में धारित राशि का उपयोग कर सकते है।

18.7 उपर्युक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार आईएफआर का सृजन उन प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के लिए अधिदेशात्मक है जिनकी कुल मांग एवं मीयादी देयताएं ₹ 100 करोड़ रूपये और अधिक हैं तथा छोटे बैंकों के लिए यह वैकल्पिक है।

18.8 **आईएफआर तथा आईडीआर निवेश में अंतर**

यह नोट किया जाए कि आईएफआर निवेशों की बिक्री से प्राप्त लाभ के नियोजन से सृजित किया जाता है तथा उसे स्तर II पूंजी के पात्र बैंक की प्रारक्षित निधि के रूप में माना जाता है। निवेश मूल्य ह्रास प्रारक्षित निधि (आईडीआर) लाभ एवं हानि लेखा से निवेश मूल्य में ह्रास प्रभारित करके सृजित प्रावधान है। जहां आईएफआर के अंतर्गत धारित राशि को तुलनपत्र में यथावत प्रदर्शित किया जाना चाहिए वहीं आईडीआर के अंतर्गत धारित राशि को निवेश में होने वाले मूल्य ह्रास के लिए आकस्मिक प्रावधान के रूप में प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

अनुबंध I

दलालों की सीमाओं पर कतिपय स्पष्टीकरण

[संदर्भ: पैरा 7.3]

क्रमांक	उठाए गए मुद्दे	ज़वाब
1.	वर्ष कैलेंडर वर्ष होना चाहिए या वित्तीय वर्ष?	चूंकि बैंक अपने खाते मार्च के अंत में बंद करते हैं इसलिए वित्तीय वर्ष को अपनाना अधिक सुविधाजनक होगा। तथापि, बैंक कैलेंडर वर्ष या 12 माह की अन्य किसी अवधि को अपना सकते हैं बशर्ते भविष्य में भी उसे निरंतर अपनाया जाता रहे।
2.	क्या वर्ष के कुल लेनदेनों की गणना करने के लिए सीधे प्रतिपक्ष के साथ किए गए लेनदेनों अर्थात जिनसे कोई दलाल संबद्ध नहीं है, को भी हिसाब में लिया जाएगा?	आवश्यक नहीं। तथापि, यदि क्रेता या बिक्रेता के रूप में दलालों के साथ सीधे कोई लेनदेन किया गया है तो उसे किसी दलाल के माध्यम से किए जाने वाले लेनदेनों की सीमा तक कुल लेनदेनों में शामिल किया जाना होगा।
3.	क्या हाजिर वायदा लेनदेनों के मामले में कुल लेनदेनों की मात्रा निर्धारित करने के लिए लेनदेनों के दोनों चरण अर्थात खरीद और बिक्री को शामिल किया जाएगा?	हां
4.	क्या सीधी खरीद/नीलामियों के माध्यम से खरीदे गए केंद्रीय ऋण/राज्य ऋण/खजाना बिलों को कुललेनदेनों की मात्रा में शामिल किया जाएगा?	नहीं, क्योंकि दलाल मध्यस्थ के रूप में शामिल नहीं हैं।
5.	यह संभव है कि बैंक यह मानता हो कि किसी दलाल विशेष ने 5% की निर्धारित सीमा पूरी कर ली है फिर भी वह वर्ष की शेष अवधि के दौरान कोई प्रस्ताव कर सकता है जिसे बैंक अन्य दलालों से प्राप्त प्रस्तावों की तुलना में अपने फायदे में समझता हो जिन्होंने अभी तक निर्धारित सीमा तक व्यवसाय नहीं किया है।	यदि प्राप्त प्रस्ताव अधिक फायदेमंद हो तो दलाल के लिए सीमा बढ़ाई जा सकती है और सक्षम प्राधिकारी/निदेशक मंडल का कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त किया जा सकता है।
6.	क्या ग्राहकों की तरफ से किए गए लेनदेनों को भी वर्ष के कुल लेनदेनों में शामिल किया जाएगा?	हां, यदि वे दलालों के माध्यम से किए गए हों।
7.	ऐसे बैंक के लिए जो मुश्किल से कभी दलालों के माध्यम से लेनदेन करता हो	किसी मूल्य स्तर को विभाजित करने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि किसी लेनदेन के कारण किसी दलाल

	और परिणामस्वरूप उसके व्यवसाय की मात्रा कम हो, 5% की दलालवार सीमा बनाए रखने का मतलब भिन्न-भिन्न दलालों के बीच मूल्यों को छोटे-छोटे रूप में विभाजित करना है और इससे कीमत में अंतर भी पैदा हो सकता है।	विशेष का शेयर 5% सीमा को लांघ जाता है तो हमारा परिपत्र आवश्यक लचीलापन प्रदान करता है क्योंकि निदेशक मंडल का कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त किया जा सकता है।
8.	वर्ष के दौरान तर्कसंगत ढंग से यह भविष्यवाणी करना संभव नहीं होगा कि दलालों के माध्यम से लेनदेनों की कुल मात्रा क्या होगी जिसके परिणामस्वरूप 5% के मानदंड का अनुपालन करने में चूक हो सकती है।	जिन परिस्थितियों में सीमा में वृद्धि की गई थी उसका स्पष्टीकरण निदेशक मंडल को देने के बाद बैंक उससे कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त कर सकता है।
9.	निजी क्षेत्र के कुछ छोटे बैंकों ने उल्लेख किया है कि जहां व्यवसाय की मात्रा विशेष रूप से दलालों के माध्यम से किए गए लेनदेन कम हों वहां 5% की सीमा का पालन करना कठिन है। इसलिए एक सुझाव दिया गया है कि यदि दलाल के माध्यम से किया गया व्यवसाय निर्धारित सीमा अर्थात 10 करोड़ रुपये से अधिक होता है तो उक्त सीमा का पालन करना अनिवार्य होगा।	जैसाकि पहले ही कहा गया है कि 5% की सीमा में वृद्धि की जा सकती है बशर्ते लेनदेनों की कार्योत्तर सूचना सक्षम प्राधिकारी को दी जाए। इसलिए अनुदेशों में किसी प्रकार का परिवर्तन आवश्यक नहीं समझा जाता है।
10.	क्या चालू वर्ष के कुल लेनदेनों की तुलना में पिछले वर्ष के कुल लेनदेनों के संदर्भ में सीमा का पालन किया जाना है क्योंकि इसकी जानकारी वर्ष के अंत में ही होगी?	सीमा का पालन समीक्षाधीन वर्ष के संदर्भ में किया जाना होगा। सीमा को परिचालित करते समय बैंक को चालू वर्ष के संभावित लेनदेन को ध्यान में रखना चाहिए जो पिछले वर्ष के लेनदेन और चालू वर्ष में व्यवसाय की मात्रा में संभावित उतार-चढ़ाव पर आधारित हो।

अनुबंध II

निवेश पर मास्टर परिपत्र - कुछ परिभाषाएं

[पैरा 13.1.3 देखें]

1. स्पष्टता लाने तथा यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन में कोई विचलन नहीं हुआ है, दिशा-निर्देशों में प्रयुक्त कुछ शब्दों की परिभाषाएं नीचे दी गई हैं ।

2. किसी प्रतिभूति को रेटेड तभी माना जाएगा जब भारत में किसी बाहरी रेटिंग एजेंसी द्वारा उसकी विस्तृत रेटिंग की गई हो जो सेबी के अंतर्गत पंजीकृत हो और जो चालू या वैध रेटिंग कर रही हो। जिस रेटिंग को आधार बनाया गया है उसे चालू या वैध रेटिंग तभी माना जाएगा यदि

    i) जिस क्रेडिट रेटिंग पत्र को आधार बनाया गया हो वह निर्गम के खुलने की तारीख को एक माह से अधिक पुराना न हो, तथा

    ii) रेटिंग एजेंसी से प्राप्त रेटिंग मूलाधार निर्गम खुलने की तारीख को एक वर्ष से अधिक पुराना न हो, तथा

    iii) रेटिंग पत्र और रेटिंग मूलाधार प्रस्ताव दस्तावेज का एक भाग हो

    iv) द्वितीयक बाजार अधिप्राप्ति के मामले में निर्गम की क्रेडिट रेटिंग प्रभावी होनी चाहिए और संबंधित रेटिंग एजेंसी द्वारा प्रकाशित मासिक बुलेटिन में उसकी पुष्टि होनी चाहिए ।

    v) उन प्रतिभूतियों को <u>अनरेटेड प्रतिभूतियाँ</u> माना जाएगा जिनके पास किसी बाह्य रेटिंग एजेंसी से प्राप्त चालू या वैध रेटिंग नहीं है।

3. भारत में संचालित वाह्य रेटिंग एजेंसियों में से किसी रेटिंग एजेंसी द्वारा दी गई <u>निवेश ग्रेड रेटिंग</u> की पहचान आई बी ए/ फिम्डा द्वारा की जाएगी। इन रेटिंगों की समीक्षा कम से कम वर्ष में एक बार आई बी ए/ फिम्डा द्वारा भी की जाएगी ।

4. `सूचीबद्ध' ऋण प्रतिभूति एक ऐसी प्रतिभूति होती है जो किसी शेयर बाजार में सूचीबद्ध होती है। यदि ऐसा न हो तो यह एक `अ-सूचीबद्ध' ऋण प्रतिभूति कहलाएगी ।

5. किसी अनर्जक अग्रिम की भांति ही एक अनर्जक निवेश (एनपीआई) होता है जब

    ए) ब्याज/ किश्त (परिपक्वता प्राप्तियों सहित) देय हो तथा 180 दिनों से अधिक समय से जिसका भुगतान न किया गया हो। बकाया अवधि 31 मार्च 2004 से 90 दिन हो गई हो।

    बी) यदि जारीकर्ता द्वारा ली गई कोई ऋण सुविधा बैंक की बहियों में अनर्जक आस्ति हो गई हो तो उसी जारीकर्ता द्वारा जारी किसी प्रतिभूति में किए गए निवेश को भी अनर्जक निवेश माना जाएगा।

अनुबंध III

निवेश पर मास्टर परिपत्र

प्रकटीकरण संबंधी अपेक्षाएं

[पैरा 13.1.6 के अनुसार]

i) गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेशों का जारीकर्ता संगठन

(करोड़ ₹ में)

सं.	**जारीकर्ता**	**राशि**	**'निवेश ग्रेड से नीचे' की प्रतिभूतियों की सीमा**	**'अनरेटेड' प्रतिभूतियों की सीमा**	**'अ-सूचीबद्ध' प्रतिभूतियों की सीमा**
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**
1	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम				
2	वितीय संस्थाएं				
3	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक				
4	म्यूचुअल फण्ड				
5	अन्य				
6	मूल्यह्रास के लिए धारित प्रावधान		XXX	XXX	XXX
	कुल *				

नोट: 1.* स्तंभ 3 के अंतर्गत कुल राशि तुलन पत्र की अनुसूची 8 के अंतर्गत कुल निवेशों के बराबर होनी चाहिए।

2. उपर्युक्त 4, 5 तथा 6 के अंतर्गत सूचित की गई राशियां एक-दूसरे से अलग नहीं हो सकतीं ।

ii) अनर्जक गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश

विवरण	राशि (करोड़ ₹)
प्रारंभिक शेष	
वर्ष के दौरान 1 अप्रैल से और शामिल निवेश	
उपर्युक्त अवधि के दौरान घटाव	
अंतिम शेष	
कुल धारित प्रावधान	

अनुबंध IV

रिपो/रिवर्स लेनदेनों के लेखाकरण के लिए दिशानिर्देश

(पैरा 12)

1. भारतीय रिज़र्व बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2006 (वर्ष 2006 का अधिनियम सं.26) में 'रिपो' और 'रिवर्स रिपो' की कानूनी परिभाषा दी गयी है (देखें अधिनियम के अध्याय III डी की धारा 45 यू की उपधाराएं (सी) और (डी) जिसके अनुसार वह प्रतिभूतियों की बिक्री (खरीद) द्वारा निधियों को उधार लेने (ऋण देने) के लिए पारस्पारिक रूप से स्वीकृत आगामी किसी तारीख को उधार (ऋण) ली गयी निधियों के लिए ब्याज समेत स्वीकृत मूल्य पर प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद (पुन:बिक्री) के लिए करार करने संबंधी लिखत है। तदनुसार ऐसे लेनदेनों को उनकी वास्तविक आर्थिक व्यावहारिकता के साथ तुलनपत्र में दर्शाने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लेखाकरण दिशानिर्देश की पुनर्समीक्षा की गयी है और संशोधित सिद्धान्तों को नीचे दिया गया है।

2. **लेखाकरण दिशानिर्देशों की प्रयोज्यता -** संशोधित लेखाकरण दिशानिर्देश सरकारी प्रतिभूतियों और कंपनी ऋण प्रतिभूतियों में बाज़ार रिपो लेनदेनों पर लागू होंगे। तथापि, ये लेखाकरण मानदंड भारतीय रिज़र्व बैंक की चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत किये गये रिपो/रिवर्स रिपो लेनदेनों को लागू नहीं होंगे।

3. बाज़ार सहभागी निवेश की तीन श्रेणियों अर्थात **खरीद-बिक्री के लिए धारित, बिक्री के लिए उपलब्ध** और **परिपक्वता तक धारित** में से किसी एक से रिपो ले सकते हैं।

4. रिपो लेनदेन का अनिवार्य तत्व अर्थात् प्रतिभूतियों की बिक्री (खरीद) द्वारा निधियों का उधार (ऋणं पर पुनर्खरीद के करार पर संपार्श्विकृत ऋण और उधार लेनदेन के रूप में दर्शाया जाएगा। तदनुसार रिपो विक्रेता अर्थात् निधियों का उधारकर्ता प्रथम चरण में रिपो के अंतर्गत बेची गयी प्रतिभूतियों को अपने निवेश खाते से निकाल नहीं देगा अपितु रिपो की अवधि के दौरान प्रतिभूतियों में उसकी निरंतर आर्थिक हितबद्धता को दर्शाते हुए उसे अपने निवेश खाते में ले जाते रहना जारी रखेगा (अनुबंध IV (क) और IV (ख) में उदाहरण दिया गया है)। दूसरी ओर रिपो क्रेता अर्थात् निधियों का ऋणदाता प्रथम चरण में रिपो के अंतर्गत खरीदी गयी प्रतिभूतियों को अपने निवेश खाते में शामिल नहीं करेगा बल्कि उसे अलग उप-शीर्ष (अनुबंध (IV) (ए) और (IV)(बी) में दर्शाएगा। तथापि, सामान्य एकमुश्त बिक्री/खरीद लेनदेनों की तरह प्रतिभूतियों को रिपो विक्रेता से रिपो क्रेता को अंतरित किया जाएगा और प्रतिभूतियों के इस क्रिया को रिपो/रिवर्स रिपो खातों और प्रतिप्रविष्टियों के प्रयोग के जरिए दर्शाया जाएगा। रिपो विक्रेता के मामले में प्रथम चरण में रिपो खाते में बेची गयी प्रतिभूतियों (प्राप्त निधियों) के लिए जमा लिखा जाएगा जबकि उनकी पुनर्खरीद की जाने पर दूसरे चरण में उसे रिवर्स किया जाता है। रिपो क्रेता के मामले में रिवर्स रिपो खाते में खरीदी गयी (ऋण निधियां) प्रतिभूतियों की राशि को नामे लिखा जाता है और उनकी पुन:बिक्री की जाने पर दूसरे चरण में उसे रिवर्स किया जाता है।

5. रिपो लेनदेन के प्रथम चरण की संविदा प्रभावी बाज़ार दरों पर की जानी चाहिये। लेनदेन का रिवर्सल (दूसरा चरण) वह होगा कि प्रथम और दूसरे चरण में प्राप्त राशियों का अंतर रिपो ब्याज में प्रदर्शित हो जाए।

6. रिपो/रिवर्स रिपो लेनदेनों को हिसाब में लेते समय अनुपालन किये जानेवाले लेखाकरण दिशानिर्देश निम्न के अनुसार होंगे -

(i) कूपन/बट्टा

ए. रिपो विक्रेता रिपो की अवधि के दौरान रिपो के अंतर्गत बेची गयी प्रतिभूतियों पर कूपन/बट्टा उपचित करना जारी रखेगा जबकि रिपो क्रेता उसे उपचित नहीं करेगा।

बी. यदि रिपो के अंतर्गत प्रस्तावित प्रतिभूति के ब्याज के भुगतान की तारीख रिपो अवधि के दौरान आती है तो प्रतिभूति के क्रेता द्वारा प्राप्त कूपनों को उन्हें प्राप्त करने की तारीख को विक्रता को प्रदान किया जाए क्यों कि दूसरे चरण में विक्रेता द्वारा देय नकदी प्रतिफल कोई मध्यवर्ती नकदी प्रवाह शामिल नहीं है।

(ii) रिपो ब्याज आय/व्यय

रिपो रिवर्स रेपो कं दूसरे चरण के बाद लेनदेन पूरा होता है ,

ए. रिपो के पहले चरण तथा दूसरे चरण की प्रतिफल राशियों में अंतर को रिपो क्रेता/विक्रेता की बहियों में क्रमश: रिपो ब्याज आय/व्यय के रूप में गिना जाएगा, और

बी. रिपो ब्याज आय/व्यय खाते में बकाया शेष को लाभ तथा हानि खाते में आय अथवा व्यय के रूप में अंतरित किया जाए। तुलनपत्र की तारीख को बकाया रिपो/रिवर्स रिपो लेनदेनों के संबंध में तुलनपत्र की तारीख तक उपचित आय/व्यय को लाभ-हानि खाते में लिया जाए। बकाया अवधि के लिए कोई भी रिपो आय/व्यय को अगली लेखा अवधि के लिए ध्यान में लिया जाए।

(iii) बाज़ार मूल्य का बही में अंकन

क्रेता रिपो लेनदेनों के अंतर्गत अर्जित प्रतिभूतियों के बाज़ार मूल्य को, प्रतिभूति के निवेश वर्गीकरण के अनुसार बही में अंकित करता रहेगा। उदा. के लिए रिपो लेनदेनों के अंतर्गत बेची गयी प्रतिभूतियों को बिक्री के लिए उपलब्ध श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है तो ऐसी प्रतिभूतियों के बाज़ार दर पर मूल्यन को कम से कम तिमाही में एक बार बही में अंकित किया जाना चाहिये। जो कंपनियां किसी निवेश वर्गीकरण के मानदंडों का अनुपालन नहीं करती हैं, रिपो लेनदेनों के अंतर्गत बेची गयी प्रतिभूतियों का मूल्यन उसी प्रकार की प्रतिभूतियों के संबंध में उनके द्वारा अनुपालन किये जानेवाले मूल्यन मानदंडों के अनुसार किया जाए।

7. लेखा पद्धति

जिस लेखा पद्धति का अनुपालन किया जाना है उसे उदाहरण के साथ अनुबंध IV (ए) और IV (बी) में दिया गया है। अधिक कठोर लेखा सिद्धान्तों का उपयोग करनेवाले सहभागी उन्हीं सिद्धान्तों का प्रयोग करना जारी रखें। इसके अतिरिक्त रिपो लेनदेनों से उठनेवाले विवादों को दूर करने के लिए सहभागी फिमडा द्वारा अंतिम रूप दिये गये द्विपक्षीय मास्टर रिपो समझौता करें। यह स्पष्ट किया जाता है कि उस केंद्रीय प्रतिपक्ष (सीसीपी) अर्थात भारतीय समाशोधन निगम लि. (सीसीआइएल) के माध्यम से भुगतान की गयी सरकारी प्रतिभूतियो में रिपो लेन-देनों के लिए फिमडा द्वारा अंतिम रुप दिए गए मास्टर रिपो समझौता आवश्यक नहीं है जिनके पास न्यूनतम ब्याज दर (हेअरकट) एमटीएम मूल्य, मार्जिन, बहुमुखी नेटिंग, समंजन का अधिकार, समायोजन गारंटी निधि/ संपार्श्विक, जोखिम प्रबंधन तथा विवाद समाधान/ मध्यस्थता जैसे सुरक्षात्मक उपाय है। तथापि रिपो करार उन कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों में रिपो लेन-देनो के लिए आवश्यक है जिनका निपटान सीसीपी को शामिल किए बिना द्विपक्षीय आधार पर होता है।

8. लेखा वर्गीकरण

बैंक रिपो खाते में शेषों को अनुसूची 4 के अंतर्गत मद 1(ii) अथवा 1(iii) के अंतर्गत विनियोजित के रूप में वर्गीकृत करें। इसी प्रकार रिवर्स रिपो खाते में शेषों को अनुसूची 7 के अंतर्गत मद 1(ii) क अथवा 1(ii) ख के अंतर्गत विनियोजित के रूप में वर्गीकृत किया जाए। रिपो ब्याज व्यय खाता और रिवर्स रिपो ब्याज आय खाता में शेषों को क्रमश: अनुसूची 15 (मद II अथवा III के अंतर्गत विनियोजित के रूप में) और अनुसूची 13 (मद III अथवा IV के अंतर्गत विनियोजत के रूप में) वर्गीकृत किया जाए। अन्य सहभागियों के लिए तुलनपत्र वर्गीकरण संबंधित विनियामकों द्वारा जारी किये सिद्धांतों द्वारा नियंत्रित होंगे।

9. प्रकटीकरण

बैंकों को तुलनपत्र के नोट्स ऑन एकाउंट्स में निम्नलिखित प्रकटीकरण करने चाहिये।

(अंकित मूल्य के अनुसार)

(करोड़ ₹)

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	31 मार्च की स्थिति के अनुसार
रिपो के अंतर्गत बेची गयी प्रतिभूतियां				
i. सरकारी प्रतिभूतियां				
ii. कंपनी ऋण				

प्रतिभूतियां				
रिवर्स रिपो के अंतर्गत खरीदी गयी प्रतिभूतियां				
iii) सरकारी प्रतिभूतियां				
iv) कंपनी ऋण प्रतिभूतियां				

10. आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक चल निधि अनुपात एसएलआर) का संसाधन

i) सरकारी प्रतिभूतियां

सरकारी प्रतिभूतियों में बाज़ार रिपो लेनदेनों का विनियामक संसाधन अब तक के अनुसार किया जाता रहेगा अर्थात् रिपो के अंतर्गत उधार ली गयी निधियों को सीआरआर/ एसएलआर गणना से छूट प्राप्त होती रहेगी और रिवर्स रिपो के अंतर्गत अर्जित प्रतिभूतियां एसएलआर के लिए पात्र हेंगी।

ii) कंपनी ऋण प्रतिभूतियां

कंपनी ऋण प्रतिभूतियों में रिपो लेनदेनों के संबंध में

क. रिपो के अंतर्गत बैंक द्वारा उधार ली गयी राशि को उसके डीटीएएल के भाग के रूप में हिसाब में लिया जाएगा और उसपर सीआर आर/एसएलआर लागू होंगे।
ख. कंपनी बांडों में रिपो के जरिये बैंक के उधारों को आरक्षित अपेक्षा के लिए उसकी देयता के रूप में हिसाब में लिया जाएगा और जहां तक बैंकिंग प्रणाली पर इन देयताओं की सीमा है, वे भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) के अंतर्गत दिये गये स्पष्टीकरण के खंड (घ) के अनुसार नियमित होंगे। तथापि, ऐसे उधार अंतर-बैंक देयताओं के लिए विवेकपूर्ण सीमाओं के अधीन होंगे।

11. प्रभावी तारीख

बाज़ार रिपो के लिए संशोधित लेखाकरण सिद्धान्तों को 1 अप्रैल 2010 से लागू किया जाएगा। बकाया रिपो/रिवर्स रिपो लेनदेन अब तक की तरह परिपक्वता तक लेखाकृत किये जाते रहेंगे।

रिपो/रिवर्स रिपो लेनदेनों के लिए संस्तुत लेखा पद्धति

(अनुबंध IV का पैरा 7)

(i) निम्नलिखित खाते बनाए रखे जाएं अर्थात् i) रिपो खाता, ii) रिवर्स रिपो खाता, iii) रिवर्स रिपो बयाज आय खाता, iv) रिपो ब्याज ज़यय खाता, v) रिवर्स रिपो ब्याज प्राप्य राशि खाता और vi) रिपो देय ब्याज खाता

(ii) उपर्युक्त के अलावा निम्नलिखित 'प्रति' खाते भी बनाये रखे जाएं, अर्थात् i) रिपो खाते के अंतर्गत बेची गयी प्रतिभूतियां, ii) रिवर्स रिपो खाते के अंतर्गत खरीदी गयी प्रतिभूतियां और iii) रिपो खाते के अंतर्गत प्राप्य प्रतिभूतियां और iv) रिवर्स रिपो खाते के अंतर्गत वितरण योग्य प्रतिभूतियां

रिपो

(iii) रिपो लेनदेन के पहले चरण में प्रतिभूतियों को बाज़ार संबंधित मूल्यों पर बेचा जाए और दूसरे चरण में उन्हीं मूल्यों पर पुन: खरीदा जाए। तथापि, दूसरे चरण में प्रतिफल राशि में रिपो ब्याज शामिल होगा। बिक्री तथा पुन: खरीद को रिपो खाते में दर्शाया जाए।

(iv) यद्यपि प्रतिभूतियों को रिपो विक्रेता के निवेश खाते से निकाल नहीं दिया गया है और रिपो क्रेता के निवेश खाते में शामिल नहीं किया गया है, प्रतिभूतियों का अंतरण आवश्यक प्रति प्रविष्टियों के जरिये दर्शाया जाएगा।

रिवर्स रिपो

(v) रिवर्स रिपो लेनदेन में पहले चरण में प्रतिभूतियों को प्रचलित बाज़ार मूल्य पर खरीदा जाए तथा दूसरे चरण में उसी मूल्य पर बेचा जाए। तथापि दूसरे चरण में प्रतिफल राशि में रिपो ब्याज शामिल होगा। खरीद तथा बिक्री रिवर्स रिपो खाते मे दर्शायी जानी चाहिये।

(vi) रिवर्स रिपो खाते में शेष तुलनपत्र के प्रयोजन के लिए निवेश खाते का भाग नहीं होंगे किंतु उन्हें सांविधिक चलनिधि अनुपात के प्रयोजनों से ध्यान में किया जा सकता है यदि रिवर्स रिपो लेनदेनों के अंतर्गत अर्जित प्रतिभूतियां अनुमोदित प्रतिभूतियां हों।

रिपो रिवर्स रिपो से संबंधित अन्य पहलू

(vii) यदि रिपो के अंतर्गत प्रस्तावित प्रतिभूति के ब्याज के भुगतान की तारीख रिपो अवधि में आती है तो प्रतिभूति के क्रेता द्वारा प्राप्त कूपनों को प्राप्ति की तारीख को

विक्रेता को दिया जाए क्योंकि दूसरे चरण में विक्रेता द्वारा देय नकदी प्रतिफल में कोई मध्यवर्ती नकदी प्रवाह शामिल नहीं है।

(viii) लेखा अवधि के अंत में बकाया रिपो लेनदेनों के संबंध में ब्याज के उपचय को दर्शाने के लिए क्रेता/ विक्रेता की बहियों में क्रमश: रिपो ब्याज आय/व्यय को दर्शाने के लिए लाभ तथा हानि खाते में उचित प्रविष्टियां पारित की जाएं तथा उसे देय व्यय/प्राप्य आय के रूप में नामे डाला/ जमा किया जाए। इस तरह से पारित प्रविष्टियों को अगली लेखा अवधि के पहले कार्य दिन को रिवर्स किया जाए।

(ix) रिपो विक्रेता रिपो अवधि में भी यथास्थित कूपन/बट्टा उपचित करना जारी रखता है जबकि रिपो क्रेता उसे उपचित नहीं करेगा।

(x) व्याख्यात्मक उदाहरण अनुबंध IV (बी) में दिये गये हैं।

अनुबंध IV (बी)

रिपो/रिवर्स रेपो लेनदेनें के लेखाकरण के लिए व्याख्यात्मक उदाहरण

(अनुबंध IV का पैरा 7)

जब कि इस परिपत्र की विषयवस्तु में 'रिपो' और रिवर्स रिपो (जो रिपो लेनदेन का प्रतिरूप है) दोनों को समाविष्ट करने के लिए सामान्यतया प्रयोग किया गया है, इस अनुबंध में रिपो और रिवर्स रिपो के संबंध में लेखाकरण सिद्धान्तों को स्पष्टता के लिए अलग-अलग निर्दिष्ट किया गया है।

ए. पुरानी प्रतिभूति का रिपो/रिवर्स रिपो

1. कूपन धारित प्रतिभूति में रिपो विवरण

रिपो के अंतर्गत प्रस्तावित प्रतिभूति	6.35% 2020	
कूपन भुगतान तारीखें	02 जनवरी और 02 जुलाई	
प्रतिभूति का बाज़ार मूल्य	रु. 90.9100	(1)
रिपो की तारीख	28 मार्च 2010	
रिपो ब्याज दर	5.00 %	
रिपो प्रवर्तनावधि	5 दिन	
रिपो की रिवर्सल तारीख	02 अप्रैल 2010	
प्रथम चरण* के लिए खंडित अवधि ब्याज	6.35% X 86/360 X 100 = 1.5169	**(2)**
प्रथम चरण रिपो के लिए नकदी प्रतिफल	(1) + (2) = 92.4269	**(3)**
रिपो ब्याज **	92.4269 X 5/365 X 5.00 % = 0.0633	**(4)**
दूसरे चरण के लिए नकदी प्रतिफल	(3) +(4) = 92.4269 + 0.0633 = 92.4902	

*** 30/260 दिवस गणना पद्धति के आधार पर दिनगणना**

**** वास्तविक/365 दिवस गणना पद्धति के आधार पर दिनगणना**

2. रिपो विक्रेता के लिए लेखापद्धति (निधियों का उधारकर्ता)

प्रथम चरण

	नामे	**जमा**
नकदी	92.4269	
रिपो खाता		92.4269
रिपो खाते के अंतर्गत वसूली योग्य प्रतिभूतियां (प्रति द्वारा)	92.4269	
रिपो खाते के अंतर्गत बेची गयी प्रतिभूतियां		92.4269

दूसरा चरण

	नामे	जमा
रिपो खाता	92.4269	
रिपो ब्याज व्यय खाता	0.0633	
नकदी खाता		92.4902
रिपो खाते के अंतर्गत बेची गयी प्रतिभूतियां (प्रति द्वारा)	92.4269	
रिपो खाते के अंतर्गत प्राप्य प्रतिभूतियां		92.4269

3. रिपो क्रेता के लिए लेखापद्धति (निधियों का ऋणदाता)

प्रथम चरण

	नामे	जमा
रिवर्स रिपो खाता	92.4269	
नकदी खाता		92.4269
रिवर्स रिपो के अंतर्गत खरीदी गयी प्रतिभूतियां (प्रति द्वारा)	92.4269	
रिवर्स रिपो खाते के अंतर्गत वितरण योग्य प्रतिभूतियां (प्रति द्वारा)		92.4269

दूसरा चरण

	नामे	जमा
नकदी खाता	92.4902	
रिवर्स रिपो खाता		92.4269
रिवर्स रिपो ब्याज आय खाता		0.0633
रिवर्स रिपो खाते के अंतर्गत वितरण योग्य प्रतिभूतियां (प्रति द्वारा)	92.4269	
रिवर्स रिपो खाते के अंतर्गत खरीदी गयी प्रतिभूतियां (प्रति द्वारा)		92.4269

4. समायोजन खातों के लिए बहियों में प्रविष्टियां

रिपो खाते के अंतर्गत प्राप्य प्रतिभूतियां

नामे		जमा	
रिपो खाता (प्रथम चरण) के अंतर्गत बेची गयी प्रतिभूतियाँ	92.4269	रिपो खाता (दूसरा चरण) के अंतर्गत बेची गयी प्रतिभूतियाँ	92.4269

रिपो खाता के अंतर्गत बेची गयी प्रतिभूतियाँ

नामे		जमा	
रिपो खाता (दूसरे चरण) के अंतर्गत प्राप्य प्रतिभूतियाँ	92.4269	रिपो खाता (रिपो प्रथम चरण) के अंतर्गत प्राप्य प्रतिभूतियाँ	92.4269

रिपो खाते के अंतर्गत खरीदी गयी प्रतिभूतियां

नामे		जमा	
रिवर्स रिपो खाता (रिवर्स रिपो) (दूसरा चरण) के अंतर्गत वितरण योग्य प्रतिभूतियाँ	92.4269	रिवर्स रिपो खाता (रिवर्स रिपो दूसरा चरण) के अंतर्गत वितरण योग्य प्रतिभूतियाँ	92.4269

रिपो खाता के अंतर्गत वितरणयोग्य प्रतिभूतियाँ

नामे		जमा	
रिवर्स रिपो खाता (दूसरा चरण) के अंतर्गत खरीदी गयी प्रतिभूतियाँ	92.4269	रिवर्स रिपो खाता (प्रथम चरण) के अंतर्गत खरीदी गयी प्रतिभूतियाँ	92.4269

5) यदि तुलनपत्र तारीख रिपो की प्रवर्तनाधि के दौरान आ जाती है, सहभागी संक्रमण खातों का अर्थात् रिपो देय ब्याज खाते और रिवर्स रिपो प्राप्य ब्याज खाते का उपचित ब्याज को रिकार्ड करने के लिए उपयोग कर सकते हैं और अगले दिन उसे रिवर्स करें। रिपो प्राप्य ब्याज और देय ब्याज को तुलनपत्र में उचित प्रविष्टियों को पास करते हुए निम्नानुसार लाभ और हानि लेखे में लिया जाएगा।

लेनदेन चरण	प्रथम चरण	तुलनपत्र तारीख	दूसरा चरण
तारीखें	28 मार्च 2010	31 मार्च 2010	02 अप्रैल 2010

ए) **31 मार्च 2010 को रिपो बिक्रेता निधियों का उधारकर्ता की बहियों में प्रविष्टियां**

लेखा शीर्ष	**नामे**	**जमा**
रिपो ब्याज व्यय खाता (लाभ और हानि में अंतरित किये जानेवाले लेखे में शेष)	0.0506 (4 दिन के लिए रिपो ब्याज के रूप में)	
रिपो देय ब्याज खाता		0.0506

लेखा शीर्ष	**नामे**	**जमा**
लाभ व हानि लेखा	0.0506	
रिपो ब्याज व्यय खाता		0.0506

बी) **01 अप्रैल 2010 को रिपो बिक्रेता (निधियों का उधारकर्ता) की बहियों में प्रविष्टियों का रिवर्सल**

लेखा शीर्ष	**नामे**	**जमा**

रिपो देय ब्याज खाता	0.0506	
रिपो ब्याज व्यय खाता		0.0506

सी) 31 मार्च 2010 को रिपो क्रेता की बहियों में प्रविष्टियां

लेखा शीर्ष	**नामे**	**जमा**
रिवर्स रिपो प्राप्य ब्याज खाता	0.0506	
रिवर्स रिपो ब्याज आयखाता (लाभ और हानि लेखे में अंतरित किये जानेवाले खाते में शेष)		0.0506 (चार दिन के लिए ब्याज के रूप में)
लेखा शीर्ष	**नामे**	**जमा**
रिवर्स रिपो प्राप्य ब्याज खाता	0.0506	
रिवर्स रिपो ब्याज आय खाता (लाभ और हानि लेखे में अंतरित किये जानेवाले खाते में शेष)		0.0506

डी) 1 अप्रैल 2010 को रिपो क्रेता (निधियों का ऋणदाता) की बहियों में प्रविष्टियों का रिवर्सल

लेखा शीर्ष	**नामे**	**जमा**
रिवर्स रिपो ब्याज आय खाता	0.0506	
रिवर्स रिपो प्राप्य ब्याज खाता		0.0506

बी) रिपो/रिवर्स रिपो खजाना बिल

1. खज़ाना बिल पर रिपो विवरण

रिपो के अंतर्गत प्रस्तावित प्रतिभूति	**7 मई 2010 को अवधिपूर्ण होनेवाले भारत सरकार के 90 दिवसीय खजाना बिल**	
रिपो के अंतर्गत प्रस्तावित प्रतिभूति का मूल्य	₹ 99.0496	(1)
रिपो तारीख	28 मार्च 2010	
रिपो ब्याज दर	5%	
रिपो अवधि	5 दिन	
प्रथम चरण के लिए कुल	99.0496	(2)
नकदी प्रतिफल	99.0496x 5% x 5/365 =	(3)
रिपो ब्याज*	0.0678	
दूसरे चरण के लिए नकदी	(2) + (3) = 99.0496	
प्रतिफल	+ 0.0678 = 99.1174	

* वास्तविक/365 दिन गणना पद्धति का प्रयोग करते हुए

2. रिपो विक्रेता (निधियों का उधारकर्ता) के लिए लेखाकरण

प्रथम चरण

	नामे	**जमा**

नकदी	99.0496	
रिपो खाता		99.0496
रिपो खाते के अंतर्गत प्रति के जरिये प्राप्य प्रतिभूतियां	99.0496	
रिपो खाते के अंतर्गत प्रति के जरिये बेची गयी प्रतिभूतियां		99.0496

दूसरा चरण

	नामे	**जमा**
रिपो खाता	99.0496	
रिपो ब्याज व्यय खाता	0.0678	
नकदी खाता		99.1174
रिपो खाते के अंतर्गत बेची गयी प्रतिभूतियां (प्रति के जरिये)	99.0496	
रिपो खाते के अंतर्गत प्राप्य प्रतिभूतियां (प्रति के जरिय)ट		99.0496

3. रिपो क्रेता के लिए लेखाकरण (निधियों का ऋणदाता)

प्रथम चरण

	नामे	**जमा**
रिवर्स रिपो खाता	99.0496	
नकदी खाता		99.0496
रिवर्स रिपो खाते के अंतर्गत खरीदी गयी प्रतिभूतियां (प्रति के जरिये)	99.0496	
रिवर्स रिपो खाते के अंतर्गत वितरणयोग्य प्रतिभूतियां (प्रति के जरिये)		99.0496

दूसरा चरण

	नामे	**जमा**
नकदी खाता	99.1174	
रिवर्स रिपो खाता		99.0496
रिवर्स रिपो ब्याज आय खाता		0.0678
रिवर्स रिपो खाते के अंतर्गत सुपूदर्गी योग्य प्रतिभूतियां (प्रति के जरिये)	99.0496	
रिवर्स रिपो खाते के अंतर्गत खरीदी गयी प्रतिभूतियां (प्रति के जरिये)		99.0496

4. समायोजन खातों के लिए बही प्रविष्टियां रिपो खाते के अंतर्गत प्राप्य प्रतिभूतियां

नामे	**जमा**
रिपो खाता (रिपो प्रथम चरण) के 99.0496 अंतर्गत बेची गयी प्रतिभूतियां	रिपो खाता (रिपो का दूसरा चरण) के अंतर्गत बेची गयी प्रतिभूतियां 99.0496

रिपो खाते के अंतर्गत प्रतिभूतियां

नामे		जमा	
रिपो खाता (रिपो दूसरा चरण) के अंतर्गत प्राप्य प्रतिभूतियां	99.0496	रिपो खाता (रिपो प्रथम चरण) के अंतर्गत वितरणयोग्य प्रतिभूतियां	99.0496

रिपो खाता के अंतर्गत खरीदी गयी प्रतिभूतियां

नामे		जमा	
रिपो खाता (रिवर्स रिपो प्रथम चरण) के अंतर्गत वितरणयोग्य प्रतिभूतियां	99.0496	रिवर्स रिपो खाता (रिवर्स रिपो दूसरा चरण) के अंतर्गत वितरणयोग्य प्रतिभूतियां	99.0496

रिवर्स रिपो खाता के अंतर्गत वितरणयोग्य प्रतिभूतियां

नामे		जमा	
रिवर्स रिपो खाता (रिवर्स रिपो दूसरा चरण) के अंतर्गत खरीदी गयी प्रतिभूतियां	99.0496	रिवर्स रिपो खाता (रिवर्स रिपो प्रथम चरण) के अंतर्गत खरीदी गयी प्रतिभूतियां	99.0496

5) यदि तुलनपत्र तारीख रिपो की प्रवर्तनावधि के प्रवर्तनावधि के दौरान आ जाती है, सहभागी संक्रमण खातों का अर्थात् रिपो देय ब्याज को रिकार्ड करने के लिए उपयोग कर सकते हैं और अगले दिन उसे रिवर्स करें। रिपो प्राप्य ब्याज और देय ब्याज को तुलनपत्र में उचित प्रविष्टियों को पास करते हुए निम्नानुसार ले जाया जाएगा -

लेनदेन चरण	**प्रथम चरण**	**तुलनपत्र तारीख**	**दूसरा चरण**
तारीखें	28 मार्च 2010	31 मार्च 2010	02 अप्रैल 2010

ए) 31 मार्च 2010 को रिपो विक्रेता (निधियों का उधारकर्ता) की बहियों में प्रविष्टियां

लेखा शीर्ष	**नामे**	**जमा**
रिपो ब्याज व्यय खाता (खाते में शेष जो लाभ व हानि में अंतरित किये जाएंगे)	0.0543 (4 दिन के रिपो ब्याज के रूप में	
रिपो देय ब्याज खाता		0.0543

लेखा शीर्ष	नामे	जमा
लाभ व हानि खाता	0.0543	
रिपो ब्याज व्यय खाता		0.0543

बी) 1 अप्रैल 2010 को रिपो विक्रेता (निधियों का उधारकर्ता) की बहियों में प्रविष्टियों का रिवर्सल

लेखा शीर्ष	**नामे**	**जमा**
रिपो देय ब्याज खाता	0.0543	
रिपो ब्याज व्यय खाता		0.0543

सी) 31 मार्च 2010 को रिपो क्रेता (निधियों को उधार देनेवाला) की बहियों में प्रविष्टियों

लेखा शीर्ष	नामे	जमा
रिवर्स रिपो ब्याज प्राप्य खाता	0.0543	
रिवर्स रिपो ब्याज आय खाता (खाते में शेष जो लाभ व हानि में अंतरित किये जाएंगे)		0.0543 (4 दिन के रिपो ब्याज के रूप में)

लेखा शीर्ष	नामे	जमा
रिवर्स रिपो ब्याज आय खाता	0.0543	
लाभ व हानि खाता		0.0543

डी) 1 अप्रैल 2010 को रिपो क्रेता (निधियों को उधार देनेवाला) की बहियों में प्रविष्टियों का रिवर्सल

लेखा शीर्ष	नामे	जमा
रिवर्स रिपो ब्याज आय खाता	0.543	
रिवर्स रिपो ब्याज प्राप्य खाता		0.0543

अनुबंध V

(पैरा 13.2)

प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी)/ पुनर्निर्माण कंपनी (आरसी) को वित्तीय आस्तियों की बिक्री पर दिशानिर्देश

1. व्याप्ति

ये दिशा-निर्देश सिक्यूरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 के अंतर्गत आस्ति पुनर्निर्माण/ प्रतिभूतिकरण के लिए बहुराज्य सहकारी बैंकों द्वारा नीचे पैराग्राफ 3 में दी गयी वित्तीय आस्तियों की बिक्री पर लागू होंगे ।

2. ढांचा

उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्रतिभूतिकरण कंपनी/ पुनर्निर्माण कंपनी को बहुराज्य सहकारी बैंकों द्वारा अपनी वित्तीय आस्तियों की बिक्री करते समय और प्रतिभूतिकरण कंपनी/ पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा दिये जाने वाले बांडों/ डिबेंचरों/ प्रतिभूति रसीदों में निवेश करते समय अपनाये जाने वाले दिशा-निर्देश नीचे दिये गये हैं । विवेकपूर्ण दिशा-निर्देश निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत समूहबद्ध किये गये हैं

i) ऐसी वित्तीय आस्तियां जिनकी बिक्री की जा सकती है ।

ii) बहुराज्य सहकारी बैंकों की वित्तीय आस्तियों की प्रतिभूतिकरण कंपनी/ पुनर्निर्माण कंपनी को बिक्री, इसमें मूल्यन और कीमत निर्धारित करने के पहलू शामिल हैं, के लिए क्रियाविधि ।

iii) बहुराज्य सहकारी बैंकों अपनी वित्तीय आस्तियों की बिक्री करते समय और प्रतिभूतिकरण कंपनी/ पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा वित्तीय आस्तियों की बिक्री के परिणामस्वरूप क्षतिपूर्ति के रूप में ऑफर किये जाने वाले बांडों/ डिबेंचरों/ प्रतिभूति रसीदों और किसी अन्य प्रतिभूति में निवेश करते समय निम्नलिखित क्षेत्रों में अपनाये जाने वाले विवेकपूर्ण मानदंड :

क) प्रावधान करने संबंधी मानदंड

ख) पूंजी पर्याप्तता संबंधी मानदंड

ग) एक्सपोज़र मानदंड

iv) प्रकटीकरण संबंधी अपेक्षाएं

3.वित्तीय आस्तियां, जिनकी बिक्री की जा सकती है

बहुराज्य सहकारी बैंक द्वारा प्रतिभूतिकरण कंपनी/ पुनर्निर्माण कंपनी को वित्तीय आस्ति उस स्थिति में बेची जा सकती है जहां वह आस्ति

i) अनर्जक आस्ति हे, इसमें अनर्जक बांड/ डिबेंचर शामिल हैं, और

ii) मानक आस्ति हो, जहां

(क) वह आस्ति वाणिज्यिक बैंक तथा बहुराज्य सहकारी बैंक के साथ सदस्य बैंक के रूप में सहायता संघ/ बहुविध बैंकिंग व्यवस्थाओं के अंतर्गत हो

(ख) आस्ति के मूल्य के अनुसार कम से कम 75% को अन्य बैंकों की बहियों में अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया हो, और

(ग) ऐसे बैंक, जो सहायता संघीय/ बहुविध बैंकिंग व्यवस्थाओं के अंतर्गत हो, की कम से कम 75% (मूल्य के अनुसार) आस्ति की बिक्री/ प्रतिभूतिकरण कंपनी/ पुनर्निर्माण कंपनी को करने के लिए सहमत हों।

4. मूल्यन और कीमत निर्धारित करने के पहलुओं सहित बहुराज्य सहकारी बैंकों की वित्तीय आस्तियों की प्रतिभूतिकरण कंपनी/ पुनर्निर्माण कंपनी को बिक्री की प्रक्रिया

क) सिक्यूरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 किसी बैंक/ वित्तीय संस्था से प्रतिभूतिकरण कंपनी/ पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा वित्तीय आस्तियों के दोनों के बीच सहमत शर्तों पर अभिग्रहण की अनुमति देता है । इसमें वित्तीय आस्तियों की 'आश्रय रहित' आधार पर बिक्री का प्रावधान है, अर्थात् वित्तीय आस्तियों से संबद्ध समग्र ऋण जोखिम प्रतिभूतिकरण कंपनी/ पुनर्निर्माण कंपनी को अंतरित करने की शर्त पर तथा 'आश्रय सहित' आधार पर अर्थात् आस्ति का वसूल न किया गया भाग विक्रेता बैंक/ वित्तीय संस्था को वापस किये जाने की शर्त पर प्रतिभूतिकरण कंपनी/ पुनर्निर्माण कंपनी को अंतरित करने का प्रावधान है । तथापि बहुराज्य सहकारी बैंक को यह सुनिश्चित करने का निदेश दिया जाता है कि वित्तीय आस्तियों की बिक्री का प्रभाव ऐसा होना चाहिए कि आस्ति बैंक की बहियों से हट जाये और बिक्री के बाद बहुराज्य सहकारी बैंकों पर कोई ज्ञात देयता न आये।

ख) ऐसे बहुराज्य सहकारी बैंकों को, जो प्रतिभूतिकरण कंपनी/ पुनर्निर्माण कंपनी को अपनी वित्तीय आस्तियां बेचने वाली हैं, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बिक्री बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार विवेकपूर्ण ढंग से की जाती है। बोर्ड द्वारा नीतियां और दिशा-निर्देश तैयार किये जाने चाहिए जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हों __

(i) बेची जाने वाली वित्तीय आस्ति;

(ii) ऐसी वित्तीय आस्ति की बिक्री के लिए मानदंड और क्रियाविधि;

(iii) वित्तीय आस्तियों के वसूली योग्य मूल्य का उचित रूप से अनुमान लगाया गया है, यह सुनिश्चित करने के लिए अपनायी जाने वाली मूल्यन क्रियाविधि;

(iv) वित्तीय आस्तियों की बिक्री के संबंध में निर्णय लेने के लिए विभिन्न अधिकारियों के अधिकारों का प्रत्यायोजन

(ग) बहुराज्य सहकारी बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रतिभूतिकरण कंपनी/ पुनर्निर्माण कंपनी को वित्तीय आस्तियों की बिक्री के बाद, उन पर वित्तीय आस्तियों के संबंध में कोई परिचालनगत, कानूनी या अन्य किसी प्रकार का जोखिम नहीं आता ।

(घ)

(i) प्रत्येक बैंक वित्तीय आस्ति के लिए प्रतिभूतिकरण कंपनी/ पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा लगाये गये मूल्य का अपनी ओर से मूल्यांकन करेगी और यह निर्णय करेगी कि उसे स्वीकार किया जाये या अस्वीकार किया जाये ।

(ii) सहायता संघ (कंसॉर्टियम)/ बहु बैंकिंग व्यवस्थाओं के मामलों में यदि 75 प्रतिशत (मूल्यानुसार) बैंक प्रस्ताव को स्वीकार करती हैं तो शेष बहुराज्य सहकारी बैंकों को भी उसे स्वीकार करना होगा ।

(iii) किसी भी परिस्थिति में प्रतिभूतिकरण कंपनी/ पुनर्निर्माण कंपनी को किया गया अंतरण आकस्मिक मूल्य पर नहीं किया जाना चाहिए, जिससे कि प्रतिभूतिकरण कंपनी/ पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा वसूली में हुई कमी की स्थिति में बहुराज्य सहकारी बैंकों को कमी के एक भाग को वहन करना पड़े ।

(ङ) बैंक प्रतिभूतिकरण कंपनी/ पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गयी आस्तियों के प्रतिफल के रूप में नकदी अथवा बांड अथवा डिबेंचर प्राप्त कर सकती हैं ।

(च) प्रतिभूतिकरण कंपनी/ पुनर्निर्माण कंपनी को वित्तीय आस्तियों की बिक्री के प्रतिफल के रूप में बैंकों को प्राप्त बांडों/ डिबेंचरों को बहुराज्य सहकारी बैंकों की बहियों में निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जायेगा ।

(छ) बैंक प्रतिभूतिकरण कंपनी/ पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी सिक्यूरिटी रसीदों अथवा अन्य बांडों/ डिबेंचरों में भी निवेश कर सकते हैं। इन प्रतिभूतियों को भी बहुराज्य सहकारी बैंकों की बहियों में निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जायेगा।

(ज) बैंक यदि आवश्यक समझें तो किन्हीं विशेष वित्तीय आस्तियों के संबंध में, प्रतिभूतिकरण कंपनी/पुनर्निर्माण कंपनी से इस आशय का समझौता कर सकती हैं कि प्रतिभूतिकरण कंपनी/ पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा संबंधित आस्तियों की अंततः बिक्री से प्राप्त अधिशेष (सरप्लस) की राशि आपसी सहमति से निर्धारित अनुपात में बांटी जाये। ऐसी स्थिति में, बिक्री की शर्तों में यह बात शामिल होनी चाहिए कि प्रतिभूतिकरण कंपनी/ पुनर्निर्माण कंपनी आस्तियों की बिक्री से प्राप्त मूल्य के संबंध में बैंक/ वित्तीय संस्था को इस संबंध में एक रिपोर्ट दें। संभावित लाभ को बहुराज्य सहकारी बैंकों द्वारा तब तक हिसाब में नहीं लिया जाना चाहिए जब तक कि आस्ति की बिक्री से लाभ वास्तव में प्राप्त नहीं हो जाता।

5. **बिक्री संबंधी लेन-देनों के संबंध में बहुराज्य सहकारी बैंकों के लिए विवेकपूर्ण मानदंड**

(अ) प्रावधानीकरण/ मूल्यांकन का मानदंड

(क) (i) जब कोई बैंक अपनी वित्तीय आस्तियां प्रतिभूतिकरण कंपनी/ पुनर्निर्माण कंपनी को अंतरित करती है तो उसे बैंक की बहियों में नहीं रखना चाहिए ।

(ii) यदि प्रतिभूतिकरण कंपनी/ पुनर्निर्माण कंपनी को की गयी बिक्री की राशि शुद्ध बही मूल्य (अर्थात् बही मूल्य में से किये गये प्रावधान को घटाकर) से कम हो तो, कमी की राशि को उस वर्ष के लाभ-हानि लेखे में नामे करना चाहिए ।

(iii) यदि आस्तियों की बिक्री की राशि शुद्ध बही मूल्य से अधिक होती है, तो अतिरिक्त प्रावधान को प्रत्यावर्तित नहीं किया जायेगा, बल्कि इसका उपयोग प्रतिभूतिकरण कंपनी/ पुनर्निर्माण कंपनी को बिक्री की गयी अन्य वित्तीय आस्तियों के संबंध में हुई कमी/ हानि को पूरा करने के लिए किया जायेगा ।

(iv) जब बैंक प्रतिभूतिकरण कंपनी/ पुनर्निर्माण कंपनी को बिक्री की गयी स्वयं की वित्तीय आस्तियों के संबंध में प्रतिभूतिकरण कंपनी/ पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी सिक्यूरिटी रसीदों में निवेश करती हैं, तब ऐसी बिक्री को बहुराज्य सहकारी बैंकों की बहियों में निम्नलिखित में से जो राशि कम हो, उसे लेना चाहिए :

- सिक्यूरिटी रसीदों का विमोचन मूल्य, और
- वित्तीय आस्ति का शुद्ध बही मूल्य

उक्त निवेश को उसकी बिक्री अथवा वसूली होने तक बैंक/ वित्तीय संस्था की बहियों में उपर्युक्त प्रकार से निर्धारित मूल्यानुसार लिखा जाना चाहिए और उसकी बिक्री अथवा वसूली पर, लाभ अथवा हानि को उपर्युक्त (ii) और (iii) में बताये गये अनुसार हिसाब में लेना चाहिए ।

(ख) प्रतिभूतिकरण कंपनी/ पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा दी गयी प्रतिभूतियों (बांडों और डिबेंचरों) को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी चाहिए :

(i) प्रतिभूतियों की अवधि छह वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

(ii) प्रतिभूतियों की ब्याज दर उन्हें जारी करने के समय प्रचलित "बैंक दर" से 1.5 प्रतिशत अधिक हो लेकिन उससे कम न हो।

(iii) प्रतिभूतियों को, अंतरित की गयी आस्तियों पर उचित प्रभार के द्वारा सुरक्षित किया जाना चाहिए।

(iv) प्रतिभूतिकरण कंपनी/ पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा प्रतिभूति की अवधिपूर्णता की तारीख से पूर्व जमानत रखी आस्ति की बिक्री की स्थिति में, प्रतिभूति के आंशिक अथवा पूर्ण पूर्व भुगतान की व्यवस्था होनी चाहिए।

(v) प्रतिभूतियों को छुड़ाने की प्रतिभूतिकरण कंपनी/ पुनर्निर्माण कंपनी की वचनबद्धता शर्तरहित होनी चाहिए और वह आस्तियों की वसूली से जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए।

(vi) जब कभी भी प्रतिभूति किसी अन्य पार्टी को अंतरित की जाये, तो अंतरण की सूचना प्रतिभूतिकरण कंपनी/ पुनर्निर्माण कंपनी को दी जानी चाहिए।

(ग) प्रतिभूतिकरण कंपनी/ पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी डिबेंचरों/ बांडों/ सिक्यूरिटी रसीदों में निवेश

बहुराज्य सहकारी बैंकों द्वारा बेची गयी वित्तीय आस्तियों के प्रतिफल के रूप में प्रतिभूतिकरण कंपनी/ पुनर्निर्माण कंपनी से प्राप्त सभी लिखत और प्रतिभूतिकरण कंपनी/ पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा अन्य लिखत जिनमें बहुराज्य सहकारी बैंकोंने निवेश किया हो, सांविधिक चलनिधि अनुपात (एस एल आर) की प्रतिभूति नहीं होंगे । तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित सांविधिक चलनिधि अनुपात से भिन्न लिखतों में निवेश पर लागू मूल्यनिर्धारण, वर्गीकरण तथा अन्य मानदंड प्रतिभूतिकरण कंपनी/ पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी डिबेंचरों/ बांडों/ प्रतिभूति रसीदों में बहुराज्य सहकारी बैंकों के निवेश पर लागू होंगे। परन्तु, यदि प्रतिभूतिकरण कंपनी/ पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी उपर्युक्त में से कोई भी लिखत संबंधित योजना में लिखतों में विनिर्दिष्ट वित्तीय आस्तियों की वास्तविक वसूली तक ही सीमित हो तो बैंक ऐसे निवेशों के मूल्य निर्धारण के प्रयोजनार्थ प्रतिभूतिकरण कंपनी/ पुनर्निर्माण कंपनी से समय-समय पर प्राप्त निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) पर भी विचार कर सकता/ सकती है ।

(ख) पूंजी पर्याप्तता

पूंजी पर्याप्तता के प्रयोजनार्थ, बहुराज्य सहकारी बैंकों को चाहिए कि वे प्रतिभूतिकरण कंपनी/ पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी और बहुराज्य सहकारी बैंकों द्वारा निवेश के रूप में धारित डिबेंचरों/ बांडों/ प्रतिभूति रसीदों में जोखिम भार का निर्धारण निम्नानुसार करें :

i) ऋण आदि जोखिम के लिए जोखिम भार : 100%

ii) बाजार जोखिम के लिए जोखिम भार : 2.5%

लागू जोखिम भार = (i) + (ii)

(ग) एक्सपोजर संबंधी मानदंड

प्रतिभूतिकरण कंपनी/ पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी डिबेंचरों/ बांडों में बहुराज्य सहकारी बैंकों के निवेश प्रतिभूतिकरण कंपनी/ पुनर्निर्माण कंपनी से संबंधित एक्सपोज़र के घटक बनेंगे। चूंकि अभी तो कुछ ही प्रतिभूतिकरण कंपनियों/ पुनर्निर्माण कंपनियों की स्थापना की जा रही है, इसलिए प्रतिभूतिकरण कंपनी/ पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी डिबेंचरों/ बांडों/ प्रतिभूति रसीदों/ पी टी सी में उनके निवेशों के जरिये बहुराज्य सहकारी बैंकोंके प्रतिभूतिकरण कंपनी/ पुनर्निर्माण कंपनी से संबंधित निवेश उनके विवेकपूर्ण निवेश की उच्चतम सीमा से बाहर रह सकते हैं। असामान्य परिस्थितियों में, बहुराज्य सहकारी बैंकों को यह अनुमति होगी कि वे प्रारंभिक वर्षों में, मामला-दर-मामला आधार पर विवेकपूर्ण निवेश की उच्चतम सीमा से बाहर जा सकते हैं ।

6. प्रकटीकरण संबंधी अपेक्षाएं

प्रतिभूतिकरण कंपनी/ पुनर्निर्माण कंपनी को वित्तीय आस्तियां बेचने वाले बहुराज्य सहकारी बैंकों से यह अपेक्षा की जायेगी कि वे अपने तुलनपत्रों के खातों से संबंधित टिप्पणियों में निम्नलिखित बातें प्रकट करें :

आस्ति पुनर्निर्माण के प्रयोजनार्थ प्रतिभूतिकरण कंपनी/ पुनर्निर्माण कंपनी को वर्ष के दौरान बेची गयी वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा

क) खातों की संख्या

ख) प्रतिभूतिकरण कंपनी/ पुनर्निर्माण कंपनी को बेचे गये खातों का कुल मूल्य (निवल प्रावधान)

ग) कुल प्रतिफल

घ) पिछले वर्ष में अंतरित खातों से संबंधित वसूला गया अतिरिक्त प्रतिफल

ङ) निवल बही मूल्य की तुलना में कुल लाभ/ हानि ।

7. संबंधित मामले

क) प्रतिभूतिकरण कंपनी/ पुनर्निर्माण कंपनी उन वित्तीय आस्तियों को भी अपने अधिकार में लेगी जिन्हें पुनरूज्जीवित नहीं किया जा सकता और जिन्हें वसूली आधार पर निपटाया जाना है। सामान्यतः प्रतिभूतिकरण कंपनी/ पुनर्निर्माण कंपनी ऐसी आस्तियों को अपने अधिकार में नहीं लेगी किन्तु वह वसूली के लिए एजेंट के रूप में कार्य करेगी, जिसके लिए वह शुल्क लेगी ।

ख) जहां आस्तियां उपर्युक्त श्रेणी में नहीं आती हैं, उन आस्तियों को बैंक/ वित्तीय कंपनी की बहियों से हटाया नहीं जायेगा किन्तु वसूली जब भी प्राप्त होगी उसे आस्ति खाते में जमा किया जायेगा । बैंक सामान्यतः आस्तियों के लिए प्रावधान करती रहेगी ।

अनुबंध VI
(पैरा सं 2.2.1)

अधिसूचना

शबैंवि.बीपीडी(पीसीबी).अधि.सं.2/16.26.000/2013-14 5 जून 2014

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 24 की उप धारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतदद्वारा यह निर्दिष्ट करता है कि प्रत्येक प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक भारत में नीचे दिये गये विवरण के अनुसार अस्तियां रखना जारी रखेगा जिनका मूल्य भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट की गयी मूल्यांकन विधि के अनुसार 12 जुलाई 2014 से प्रारंभ होने वाले दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े के अंतिम शुक्रवार को किसी भी दिन कारोबार की समप्ति पर भारत में कुल निवल मांग और मीयादी देयताओं के 22.5 प्रतिशत से कम नहीं होगा।

(क) नकदी, अथवा
(ख) स्वर्ण जिसका मूल्य चालू बाज़ार मूल्य से अधिक कीमत पर नहीं होगा, अथवा
(ग) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 56 के साथ पठित धारा 5(क) में परिभाषित अनुसार अनुमोदित प्रतिभूतियों में भार रहित निवेश

2. उपर्युक्त के अलावा किसी बात के होते हुए भी:

(i) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 56 के साथ पिठत धारा 18 की उपधारा के अंतर्गत किसी प्राथमिक सहकारी बैंक द्वारा संबद्ध जिले के केंद्रीय सहकारी बैंक में या संबद्ध राज्य के राज्य सहकारी बैंक में रखे जाने के लिए अपेक्षित अति शेष, जो भार रहित शेष राशि हो; अथवा

(ii) किसी प्राथमिक सहकारी बैंक द्वारा भारतीय स्टेट बैंक या समनुषंगी बैंक या तत्स्थानी नया बैंक या आईडीबीआई बैंक लिमिटेड में रखी गई भार रहित मीयादी जमा राशि ;

उपर्युक्त मामलों में भी इस अधिसूचना में बताए गए प्रतिशत की गणना के प्रयोजनार्थ भार रहित मीयादी जमा रशि को 31 मार्च 2015 तक आस्यिों के रूप में माना जाएगा।

स्पष्टीकरणः

क. किसी प्राथमिक सहकारी बैंक के "भार रहित निवेश" में अग्रिम अथवा किसी ऋण व्यवस्था के लिए किसी अन्य संस्था के पास रखी गयी उपर्युक्त अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश उस सीमा तक शामिल होगा जिस सीमा तक उन प्रतिभूतियों के बदले कोई आहरण न किया गया हो ।

ख. "मीयादी जमा" का अर्थ बैंक द्वारा एक विशिष्ट अवधि के लिए स्वीकार की गई वह जमा राशि है जो उस निर्धारित अवधि की समाप्ति पर आहरणीय होगी। इसमें आवर्ती/ संचयी/ वार्षिकी/ पुनर्निवेश जमाराशियां, नकदी प्रमाणपत्र और ऐसी ही जमाराशियां शामिल हैं।

ग. उपर्युक्त प्रयोजन के लिए रशि की गणना हेतु निम्नलिखित को भारत में रखी गयी नकदी के रूप में माना जाएगा:

(i) किसी प्राथमिक सहकारी बैंक, जो अनुसूचित हो, द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखे जाने के लिए अपेक्षित शेष से रखा गया अधिक शेष; तथा

(ii) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 56 के साथ पिठत धारा 18 के अंतर्गत किसी प्राथमिक सहकारी बैंक, जो अनुसूचित न हो, द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखे जाने के लिए अपेक्षित शेष से रखा गया अधिक शेष;

(iii) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 56 के साथ पठित धारा 18 की उप धारा (1) में यथा परिभाषित ''चालू खातों में निवल शेष'' उक्त धारा के अंतर्गत रखे जाने वाले अपेक्षित शेष से रखा गया अधिक शेष।

(एन.एस.विश्वनाथन)
कार्यपालक निदेशक

परिशिष्ट ए

ए. **मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सूची**

क्र.सं.	परिपत्र सं.	दिनांक	विषय
1.	शबैंवि.बीपीडी (पीसीबी) परि. सं.68/16.26.000/2013-14	05.06.2014	बैंककारी विधि (संशोधन) अधिनियम 2012 – बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 18 और 24 में संशोधन – गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के लिए आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) और शहरी सहकारी बैंकों के लिए सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) का अनुरक्षण
2.	शबैंवि.बीपीडी (पीसीबी) परि. सं.58/16.20.000/2013-14	07.05.2014	बाज़ार अवसंरचना (मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर) कंपनियों में प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा निवेश
3.	शबैंवि.बीपीडी.(पीसीबी).परि.सं.53/13.05.000/2013-14	28.03.2014	बहुराज्य शहरी सहकारी बैंकों द्वारा प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी)/ पुनर्निर्माण कंपनी (आरसी) को वित्तीय आस्तियों की बिक्री पर दिशानिर्देश
4.	शबैंवि.बीपीडी.(पीसीबी).परि.सं.9/09.29.000/2013-14	04.09.2013	सरकारी प्रतिभूतियों का द्वितीयक बाज़ार लेनदेन – अंतर्दिवसीय अधिविक्रय (शार्ट सेलिंग)
5.	शबैंवि.बीपीडी.(एससीबी)परिपत्र सं.4/16.20.000/2012-13	10.06.2013	कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियों में तैयार वायदा संविदा
6.	आइडीएमडी.पीसीडी.सं.1423/14.03.02/2012-13	30.10.2012	कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियों में तैयार वायदा संविदा अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों को अनुमति देना
7.	शबैंवि.(पीसीबी)बीपीडी.परि.सं.17/12.05 6.001/ 2011-12	03.01.2012	तयशुदा लेन-देन प्रणाली (एनडीएस) – ऑर्डर मैचिंग (ओएम) – शहरी सहकारी बैंकों को सदस्यता
8.	आइडीएमडी.डीओडी.सं13/10.25.66/2011-12	18.11.2011	तयशुदा लेन-देन प्रणाली को सीधी पहुंच– ऑर्डर मैचिंग (एनडीएस-ओएम)
9.	शबैंवि.कैंका.(पीसीबी)बीपीडी परि.सं.6/09.11.00/ 2011-12	25.10.2011	एसजीएल और सीएसजीएल खाते – पात्रता मानदंड और परिचालन दिशा निर्देश
10.	आइडीएमडी सं 29/11.08.043/ 2010-11	30.05.2011	रिपो/रिवर्स रिपो लेन-देनों के लेखांकन हेतु दिशानिर्देश
11.	शबैंवि.(पीसीबी)बीपीडी परि. सं.36/16.20.000/ 2010-11	18.02.2011	जीरो कुपन बांडो में निवेश पर विवेकपूर्ण मानदंड
12.	शबैंवि.(पीसीबी) परि. सं. 34/09.80.000/ 2010-11	18.01.2011	निवेश की लेखांकन पद्धति - निपटान तिथि लेखांकन
13.	शबैंवि.बीपीडी.(पीसीबी) परि. सं.	16.11.2010	भारतीय रिजर्व बैंक में चालू खाता तथा एसजीएल खाता

	24/12.05.001/ 2010-11		खोलना और इन्फिनेट तथा आरटीजीएस प्रणाली की सदस्यता
14.	आइडीएमडी.पीसीडी. सं.22/11.08.38/2010-11	09.11.2010	कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियों में तैयार वायदा संविदा
15.	शबैंवि.कैंका.बीएसडी.पीसीबी. परि. सं. 68/12.22.351/ 2009-10	07.06.2010	समाशोधन सुविधा प्राप्त करने हेतुप्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों द्वारा अन्य बैंकों में जमा रखना
16.	शबैंवि.बीपीडी.पीसीबी.परि.सं.63/16.20.000/2009-10	04.05.2010	प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा गैर-सूचीबद्ध गैर एस एल आर प्रतिभूतियों में निवेश
17.	शबैंवि.बीपीडी.पीसीबी.परि.सं.62/16.20.000/2009-10	30.04.2010	इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यकलाप करनेवाली कंपनियों द्वारा जारी बांडो में किए गए निवेश का वर्गीकरण
18.	शबैंवि.(पीसीबी).बीपीडी परि.सं.52/09.11.000/2009-10	05.04.2010	सीएसजीएल खाते रखना
19.	आइडीएमडी सं. 4135/11.08.43/2009-10	23.03.2010	रिपो/ रिवर्स रिपो लेन-देन के लेखाकरण की पद्धति
20.	आइडीएमडी.डीओडी.सं.05/11.08.38/2009-10	08.01.2010	कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियों में तैयार वायदा संविदा
21.	शबैंवि.(पीसीबी).बीपीडी.सं.34/16.26.000/2009-10	17.12.2009	बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 24 - शहरी सहकारी बैंकों द्वारा सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश
22.	शबैंवि.बीपीडी(पीसीबी)परि.सं.27/16.20.000/2009-10	03.12.2009	शहरी सहकारी बैंकों द्वारा निवेश पर मासटर परिपत्र का शुद्धिपत्र
23.	आइडीएमडी.डीओडी.सं. 334/11.08.36/2009-10	20.07.2009	तैयार वायदा संविदाएं
24.	शबैंवि.बीपीडी(पीसीबी).सं.47/16.20.000/2008-09	30.01.2009	प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशियों का निवेश
25.	शबैंवि.बीपीडी(पीसीबी).सं.46/16.20.000/2008-09	30.01.2009	प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात प्रतिभूतियों में निवेश
26.	शबैंवि.बीपीडी(पीसीबी).सं.37/16.20.000/2008-09	21.01.2009	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू)- शहरी सहकारी बैंकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश-धारा 24क के अंतर्गत छूट
27.	शबैंवि.बीपीडी(पीसीबी).सं.28/16.20.000/2008-09	26.11.2008	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू)- शहरी सहकारी बैंकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश
28.	शबैंवि.बीपीडी.सं.56/16.20.000/2007-08	17.06.2008	भारत सरकार द्वारा जारी गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों का

			मूल्यन
29.	आईडीएमडी.सं.3166/11.01.01 (बी)	01.01.2008	सरकारी प्रतिभूतियों में "कब जारी" लेनदेन
30.	शबैंवि.बीपीडी.सं.14/16.20.000/2007-08	18.09.2007	गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश
31.	शबैंवि.बीपीडी.सं.7/09.29.000/2006-07	18.08.2006	केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में "कब जारी " लेनदेन-लेखाकरण और अन्य पहलू
32.	शबैंवि.बीपीडी.सं.1/09.09.001/2005-06	11.07.2006	एनएचबी/ हुडको द्वारा जारी विशेष बांडो में निवेश - प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार
33.	शबैंवि.बीपीडी.सं.41/16.20.000/2005-06	29-03-2006	शहरी सहकारी बैंकों का निवेश संविभाग - मूल्यन
34.	शबैंवि.बीपीडी.सं.31/13.01.000/2005-06	17-02-2006	सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश
35.	शबैंवि.बीपीडी.सं.41/16.20.000/2004-05	28-03-2005	शहरी सहकारी बैंकों का निवेश संविभाग - मूल्यन
36.	शबैंवि.बीपीडी.सं.16/16.20.000/2004-05	02-09-2004	निवेश - वर्गीकरण तथा मूल्यन
37.	शबैंवि.बीपीडी.सं.49/09.80.00/2004-05	20-06-2005	हाज़िर वायदा लेनदेन
38.	शबैंवि.बीपीडी.सं.50/ 09.80.00/2004-05	20-06-2005	सरकारी प्रतिभूति - टी + 1 निपटान
39.	शबैंवि.बीपीडी.सं.51/09.80.00/2004-05	20-06-2005	प्रारंभिक निर्गमों पर प्रतिभूतियों का निपटान
40.	शबैंवि.बीपीडी.सं.37/12.05.01/2004-05	26-02-2005	बैंकों का निवेश संविभाग - सूचना देने की प्रणाली
41.	शबैंवि.बीपीडी.एसयूबी.परि.5/09.80.00/2003-04	28.04.2004	सरकारी प्रतिभूतियों (डीवीपी III) में लेनदेन
42.	शबैंवि.बीपीडी.पीसीबी.परि.45/16.20.00/2003-04	15.04.2004	शहरी सहकारी बैंकों द्वारा गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात ऋण प्रतिभूतियों में निवेश
43.	शबैंवि.बीपीडी.पीसीबी.परि.44/09.29.00/2003-04	12.04.2004	प्राथमिक निर्गमों के लिए नीलामियों के दौरान उसी दिन आबंटित सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री
44.	शबैंवि.बीपीडी.पीसीबी.परि.42/09.11.00/2003-04	01.04.2004	सी एस जी एल खातों का बनाए रखा जाना
45.	शबैंवि.बीपीडी.पीसीबी.परि.35/13.05.00/2003-04	27.02.2004	गैर-अनुसूचित सहकारी बैंकों द्वारा अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों मे जमाराशियां रखा जाना
46.	शबैंवि.बीपीडी.पीसीबी.परि.34/13.05.00/2003-04	11.02.2004	अग्रिमों पर अधिकतम सीमा-व्यक्तिगत/समूह उधारकर्ताओं के ऋण - जोखिम की सीमाएं - पूँजी गत निधियों की संगणना
47.	शबैंवि.बीपीडी.पीसीबी.परि.33/09.11.00/2003-04	11.02.2004	सी एस जी एल खाता बनाए रखना
48.	शबैंवि.बीपीडी.पीसीबी.एफआईआर.26/16.20.00/2003-04	02.12.2004	आई सी आई सी आई बैंक लि. के शेयरों में निवेश
49.	शबैंवि.बीपीडी.पीसीबी.परि.12/09.29.00/2003-04	04.09.2003	शहरी सहकारी बैंकों का निवेश संविभाग - निवेश उतार - चढ़ाव प्रारक्षित निधि संबंधी दिशा-निर्देश
50.	शबैंवि.बीपीडी.परि.सं.11/09.29.00/2003-04	02.09.2003	शहरी सहकारी बैंकों का निवेश संविभाग - निवेशों का वर्गीकरण तथा मूल्यन

51.	शबैवि.बीपीडी.पीसीबी.परि.8/09.29.00/ 2002-03	16.08.2003	शेयर बाजारों में सरकारी प्रतिभूतियों का व्यापार
52.	शबैवि.बीपीडी.परि.सं.1/09.11.00/200 3-04	08.07.2003	सरकारी प्रतिभूतियों के लेनदेन के संबंध में निपटान - सीसीआईएल के माध्यम से निपटान की अनिवार्यता
53.	शबैवि.बीपीडी.पीसीबी.परि.सं.2/09.80.0 0/2003-04	08.07.2003	भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी में गैर प्रतियोगिता के आधार पर बोली लगाने की सुविधा से संबंधित योजना
54.	शबैवि.पीसीबी.56/09.29.00/2003-04	02.07.2003	बैंकों का निवेश संविभाग - प्रतिभूतियों में लेनदेन
55.	शबैवि.बीपीडी.पीसीबी.परि. सं.46/16.20.00/2002-03	17.05.2003	गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों द्वारा अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों में जमाराशियों का रखा जाना
56.	शबैवि.बीपीडी.पीसीबी.सं.44/09.80.00/ 2002-03	12.05.2003	रिपो/रिवर्स रिपो लेनदेनों का एक समान लेखांकन करने से संबंधित दिशा-निर्देश
57.	शबैवि.बीपीडी.पीसीबी.परि.सं.39/09.29. 00/2002- 03	13.03.2003	शेयर बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का व्यापार
58.	शबैवि.बीपी.सं.35/16.26.00/2002-03	18.02.2003	द्वितीयक बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों के मूल्य
59.	शबैवि.बीपीडी.एसपीसीबी.परि.सं.9/09.2 9.00/2002-03	27.01.2003	सरकारी ऋणों के लिए समाधान प्रक्रिया
60.	शबैवि.पॉट.पीसीबी.परि.सं.06/09.29.00 /2002-03	06.08.2002	शहरी सहकारी बैंकों का निवेश संविभाग - सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदन
61.	शबैवि.पॉट.पीसीबी.परि.सं.5/09.29.00/ 2002-03	22.07.2002	बैंकों का निवेश संविभाग - प्रतिभूतियों में लेनदेन
62.	शबैवि.पॉट.सं.49/09.80.00/ 2001-02	17.06.2002	हाज़िर वायदा लेनदेन
63.	शबैवि.कैंका.पॉट.पीसीबी.परि.सं.48/09. 29.00/2001-02	11.06.2002	बैंकों के निवेश संविभाग में धारित प्रतिभूतियों का प्रमाणीकरण
64.	शबैवि.बीआर.सं.47/16.26.00/2001- 02	07.06.2002	शहरी सहकारी बैंकों द्वारा सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश
65.	शबैवि.पीसीबी.परि.सं.46/09.29.00/20 01-02	06.06.2002	बैंकों का निवेश संविभाग- प्रतिभूतियों में लेनदेन
66.	शबैवि.आयो.एससीबी.परि.सं.10/09.29 .00/2001-02	26.04.2002	शहरी बैंकों का निवेश संविभाग - सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन
67.	शबैवि.आयो.पीसीबी.परि.सं.41/09.29.0 0/2001-02	20.4.2002	बैंकों का निवेश संविभाग - प्रतिभूतियों में लेनदेन
68.	शबैवि.बीआर.परि.सं.19/16.26.00/200 1-02	22.10.2001	बीआर.एक्ट.1949(सहकारी सोसायटियों पर यथा लागू) की धारा 24 - सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश
69.	शबैवि.सं.बीआर.6/16.26.00/2000-01	09.08.2001	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथा लागू) धारा 24- सरकारी तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश
70.	शबैवि.से.कैंका.बीएसडी.I.पीसीबी.44/12 .05.05/2000-2001	23.04.2001	बैंकों द्वारा किए गए निवेशों के वर्गीकरण तथा मूल्यन संबंधी दिशा-निर्देश
71.	शबैवि.सं.बीआर.परि.42/16.26.00/200 0-01	19.04.2001	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी

			सोसायटियों पर यथालागू) - धारा 24 - शहरी सहकारी बैंकों द्वारा सरकारी तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश
72.	शबैवि.सं.43/16.20.00/2000-01	19.04.2001	शहरी सहकारी बैंकों द्वारा अन्य संस्थाओं तथा अन्य शहरी सहकारी बैंकों में जमाराशियों के रूप में निधियों का निवेश
73.	शबैवि.सं.पॉट.परि.पीसीबी.39/09.29.00/2000	18.04.2001	प्राथमिक निर्गमों की नीलामी में आबंटित सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री
74.	शबैवि.सं.आयो.पीसीबी.परि.22/09.29.00/2000-01	30.12.2000	बैंकों का निवेश संविभाग - प्रतिभ्झातियों में लेनदेन - दलालों की भूमिका
75.	शबैवि.आयो.पीसीबी.परि.26/09.80.00/1999-2000	28.03.2000	हाज़िर वायदा संविदाएं
76.	शबैंवि.आयो.18/09.80.00/1999-2000	30.12.1999	राज्य सरकार के ऋणों में बैंकों का अपना निवेश - दलाली कमीशन का भुगतान
77.	शबैंवि.सं.आयो.पीसीबी.04/09.80.00/1999-2000	25.08.1999	हाज़िर वायदा लेनदेन
78.	शबैंवि.सं.बीआर.26/18.20.00/1998-99	07.04.1999	प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ कंपनियों में निधियों का निवेश
79.	शबैंवि.सं.आयो.पीसीबी.डीआईआर.3/09.80.00/1998-99	17.08.1998	आरक्षित हाज़िर वायदा लेनदेन
80.	शबैंवि.सं.बीआर.1/16.20.00/98-99	10.07.1998	शहरी सहकारी बैंकों द्वारा निवेश – निवेशों का मूल्यन- यू-एस-64 यूनिटें
81.	शबैंवि.सं.61/16.20.00/97-98	04.06.1998	शहरी सहकारी बैंकों द्वारा निवेश – निवेश का मूल्यन प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ कंपनियों में यूएस 64 यूनिटों की निधियां
82.	शबैंवि.सं.अयो.पीसीबी.परि.56/09.60.00/97-98	13.05.1998	प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा जमा प्रमाण पत्रों में निवेश
83.	शबैंवि.सं.आयो.एसयूबी.20/09.81.00/97-98	19.02.1998	सरकारी प्रतिभूतियों की रिटेलिंग
84.	शबैंवि.सं.बीपी.37/16.20.00/1997-98	29.01.1998	शहरी सहकारी बैंकों द्वारा निवेश – निवेशों का मूल्यन
85.	शबैंवि.सं.बीएसडी.I.(पीसीबी)22/12.05.00/97-98	26.11.1997	शहरी सहकारी बैंकों द्वारा निवेश – निवेशों का मूल्यन
86.	शबैंवि.सं.आयो.एसयूबी.सं.17/09.83.00/1997-98	19.11.1997	मुद्रा बाजार लिखतों/ सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से संबंधित सांख्यिकीय आँकड़े
87.	शबैवि.सं.आयो.पीसीबी.परि.21/09.60.00/1997-98	11.11.1997	शहरी सहकारी बैंकों द्वारा जमा प्रमाण पत्रों में निवेश
88.	शबैवि.सं.आयो.पीसीबी.परि.19/09.29.00/1997-98	10.11.1997	बैंकों का निवेश संविभाग – प्रतिभूतियों में लेनदेन – दलालों की भूमिका
89.	शबैवि.सं.आयो.पीसीबी.56/09.60.00/1996-97	06.06.1997	शहरी सहकारी बैंकों द्वारा जमा प्रमाण पत्रों में निवेश
90.	शबैवि.सं.डीएस.एसयूबी.परि.7/13.07.00/1996-97	07.01.1997	प्राथमिक सहकारी बैंकों द्वारा बिलों की पुनर्भुनाई योजना में अधिशेष निधियों का निवेश
91.	शबैवि.सं.आयो.पीसीबी.34/09.29.07/1996-97	30.12.1996	बैंक का निवेश संविभाग – प्रतिभूतियों में लेनदेन
92.	शबैवि.सं.आयो.पीसीबी.सं.30/09.82.00	27.11.1996	शहरी सहकारी बैंकों द्वारा भारतीय यूनिट ट्रस्ट की यूनिटों में

	/1996-97		निवेश
93.	शबैवि.सं.आयो.पीसीबी.19/09.29.00/1996-97	11.09.1996	बैंकों का निवेश संविभाग – अप्रयुक्त बीआर फार्म की अभिरक्षा तथा नियंत्रण की प्रणाली
94.	शबैंवि.सं.आयो.पीसीबी.7/09.60.00/1996-97	19.07.1996	शहरी सहकारी बैंकों द्वारा जमा प्रमाण पत्रों में निवेश
95.	शबैवि.सं.आयो.पीसीबी.69/09.29.00/1995-96	21.06.1996	बैंकों का निवेश संविभाग – प्रतिभूतियों में लेनदेन
96.	शबैवि.सं.बीआर.परि.52/16.20.00/95-96	16.03.1996	शहरी सहकारी बैंकों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ कंपनियों में निधियों का निवेश
97.	शबैंवि.सं.आयो.पीसीबी.47/09.60.00/1995-96	29.02.1996	शहरी सहकारी बैंकों द्वारा जमा प्रमाण पत्रों में निवेश
98.	शबैवि.सं.बीआर.12/16.20.00/95-96	06.01.1996	शहरी सहकारी बैंकों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बाँडों में निधियों का निवेश
99.	शबैवि.सं.बीआर.परि.33/16.26.00/95-96	03.01.1996	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 24 – प्राथमिक सहकारी बैंकों द्वारा सरकारी तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश
100.	शबैवि.सं.परि.63/16.26.00/94-95	16.06.1995	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू)की धारा 24 – प्राथमिक सहकारी बैंकों द्वारा सरकारी तथा अन्य अनुमोदति प्रतिभूतियों में निवेश
101.	शबैवि.सं.बीआर.परि.53/16. 20.00/94-95	24.04.1995	शहरी सहकारी बैंकों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/ कंपनियों में निधियों का निवेश
102.	शबैवि.सं.आयो.पीसीबी.32/09.29.00/94-95	24.11.1994	बैंकों का निवेश संविभाग – प्रतिभूतियों का लेनदेन – बैंक रसीदें/ दलालों की भूमिका
103.	शबैवि.सं.आयो.पीसीबी.29.09.80.00/94-95	09.11.1994	हाज़िर वायदा लेनदेन
104.	शबैवि.सं.आयो.पीसीबी.14/09.80.00/94-95	24.08.1994	हाज़िर वायदा लेनदेन
105.	शबैंवि.बीआर.10/पीसीबी.(परि)/16.20.00/94-95	01.08.1994	प्राथमिक सहकारी बैंकों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ कंपनियों में निधियों का निवेश
106.	शबैंवि.बीआर.परि.72/16.20.00/93-94	16.05.1994	शहारी सहकारी बैंकों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ कंपनियों में निधियों का निवेश
107.	शबैंवि.सं.आयो.(पीसीबी).परि.56/09.29.00/93-94	11.02.1994	बैंकों का निवेश संविभाग – प्रतिभूतियों में लेनदेन
108.	शबैवि.सं.आयो.51/09.29.00/ 93-94	20.01.1994	बैंकों का निवेश संविभाग - प्रतिभूतियों में लेनदेन- एसजीएल अंतरण फार्म का बाउंस जाना - लगाए जाने वाले दंड
109.	शबैवि.सं.3/09.29.00/93-94	02.08.1993	बैंकों का निवेश संविभाग - प्रतिभूतियों में लेनदेन- दलालों के लिए समग्र संविदा सीमा-स्पष्टीकरण
110.	शबैंवि.सं.आयो.74.यूबी.81/92-93	17.05.1993	बैंकों का निवेश संविभाग - प्रतिभूतियों में लेनदेन
111.	शबैंवि.सं.आयो.13/यूबी.81/92-93	15.09.1992	बैंकों का निवेश संविभाग - प्रतिभूतियों में लेनदने
112.	शबैवि.सं.बीआर.1866/ए.12 (19)-87/88	13.06.1988	शहरी सहकारी बैंकों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/

			कंपनियों/ निगमों/ सहकारी संस्थाओं में जमाराशियों के रूप में निधियों का निवेश
113.	शबैवि.सं.डीसी.84/आर.1(बी) 87-88	13.02.1988	बिलों की पुर्नभुनाई योजना - बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं से बिलों की पुनर्भुनाई
114.	शबैवि.सं.बीआर.1455/ए.12 (24)-85/86	31.05.1986	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) - धारा 24 - भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा जारी यूनिटों में निवेश
115.	शबैंवि.बीआर.871/ए.12(24) -84/85	10.05.1985	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) धारा - 24-राष्ट्रीय बचत योजना के अंतर्गत किया गया निवेश
116.	शबैवि.बीआर.498.ए.12(24) - 84/85	08.01.1985	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) धारा 24 - प्राथमिक सहकारी बैंकों द्वारा सरकारी तथा अन्य न्यासी प्रतिभूतियों में किया गया निवेश
117.	शबैवि.सं.डीसी.597/आर.41/ 84-85	31.10.1984	7% पूंजी निवेश बांड
118.	शबैवि.पीएण्डओ.1121/यूबी.63/83-84	01.06.1984	केंद्र/राज्य सरकार के ऋणों में बैंकों का अपना निवेश - दलाली का भुगतान
119.	एसीडी.आईडी(डीसी)1799/ आर. 36/79/80	10.01.1980	7 वर्षिय राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बांडों में अभिदान/ की खरीद
120.	एसीडी.आई डी.(डीसी) 1800/ आर.36-79/80	10.01.1980	7 वर्षिय राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बांडों में अभिदान/ की खरीद से संबंधित निदेश
121.	एसीडी.बीआर.446/ए.12(19)/ 72-73	01.11.1972	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) धारा 19
122.	एसीडी.बीआर.463/ए-12/ (19)/70-71	09.11.1970	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) धारा 19
123.	एसीडी.बीआर.1/ए.12(19)/68-69	01.07.1968	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 19 : अन्य सहकारी सोसायटियों में शेयर रखने पर प्रतिबंध
124.	एसीडी.बीआर.3/ए/12 (19) 68-69	01.07.1968	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 19 : अन्य सहकारी सोसायटियों में शेयर रखने पर प्रतिबंध
125.	एसीडी.बीआर.903/ए.12(19)/ 67-68	22.12.1967	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) धारा 19 : अन्य सहकारी सोसायटियों में शेयर रखने पर प्रतिबंध
126.	एसीडी.बीआर.388/ए.11(19) 65-66	01.03.1966	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 19 : अन्य सहकारी सोसायटियों में शेयर रखने पर प्रतिबंध

ख. अन्य परिपत्रों की सूची जिनमें से निवेशों से संबंधित अनुदेशों को भी मास्टर परिपत्र में समेकित किया गया है

क्र.सं.	परिपत्र सं.	दिनांक	विषय
1.	शबैवि.सं.पॉट.पीसीबी.परि.सं.45/09.116.00/2000-01	25.04.2001	शहरी (प्राथमिक) सहकारी बैंकों पर पूंजी पर्याप्तता मानदंडों का लागू होना
2.	शबैवि.कैंकां.सं.बीएसडी.I.पीसीबी.(परि)34/12.05.05/ 1999-2000	24.05.2000	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण तथा का मूल्यन
3.	शबैंवि.सं.बीएसडी.पीसीबी.25/ 12.05.05/1999-2000	28.02.2000	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण प्रावधानीकरण तथा अन्य संबंधित मामले
4.	शबैवि.सं.आईएण्डएल(पीसीबी)42/12.05.00/96-97	20.03.1997	विवेकपूर्ण मानदंड - आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण प्रावधानीकरण तथा अन्य संबंधित मामले
5.	शबैवि.सं.आईएंडएल(पीसीबी)68/12.05.00/1995-96	10.06.1996	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण तथा अन्य संबंधित मामले - स्पष्टीकरण
6.	शबैवि.सं.आईएंडएल.(पीसीबी). 61/12.05.00/1994-95	06.06.1995	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण तथा अन्य संबंधित मामले - निवेशों का मूल्यन तथा अन्य
7.	शबैंवि.सं.आईएंडएल.86/12.05.00/1993-94	28.06.1994	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण तथा अन्य संबंधित मामले
8.	शबैंवि.21/12.15.00/1993-94	21.09.1993	बैंकों में धोखाधड़ियों और भ्रष्टाचार से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जांच समिति - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक
9.	शबैंवि.सं.आईएंडएल.38/जे.1/92-93	09.02.1993	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण तथा अन्य संबंधित मामले
10.	शबैंवि.बीआर.16/ए.6/1984-85	09.07.1984	बैंकिंग विधि (संशोधन) अधिनियम, 1983
11.	एसीडी.आयो.358/यूबी.I/1978-79	20.04.1978	शहरी सहकारी बैंकों पर समिति की रिपोर्ट
12.	एसीडी.बी.आर.184/ए.12(19)/1978-79	23.08.1979	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर लागू) धारा 10: अन्य सहकारी सोसायटियों में शेयर रखने पर प्रतिबंध
13.	एसीडी.बीआर.760/ए.1/1968-69	23.01.1969	बैंकिंग विधि (संशोधन) अधिनियम, 1968
14.	एसीडी.बीआर.464/ए.12(24)/1968-69	12.11.1968	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर लागू) की धारा 24 : आस्तियों की प्रतिशतता बनाए रखना